खण्ड–38, अंक–10
मंगलवार, 29 माघ, शक संवत्, 1935
(दिनाँक 18 फरवरी, 2014 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा
की
कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(तृतीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2014)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 38 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2014

मूल.

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ- संख्या
उपस्थिति	क
प्रश्नोत्तर	1-11
मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (अस्वीकृत)	12-105
विपक्ष द्वारा नियम-310 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की माँग	105-106
आश्वासन समिति (2013-14) का उन्नीसवां, बीसवां एवं इक्कीसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	106
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा फतेहपुर की पूर्णतया क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	106-107
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा एटनबाग रामबाग नहर की क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	107
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत लांघा तथा ग्रामसभा तौलीमूड़ के मजेर मूड़ की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	107
जनपद पौड़ी गढ़वाल के धारकोट, देवराना, कड़ाई, सीला मोटर मार्ग डामरीकरण, सुधारीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	108
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत में हुवाला खालसा के मजरे डांडा जंगल की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	108
जनपद बागेश्वर के ग्राम पप्याँ में छूटे हुए तोकों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	108
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा कटापत्थर की क्षतिग्रस्त कटापत्थर नहर के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	108-109
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा बाड़वाला, ग्राम सभा डूमेट, ग्राम सभा पपड़ियान, ग्राम सभा कटापत्थर, ग्राम सभा बाधनधार, ग्राम सभा मलेर के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	109
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा कटापत्थर की क्षतिग्रस्त नहर, शीर्ष एवं एप्रोच चैनल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	109
जनपद बागेश्वर के काण्डा, सुनारगाँव क्षेत्र में हैण्डपम्प की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	109
जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोड़ू के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पेयजल पाइप लाइन के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	110

जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोड़ू के रास्ते से पांडव खोली प्राथमिक पाठशाला जाने वाले रास्ते एवं उसके नीचे दोनों तरफ सुरक्षा दीवार/चकडैम बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) 110
जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोड़ू, कांटा, ग्वाड को जोड़ते हुए पांडवखोली तक लिंक रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) 110
जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम बैरागना में कनोला नाम तोक की जमीन के किनारे सुरक्षा/बेस दीवार बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) 110–111
जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम बीना के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को राजकीय इण्टर कॉलेज के रूप में उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) 111
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत) 111–115
उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) 115
भारतीय स्टॉम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित) 115–117
सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 (पारित) 117–132
उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित) 132–134
उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित) 134–139
उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014 (परित) 139–144
वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान 144
अनुदान संख्या–28, पशुपालन 144–145
अनुदान संख्या–16, श्रम एवं रोजगार 145
अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं 145–146
अनुदान संख्या–24, परिवहन 146
अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण 146–147
अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 147
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं 147
विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत मैलाघाट एवं प्रवीन नदी पर बाढ़ नियंत्रण की दो योजनाओं की स्वीकृति वर्ष, 2013 में होने के उपरान्त अभी तक कार्य प्रारम्भ न होने के संबंध में श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 148
जनपद हरिद्वार में शिक्षा विभाग में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना न चलाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सरवत करीम अंसारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 149

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अजय भट्ट
3. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्री आदेश चौहान
7. श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश
8. श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9. श्री विजय बहुगुणा
10. श्री गणेश गोदियाल
11. श्री गणेश जोशी
12. श्री चन्दन राम दास
13. श्री चन्द्र शेखर
14. डा0 जीतराम
15. श्री तीरथ सिंह
16. श्री दलीप सिंह रावत
17. श्री दान सिंह भण्डारी
18. श्री दिनेश अग्रवाल
19. श्री दिनेश धनै
20. श्री नवप्रभात
21. श्री नारायणराम आर्य
22. श्री पुष्कर सिंह धामी
23. श्री पूरन सिंह फर्त्याल
24. श्री कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
25. श्री प्रदीप बत्रा
26. श्री प्रीतम सिंह
27. श्री प्रीतम सिंह पंवार
28. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
29. श्री प्रेम सिंह
30. श्री फुरकान अहमद
31. श्री बंशीधर भगत
32. श्री भीमलाल आर्य
33. श्री मदन कौशिक
34. श्री मदन सिंह बिष्ट
35. श्री मनोज तिवारी
36. श्री मयूख सिंह
37. श्री महावीर सिंह
38. श्री माल चन्द
39. श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
40. श्री यतीश्वरानन्द
41. श्री यशपाल आर्य
42. श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
43. श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
44. श्री राजकुमार
45. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
46. श्री राजेश शुक्ला
47. श्री ललित फर्स्वाण
48. श्री विक्रम सिंह नेगी
49. श्री विजयपाल सिंह सजवाण
50. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
51. श्री बिशन सिंह चुफाल
52. श्रीमती शैला रानी रावत
53. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
54. श्री संजय गुप्ता
55. श्री सरवत करीम अंसारी
56. श्रीमती सरिता आर्या
57. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
58. श्री सुबोध उनियाल
59. श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
60. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
61. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
62. श्री सुरेन्द्र राकेश
63. श्री हरक सिंह रावत
64. श्री हरबन्स कपूर
65. श्री हरभजन सिंह चीमा
66. श्री हरिदास
67. श्री हरीश धामी
68. श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
69. श्री हेमेश खर्कवाल

मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी, 2014 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

भीमताल विधान सभा क्षेत्र में सिडकुल द्वारा उद्योग लगाने हेतु भूमि का आवंटन

**1. श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के भीमताल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल में सरकार द्वारा उद्योगों को आवंटित भूमि जिसमें उद्योगपतियों द्वारा सब्सिडी में भूमि लेकर उद्योगों को चलाया जाना था, किन्तु उद्योगपतियों द्वारा अब तक उद्योग नहीं लगाये गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या उनको आवंटित भूमि को खारिज कर अन्य उद्योगपतियों को दिये जाने की कार्रवाई की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

औद्योगिक क्षेत्र भीमताल में कुल 61 उद्यमियों को भूमि का आवंटन यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान में सिडकुल को हस्तान्तरित किया गया है।

कुल 61 आवंटियों में से 24 उद्यमियों द्वारा उद्योग प्रारम्भ किये जा चुके हैं। 05 उद्यमियों की इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं। आवंटित भूमि में उद्योग की स्थापना न करने वाले कुल 11 उद्यमियों का आवंटन यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। 09 इकाइयाँ बन्द हो चुकी हैं। अवशेष 12 उद्यमियों जिनके द्वारा आवंटित भूमि में उद्योग स्थापना की कार्रवाई नहीं की जा रही है, के आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई सिडकुल द्वारा की जा रही है।

वर्तमान में रिक्त भूमि पर अन्य उद्योगपतियों से उद्योग स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर सिडकुल द्वारा नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के गन्ना किसानों का गन्ना बाजपुर, गदरपुर एवं नादेही गन्ना मिलों को आवंटन

**2. श्री नवप्रभात–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर की मैसर्स काशीपुर शुगर मिल्स लिमिटेड ने पेराई सत्र 2012–13 से गन्ना पेराई बन्द कर दी है, तो इस गन्ना क्षेत्र के किसानों का गन्ना किस मिल को आवंटित किया गया है ?

क्या सरकार इस गन्ना मिल का अधिग्रहण कर संचालन पर विचार कर रही है ?

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

जी हाँ।

चीनी मिल काशीपुर को गन्ना आपूर्ति करने वाले गन्ना किसानों का गन्ना अन्य निकटवर्ती चीनी मिलों बाजपुर, गदरपुर एवं नादेही को आवंटित किया गया है।

जी नहीं।

<u>तारांकित प्रश्न</u>

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा घाटे में बसों का संचालन

*1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम प्रदेश में किन–किन मार्गों पर जनहित में घाटे पर बस सेवायें संचालित कर रहा है ?

क्या सरकार घाटे में चल रही बसों को बन्द करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो वर्ष 2013 से वर्तमान तक किन–किन रूटों पर बस सेवा बन्द कर दी गई है ?

क्या सरकार जनता की सुविधा के दृष्टिगत बन्द की गई बस सेवाओं को पुनः प्रारम्भ करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)–

उत्तराखण्ड परिवहन निगम 157 पर्वतीय मार्गों एवं 82 मैदानी मार्गों अर्थात कुल 239 मार्गों पर जनहित में घाटे पर बस सेवायें संचालित कर रहा है।

जी नहीं।

घाटे पर चल रहे मार्गों से बस सेवा को बन्द नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नाथ समुदाय को पिछड़ी जाति घोषित करने की कार्रवाई

*2. श्री दलीप सिंह रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नाथ जाति को पिछड़ी जाति घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार नाथ समुदाय को पिछड़ी जाति घोषित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

नाथ जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित करने का विषय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से सम्बन्धित है।

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र संख्या 774/अ0पि0व0आ0/बै0प्र0/2013–14, दिनांक 06 फरवरी, 2014 द्वारा नाथ जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में आयोग की आहूत बैठक दिनांक 06.02.2014 में पारित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। शासन स्तर पर कार्रवाई गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल स्थित बी0डी0 पाण्डे अस्पताल में सर्जन, चिकित्सकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराया जाना

*3. श्रीमती सरिता आर्या–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल में स्थित बी0डी0 पाण्डे हॉस्पिटल, नैनीताल में कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन जनरल सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट एवं महिला डॉक्टरों की नियुक्ति हेतु विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो उक्त डॉक्टरों की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

बी० डी० पाण्डे (पुरुष) चिकित्सालय, नैनीताल में रेडियोलॉजिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट तथा संविदा पर आर्थोपेडिक सर्जन कार्यरत हैं। चेस्ट फिजीशियन न्यूरोलॉजिस्ट के पद स्वीकृत नहीं हैं।

कॉर्डियोलॉजिस्ट, सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन/महिला चिकित्सक की नियुक्ति लोक सेवा आयोग एवं वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा जनता को जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराना

*4. श्री मदन कौशिक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा जनता को जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु कोई नीति बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

शासनादेश संख्या 291/XXVII–4/2013–78/2012, दिनांक 05.03.2013 द्वारा पुनरीक्षित आवश्यक जेनरिक औषधियों की सूची में 605 औषधियाँ सम्मिलित हैं, जिसमें एन्टी कैन्सर, राष्ट्रीय कार्यक्रमों की 14 औषधियाँ, 84 सर्जिकल आइटम्स एवं 31 रीएजेंट सम्मिलित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में जनपदवार बाल अपराधियों हेतु बाल सुधार गृहों का संचालन

*5. श्री मदन कौशिक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जनपदवार कुल कितने बाल अपराधी बाल सुधार गृह में रह रहे हैं ?

क्या सरकार ने इनके पुनर्वास हेतु कोई योजना बनायी है? यदि हाँ, तो उसका परिणाम क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

*6. श्री मदन कौशिक–

स्थगित।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

उत्तराखण्ड राज्य के 07 जनपदों में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालक) तथा 04 जनपदों में 04 राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) संचालित हैं, जिनमें वर्तमान में कुल 47 बाल अपचारी निरुद्ध हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालक) :

क्र0 सं0	जनपद	संख्या
1.	देहरादून	08
2.	हरिद्वार	08
3.	ऊधमसिंह नगर	18
4.	हल्द्वानी–नैनीताल	04
5.	अल्मोड़ा	0
6.	पौड़ी	02
7.	उत्तरकाशी	04
	योग :	44

राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) :

क्र0 सं0	जनपद	संख्या
1.	देहरादून	02
2.	टिहरी (नरेन्द्र नगर)	शून्य
3.	नैनीताल (हल्द्वानी)	0
4.	पौड़ी	01
	योग :	03

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित अधिनियम, 2006 की व्यवस्थानुसार निराश्रित अपचारी बालकों को विशेष गृह में प्रशिक्षण हेतु स्थानान्तरित किया जाता है, जहाँ से उन्हें प्रशिक्षणोपरान्त समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने हेतु मुक्त किया जाता है। राज्य के अन्तर्गत बालकों हेतु विशेष गृह जनपद हरिद्वार में संचालित है। उक्त के अतिरिक्त किशोर न्याय अधिनियम की धारा–9 के अन्तर्गत संरक्षण गृह, अल्मोड़ा में राजकीय विशेष गृह (किशोरी) संचालित है, जिसमें निराश्रित किशोरियों को विभिन्न रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर पुनर्वासित किए जाने का प्रयास किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

सल्ट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत देघाट व देवायल स्थानों पर चिकित्सा भवनों का हस्तान्तरण

01. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा में देघाट व देवायल नामक स्थान पर चिकित्सालय भवनों के निर्माण कार्यों के लम्बित होने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार शीघ्र भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए चिकित्सालय भवनों को जनहित में शीघ्र उपयोगार्थ निर्माण कर, निर्माण कार्यों को वर्षों तक पूर्ण न कराने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ?

यदि हाँ, तो संबंधित कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी--

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवायल का मुख्य भवन निर्मित होकर विभाग को हस्तान्तरित हो चुका है। पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति में विलम्ब के कारण भवनों के अवशेष निर्माण कार्यों में अतिरिक्त समय लग रहा है।

जनपद अल्मोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देघाट का मुख्य भवन, टाइप--2 के 02 आवास एवं टाइप--1 के 02 आवास निर्मित होकर विभाग को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। अवशेष कार्यों हेतु शासन को प्राप्त पुनरीक्षित आगणन पर कतिपय पृच्छायें की गयी हैं, जिसके सम्बन्ध में आख्या अपेक्षित है।

महानिदेशक से जाँच आख्या प्रतीक्षित है। जाँच के बाद यथास्थिति निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मसूरी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धा/विधवा/विकलांग/परित्यकता को पेंशन की सुविधा

02. श्री गणेश जोशी--

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि मसूरी विधान सभा क्षेत्र विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों एवं पिछड़े क्षेत्रों में अधिसंख्य पात्र लोग वृद्धा/विधवा/विकलांग/परित्यकता पेंशन से वंचित हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मसूरी विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम स्तर/वार्ड सतर पर विधवा/विकलांग/वृद्धा/परित्यकता पेंशन शिविर लगाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान समय में निम्नांकित पात्र लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत है:–

क्र0 सं0	योजना का नाम	पात्र लाभार्थी की संख्या
1.	वृद्धावस्था पेंशन	1655
2.	विकलांग पेंशन	394
3.	निराश्रित विधवा पेंशन	1368
4.	परित्यक्ता पेंशन	02

विधान सभा क्षेत्र, मसूरी एवं ऐसे अन्य श्रोतों में स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत समाज कल्याण विभाग द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन कर पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की जाती है ताकि पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित न रह सकें।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल स्थित भवाली सैनीटोरियम को वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप विकसित करना

03. श्रीमती सरिता आर्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भवाली स्थित सैनीटोरियम की स्थिति अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त के पुनर्निर्माण हेतु कोई प्रयास कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

भवाली स्थित सैनीटोरियम सन् 1911 से स्थापित है। इसके अधिकांश भवन सन् 1911 के बने हैं, जिन्हें 100 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है, जिस कारण इन भवनों की स्थिति जीर्ण–शीर्ण हो गयी है। वर्तमान में एन0टी0सी0पी0 के अन्तर्गत डॉट्स कार्यक्रम के क्रियान्वयन के कारण इन्डोर तथा आउटडोर रोगियों की संख्या नगण्य हो गयी है, ऐसी स्थिति में भवाली सैनीटोरियम को वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप किसी नये सेन्टर के रूप में विकसित किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियुक्त संविदा कर्मियों को परफार्मेन्स के आधार पर वेतन वृद्धि

04. श्री तीरथ सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियुक्त संविदा कर्मियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन पर कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि देय है तथा वार्षिक वृद्धि के लिये क्या मापदण्ड हैं ?

क्या विभिन्न पदों पर वार्षिक वृद्धि समान है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

वर्तमान में भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों को परफार्मेन्स इवॉल्यूशन के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाती है।

65%–75% तक अंक प्राप्त करने वाले संविदा कर्मियों को 8% वार्षिक वेतन वृद्धि, 75%–85% तक 10% एवं 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले संविदा कर्मियों को 12% वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने का प्राविधान है।

जी नहीं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर नियुक्त कार्मिकों को मानदेय वृद्धि परफार्मेन्स के आधार पर निर्धारित अंक प्राप्त करने पर दी जाती है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नानकमत्ता को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिया जाना

05. श्री प्रेम सिंह राणा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नानकमत्ता को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा देने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनजाति निदेशालय की स्थापना उपरान्त जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर स्वरूप तैयार करना

06. श्री प्रेम सिंह राणा–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में जनजाति निदेशालय की वर्ष 2005 में स्थापना की गयी थी किन्तु वर्तमान तक जिला एवं विकास खण्ड स्तर तक कोई भी ढाँचा (स्वरूप) तैयार नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो सरकार ढांचागत स्वरूप तैयार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला समाज कल्याण अधिकारियों के माध्यम से समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में उर्दू अनुवादकों को ए0सी0पी0 का लाभ

07. हाजी सरवत करीम अंसारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में कुल कितने उर्दू अनुवादक तैनात हैं तथा क्या उन्हें ए0सी0पी0 का लाभ प्राप्त हो रहा है ?

यदि हाँ, तो उन सबका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 02 उर्दू अनुवादक, सह कनिष्ठ लिपिक तैनात हैं। जिनमें से एक कार्मिक मो0 फुरकान को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य किया जा चुका है तथा अन्य कार्मिक श्री अब्दुल कय्यूम का प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बस स्टैण्डों के निर्माण की कार्रवाई

08. श्री मालचन्द–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगाँव, पुरोला, मोरी में बस स्टैंडों का निर्माण किया जायेगा तथा क्या मंत्री जी अवगत हैं कि नौगांव से प्रतिदिन हजारों यात्री यमुनोत्री के लिए प्रस्थान करते हैं तथा पुरोला, मोरी, हरकीदून, भराडसर व केदारकांठा आने जाने वाले यात्रियों के पहले पड़ाव में हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार क्षेत्रवासियों की माँग पर इन तीनों बस स्टैंडों का निर्माण करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के तृतीय सत्र 2009 के प्रथम मंगलवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न–28 के द्वारा देहरादून–देवप्रयाग–सतपुली मार्ग पर बसों का संचालन

09. डॉ0 जीतराम–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र, 2009 के प्रथम मंगलवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–28 के द्वारा देहरादून–व्यासघाट–सतपुली तथा देहरादून–देवप्रयाग–बहेड़ाखाल–डांडानागराजा मोटर मार्ग पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस सेवाओं के संचालन के संबंध में तत्कालीन परिवहन मंत्री द्वारा अवगत कराया गया था कि वर्तमान में निगम के बस बेड़े में बसें एवं क्रू सीमित मात्रा में हैं एवं अन्य मार्गों पर संचालित हैं जिसके कारण उक्त मार्ग पर वर्तमान में बस संचालन प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

यदि हाँ, तो तब से वर्तमान तक बसों में कितनी वृद्धि हुई है और अभी तक उक्त मार्ग पर बस सेवायें संचालित न किये जाने के कारण क्या हैं तथा कब तक उक्त मार्ग पर परिवहन निगम की बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

वर्ष, 2009 से वर्ष 2013 तक 235 बसें क्रय की गयी हैं। वर्ष 2009–10 में पर्वतीय मार्गों पर 505 छोटी बसों का संचालन किया जा रहा था। छोटी बसें निष्प्रयोज्य होने के कारण वर्तमान में निगम बेड़े में कुल 491 छोटी बसें हैं जिनका संचालन पर्वतीय मार्गों पर किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में देहरादून से देवप्रयाग–व्यासघाट होकर सतपुली तक बस संचालित की गयी थी जो कम आय आने के कारण निगम हित में बन्द कर दी गयी थी, क्योंकि देहरादून से देवप्रयाग–व्यासघाट होकर सतपुली तक की दूरी वाया कोटद्वार होकर सतपुली जाने की अपेक्षा अधिक थी।

जी हाँ।

यात्री उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। वर्तमान में देहरादून से देवप्रयाग तक अनेकों मार्गों पर निगम बस सेवायें संचालित हैं। देवप्रयाग से ब्यासघाट–बहेड़ाखाल–डांडानागराजा तक का मार्ग अत्यन्त संकरा एवं कई स्थानों पर कच्चा है। इस मार्ग पर भारी संख्या में प्राइवेट जीप, टैक्सी आदि संचालित हो रहे हैं, जिस कारण इस मार्ग पर बस संचालन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

प्रदेश में राजकीय कार्मिकों को ए0सी0पी0 का लाभ 01–09–2008 से अनुमन्य

10. श्री नवप्रभात–

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) का प्रावधान किस तिथि से लागू किया गया ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारियों को भी इसी तिथि से ए0सी0पी0 का लाभ दिया गया है?

यदि नहीं, तो इन्हें किस तिथि से ए0सी0पी0 का लाभ दिया गया तथा तिथि में अन्तर का क्या कारण है ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

प्रदेश में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) का प्रावधान दिनांक 01–09–2008 से अनुमन्य किया गया है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

मंत्री परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

*श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने कल एक अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जब सरकार पर विश्वास ही नहीं है तो सदन किस तरह से चल सकता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आज नियमतः कोई प्रस्ताव प्रतिपक्ष की तरफ से नहीं आया है, नियम के अनुसार प्रस्ताव 10:00 बजे तक आ जाना चाहिए, चर्चा हो सकती है, आपको अधिकार है नो कान्फीडेन्स मोशन लाने का, लेकिन नियमतः वह प्रस्ताव दिया जाना चाहिए।

(सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्ताव हमने दिया हुआ है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बजट सत्र चल रहा है और बजट पास हो रहा है तो हम रोज ही विश्वासमत प्राप्त कर रहे हैं।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" पर आकर नारे लगाने लगे।) (घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री हरीश रावत–

मान्यवर, हम इसके लिए तैयार हैं, हम विश्वास हासिल करने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, कृपया आप अपने माननीय सदस्यों को व्यवस्थित करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वैसे तो हमने ऐसा कभी देखा नहीं है कि कल बात तय हो गई

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और आज सरकार ने एक नया दाँव चला है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत अहितकारी है।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

मंत्रि परिषद् पर अविश्वास प्रस्ताव

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट जी तथा दूसरे साथियों के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उल्लिखित है कि हम लोग हस्ताक्षरकर्ता सदस्य, विधान सभा, उत्तराखण्ड प्रस्ताव करते हैं कि "यह सदन मंत्रिपरिषद् पर अविश्वास व्यक्त करता है।" जिन माननीय सदस्यों के इसमें हस्ताक्षर हैं, वे कृपया अपने–अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर न भी हों, तब भी वे खड़े हो सकते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपना भाषण शुरू करें।

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आभारी हैं कि आपने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए हमको यहां पर आमंत्रित किया है। कल हम यहां पर एक प्रस्ताव को लाये थे, जो नियमानुसार यहां पर आया था और हमने कल ही कह दिया था कि नियमों के अन्तर्गत है। यह नियमों से कहीं से कहीं तक बाहर नहीं है। चूंकि नियम 271, जो हमारी उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 2005 है, जो संशोधित की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, इसमें चर्चा के लिए मैं तीन घण्टे का समय निर्धारित करता हूँ। जिसमें आपके साथी और सत्तापक्ष के साथी भी बोलेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो बहुत महत्वपूर्ण मामला है, तीन घण्टे बहुत कम हैं, इसे बढ़ा दीजिए, इसे कम से कम चार घण्टा कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। पहले तीन घण्टे का समय निर्धारित किया जाता है, फिर उसके बाद देखेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियमावली में साफ लिखा हुआ है कि अनुज्ञा मांगने वाले सदस्य को, उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने से पूर्व सचिव को उस प्रस्ताव की, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, एक लिखित सूचना देनी होगी। मान्यवर, कल इतना ही काफी था और जो कॉल एवं शकधर की किताब का हवाला देकर, यह बताया गया कि अध्याय 27 में उसका कि मात्र एक घण्टे पहले यह सूचना दी जानी चाहिए। इसका दूसरा पार्ट भी था कि अगर पहले दिन सूचना आ जाती है 10 बजे बाद, तो 10 बजे बाद भी सूचना आने के बाद भी वह अगले उपवेशन के लिए ग्राह्य होगी और आपने अपनी व्यवस्था दी और उस व्यवस्था को सरकार ने भ्रमित करना चाहा, लेकिन आज बात को स्वीकार किया, इसलिए आज हम यहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। मान्यवर, जो नियम में लिखा हुआ था कि दूसरे दिन के उपवेशन में भी आयेगा तो यह संसदीय पद्धति के बारे में है, संसद के बारे में है और संसद में एक दिन में एक नहीं अनेकों प्रस्तावों को आगे के उपवेशन के लिए रख लिया जाता है। मान्यवर, आज हमें यह प्रस्ताव लाने की आवश्यकता क्या पड़ी, मान्यवर, पूरे प्रदेश और देश की जनता में एक मैसेज गया कि यह सरकार पूरे सदन का विश्वास खो चुकी है, अपने मन्त्रि परिषद् का विश्वास खो चुकी है। शपथ लेने के बाद से आज तक, मैं समझता हूँ कि आज 18वां दिन है और एक भी विभाग नहीं बँटे हैं और मंत्रियों की आपसी रार ने उत्तराखण्ड को या तो आपदा में नेशनल हाईलाइट दिलवायी और या जो मंत्रियों की आपसी रार है उसके कारण आज हमको नेशनल हाईलाइट मिली है। मान्यवर, एक नहीं, अनेक जितने भी हमारे पत्र हैं, यद्यपि उनका हवाला यहां पर नहीं दिया जा सकता है परन्तु व्यवहारिक तरीके से प्रजातंत्र के चौथे खम्बे हैं, इसलिए उसको इनकार भी नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, सरकार के बारे में ऐसी–ऐसी बातें आयी, जिससे उत्तराखण्ड के सारे लोगों में यह मैसेज गया है कि मात्र एक हफ्ते–दो हफ्ते में जो चीज हो जानी चाहिए थी, जो मुश्किल से दो–तीन दिन का काम था, 24 घण्टे का काम था, अगर मंत्री नहीं बदले गये तो उनसे यह कह दिया जाता कि विभाग आप ही चलाओ। मान्यवर, जब ये बातें बाहर आने लगीं तो फिर यह पब्लिक का मामला हो गया और सार्वजनिक मामला हो गया। वैसे भी इस सरकार में पहले से ही परस्पर अविश्वास की भावना चलती रही। अविश्वास की भावना का परिणाम है पूर्व मुख्यमंत्री जी का जाना और नये माननीय मुख्यमंत्री जी का आना। पहला परिणाम अविश्वास का प्रस्ताव। लोगों ने विश्वास व्यक्त नहीं किया, एक दूसरे में

अविश्वास है और आज भी पूरे मंत्रि परिषद् में एक दूसरे में विश्वास की भावना की बहुत ही कमी है। जब अगर विश्वास नहीं होगा तो प्रदेश को गति देने की बात कैसे हम कह सकते हैं ? मान्यवर, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, सम्भवतः 13 मार्च को माननीय बहुगुणा जी ने शपथ ली थी, मुख्यमंत्री के रूप में और अकेली शपथ ली थी। कोई मंत्री साथ नहीं था, लेकिन 7–8 दिन बाद, 10 दिन बाद जब भी आपने मंत्रि मण्डल का गठन किया तो साथ में विभाग भी दिए, लेकिन आज तो हद हो गयी मंत्रियों को खुद चिल्लाना पड़ा। अगर सब कुछ ठीक–ठाक था तो किसी मंत्री को कोई बात नहीं बोलनी चाहिए थी। सभी को कहना पड़ा, कानाफूसी होती रही, पब्लिक में बात आती रही। यह कैसा नजारा है? माननीय मुख्यमंत्री जी सब कुछ अकेले–अकेले कर देना चाहते हैं। अगर अकेले ही करना है तो मंत्रि मण्डल के गठन की भी कोई आवश्यकता नहीं थी तो सरकार ने जो पहले दिन से ही, अपने शुरूआती दौर से, इस सरकार ने, चूँकि यहाँ पर सिर्फ चेहरा बदला है, बाकी चीजें सब सामान्यतः वही हैं। काँग्रेस की नीतियाँ वही हैं, सरकार वही है, जो पहले दिन से सरकार ने रंग दिखाए हैं, वे रंग अभी तक भंग नहीं हुए हैं। जो गुटीय संघर्ष है, उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं आयी है। पूरे प्रदेश का विकास कार्य पूरी तरह से रुक गया है। सबसे पहले सरकार ने यहाँ पर एक माननीय विधायक का ईमान डोलाया और उनको तोड़ा, उनको परास्त किया। उसमें जो कुछ हुआ, उनके भांजे ने जो कुछ कहा, उसकी सी0डी0 मैंने यहाँ पर माननीय अध्यक्ष, विधानसभा को भी प्रेषित की थी। उस सी0डी0 में कहा गया था कि 10 करोड़ रुपये की घूस देकर मेरे मामा को हटाया गया। हमने खुले आम कहा, हमने इश्यू बनाया उसको, पूरे प्रदेश में हमने बात कही कि शुरूआत इस सरकार के भ्रष्टाचार की यहाँ से हुई थी और इसके बाद जो जमीनों के पीछे यह सरकार हाथ धोकर पड़ी, एक के बाद एक घोटाले जो किये और उन घोटालों की वजह से पूरा प्रदेश हिल कर रह गया। सिडकुल घोटाला, हमने कहा था कि जमीनें पूरी तरह से बेच दी गयी हैं। जमीनों का कोई रखवाला नहीं है और जो बेशकीमती जमीनें हैं, उन जमीनों को पूरी तरह से खुर्द–बुर्द कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, मान्यवर, क्योंकि किसी को दर्द नहीं था। उत्तराखण्ड राज्य बनाने में इस तरह से किसी ने कोई संघर्ष नहीं किया था। अंधे के हाथ बटेर लग गयी थी, झूठ बोलने के बावजूद और सारी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के बाद, एकाएक सत्ता मिल गयी थी। उस सत्ता की बदौलत कैसा हुआ ? पंतनगर की जो जमीन थी, सिडकुल की, उसको और हरिद्वार सिडकुल की जो जमीन थी, उसको कैसे बेचा गया। मैं उसकी एक बानगी आपको दिखाना चाहता हूँ। पंतनगर सिडकुल की जमीन 30.77 एकड़ और हरिद्वार सिडकुल की जमीन 23.18 एकड़। अगर हम इसको स्क्वायर मीटर में बदलते हैं, 01 एकड़ बराबर 4046.9 स्क्वायर मीटर पंतनगर की कुल जमीन 96195 स्क्वायर मीटर,

जमीन खरीदी गई, ₹ 8500 प्रति स्क्वायर मीटर, तो जमीन खरीद की कुल कीमत होती है, 55 करोड़, 59 लाख 31 हजार रुपये, इसी प्रकार से पन्तनगर सिडकुल की जो जमीन बेची गई, वह 32 हजार रुपये प्रति स्क्वायर मीटर बेची गई, जो जमीन ₹ 5000 के हिसाब से एक बिल्डर को दी गई, वह 32 हजार रुपये प्रति स्क्वायर मीटर बेची गई। बेचने पर जमीन की कुल कीमत 3 अरब 60 करोड़ 82 लाख 40 हजार रुपये आई, इसी प्रकार से हरिद्वार सिडकुल की 23.18 एकड़ जमीन खरीदी गई, एक एकड़ को यदि हम स्क्वायर मीटर में चेंज करते हैं तो यह 4046.9 स्क्वायर मीटर होता है। हरिद्वार की पूरी जमीन को हम यदि स्क्वायरे मीटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 93807 स्क्वायर मीटर होता है, यह ₹ 6600 प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से खरीदी गई और सिडकुल की जमीन की कुल कीमत 55 करोड़ 31 लाख 26 हजार 200 रुपये और जब बिल्डर ने जमीन बेची तो वह 28 से 30 हजार स्क्वायर मीटर के हिसाब से बेची, हमने तो छोटा पैमाना लिया है 28 हजार प्रति स्क्वायर मीटर का। इस प्रकार हरिद्वार सिडकुल की जमीन की कुल कीमत हुई, 2 अरब 62 करोड़ 65 लाख 96 हजार रुपये। यह उत्तराखण्ड जो एक नवोदित राज्य है, जिसको हमने आगे ले जाने का संकल्प लिया है, वह इस सरकार की खरीद फरोख्त की भेंट चढ़ गया। सरकार ने यह स्थिति शुरू में प्रारम्भ करी और उसके बाद तो जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखाने पर वह सनक जाता है, वैसे ही सरकार को जमीनों के बारे में कहीं भी थोड़ा सा पता लगता है तो यह सरकार बिलकुल सनक जाती है और उनके पीछे पड़ जाती है, उनको बेचने के लिए तत्पर हो जाती है। आपदा आई, इस सरकार में आपदा आई, जिस दिन सरकार ने ओथ ली थी 13 तारीख को, उस दिन दिल्ली में 18 विधायक, सबने खुलेआम कहा कि हम इनको मुख्यमंत्री मानते ही नहीं हैं, यह मुख्यमंत्री हैं ही नहीं, हमारे दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। गुटीय संघर्ष प्रारम्भ हुआ, जिस प्रदेश को विकास के लिये आगे आना चाहिये था, जहां पर हमें आपस में मिल बैठकर विकास को गति देनी चाहिये थी, वहां पहले दिन से ही गुटीय संघर्ष पैदा हो गया और इसका परिणाम यह रहा कि कम से कम 10—12 दिन तक कोई मंत्री नहीं रहा, मुख्यमंत्री अकेले रहे। उसके बाद भी लगातार लड़ाई चलती रही, आपदा का मौका आया, आपदा के समय भी दोनों गुट एक—दूसरे के ऊपर भरपूर वार करते रहे, किसी ने किसी को नहीं बख्शा, दो के दो गुट, जिसकी मर्जी में जो था, वह करते रहे। कोई दिल्ली, कोई कलकत्ता, कोई बम्बई और कोई इग्लैण्ड घूमता रहा, यहाँ आपदा आई थी, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। माननीय नेता सदन, जो आज हैं, उन्होंने बताया कि आपदा के दिनों में हम लोग यहां पर कुछ नहीं कर रहे थे। मान्यवर, आपदा में हमको कहा गया था कि आपने कोई काम नहीं किया। कल नेता सदन कह रहे थे आपदा को मैं बिन्दु बनाकर गाँव—गाँव जाऊँगा और

बताऊँगा कि आपदा के समय ये सहयोग नहीं करने दे रहे हैं। मान्यवर, आप स्वतंत्र हैं, प्रजातंत्र में, आप गाँव-गाँव, गली-गली कहीं भी आप जा सकते हैं, वो आपका विषय है, लेकिन हमारे भी विषय हैं। 17 तारीख को हमने लिखित पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया था, जबकि सरकार के किसी व्यक्ति को पता नहीं था, किसी भी व्यक्ति को सरकार के, यह पता नहीं था कि आपदा इतनी भयंकर हो गयी है, लोग इतने मर गये हैं। 16 तारीख की पहली घटना और 17 तारीख को 12 बजे हमने माननीय मुख्यमंत्री को अपना पत्र दे दिया था, जिसको 18 तारीख को उन्होंने सर्वदलीय बैठक लगायी उसमें पुनः हमने कहा सेना बुलाइये। हम इतने चौकन्ने थे और हमको नेता सदन कहते हैं कि इस समय आप ऐसी बात ला रहे हैं, आपको लानी नहीं चाहिए थी आपदा का वक्त था। मान्यवर, आपदा के समय भी गुटीय संघर्ष नहीं थमा, कैसे सेंटीमेंट्स होंगी, कैसी भावनाएं होंगी सरकार की कि दोनों गुट आपदा के समय भी लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, सिर्फ 5-7 दिन के लिए थोड़ा सा युद्धविराम हुआ और उस युद्धविराम के बाद लगातार एक-दूसरे पर वार होते रहे और माननीय नेता सदन तो कहते रहे मुझे भजन, कीर्तन की स्वीकृति दे दीजिए, विकास कार्य बिलकुल खत्म हो गया, विकास कार्य चल नहीं रहा है। ये सारी बातें उस समय भी आयीं, जिस समय उच्च संवेदनाएँ इस प्रदेश के साथ होनी चाहिए थीं। हमने देखा कि 17 तारीख को, जो आपदा आयी थी 16 और 17 को, वो सरकार की लापरवाही का उत्कृष्ट नमूना था, उससे कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि किसी ने कोर ग्रुप नहीं बिठाला, एक-दूसरे की खिचाई करते रहे, लेकिन किसी ने कोर ग्रुप नहीं बिठाला, अगर कोर ग्रुप बैठाला होता तो ये नौबत आज नहीं आती, वो नौबत कैसी है, मैं आपको दिखाता हूँ मान्यवर, ये है मान्यवर, (नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ तस्वीरें माननीय अध्यक्ष पीठ की ओर दिखायी गयीं) ये दबी लाशें हैं, आज भी लाशों का ढेर है वहाँ। अगर सरकारी पक्ष बैठता, सरकार देखती, एक-एक करके तस्वीरें हैं, अगर सरकार देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। ये महिला का हाथ। (व्यवधान) मैं तो आपकी बात कह रहा हूँ, अगर आप पुरानी हैं कह रही हैं तो ठीक है। (व्यवधान) ये तो कमरों के अन्दर की तस्वीरें हैं, ये हाथ है और ये पैर की हड्डी है, कमरे के अन्दर जब तोड़ा गया, ये आदमी वैसे सड़ गया, सूख गया है, कमरे में कपड़े पहने हुए हैं, कंकाल हैं, ये दूसरा आदमी जैकेट पहना हुआ है, कंकाल है ये तो हमने तुड़वाया मान्यवर, नेता सदन भी वहां गये थे, नेता सदन को सारी जानकारी थी, अगर नहीं थी तो बताया क्यों नहीं तत्कालीन नेता सदन को, क्यों नहीं कॉंग्रेस के कोर ग्रुप में गये, देश के लोग मर गये, उजड़ गये, घर बरबाद हो गये और देश में मान्यवर, देश में हमारी साख गिरी, उत्तराखण्ड की साख गिरी, कई लोगों ने कहा कि उत्तराखण्ड नहीं जाना चाहिए। ये दरवाजे पर आदमी की टाँग अन्दर की अन्दर और बाहर की बाहर रह गई, ये इस तरह से सूखे घुटने हैं वहाँ पर, घुटने की हड्डी पड़ी हुई हैं।

वहाँ पर हाथ महिला का था उस पर हाथ लगा कर किसी ने उठाया तो हाथ उखड़ गया, कैसी–कैसी वीभत्स तस्वीरें वहाँ की हैं, ये हड्डियों का वहाँ ढेर है। जो कहा गया था कि उन्हें हम वैदिक रीति रिवाज से जलायेंगे, वैदिक रीति रिवाज से हम सब कुछ करेंगे, ये हड्डियों का ढेर है वहाँ। (किसी माननीय सदस्य द्वारा कुछ कहने पर) मान्यवर, माखौल में मत लीजिए यह देश की बात है। मान्यवर, हमने फिर दूसरे मकान की खिड़की तोड़ कर देखी, एक मकान नहीं जिस मकान की जितनी कैपीसिटी है, उस मकान के अन्दर उतने व्यक्ति हैं। सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि हम जी0एस0आई0 की वजह से नहीं कर सकते हैं, जी0एस0आई0 ने कह रखा है कि हाथ मत लगाना। हद हो गई देश के लोग वहाँ खत्म हो गये और आप कहते हैं कि जी0एस0आई0 की वजह से हाथ मत लगाना। मैंने ए0एस0आई0 के लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने कहा कि 30 मीटर बाई 58 मीटर, इससे ज्यादा हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी इतनी ही है, बाकी जी0एस0आई0 देखेगी। ये जो नोडल अधिकारी हैं फोटो में नाक बन्द कर रहे हैं, इतनी बदबू वहाँ पीछे के कमरों में थी। आप अगर देखना चाहें तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। ये अलग–अलग फोटोग्राफ हैं, वहाँ तो आज भी ढेर पड़े हैं। जब ये स्थिति थी तो सरकार में बैठे लोग और सरकार से बाहर लोग और जिस संगठन की सरकार है, वह लोग, कॉंग्रेस पार्टी के वे लोग वहाँ क्या कर रहे थे। क्या नेता सदन ने यहाँ आकर के तत्कालीन नेता सदन को बताया कि वहाँ आज भी ढेर पड़े हैं। हमारे यहाँ से जो लोग भी गये थे, उन्होंने अपनी–अपनी तरफ से सरकार को बताया कि आज भी लाशों का ढेर हैं। गरुड़चट्टी और जंगल चट्टी में आज भी लाशों का ढेर हैं, त्रिजुगी नारायण के एक व्यक्ति अपने लड़के को ढूंढने के लिए जब वहाँ गये तो उनके साथ एक व्यक्ति बेहोश हो गया। वह बेहोश इसलिए हुआ कि करीब–करीब वहाँ पर 30–35 कंकाल थे, वह एक दूसरे को पकड़े हुए थे, वह आज भी वहाँ पड़े हुए हैं, यह स्थिति वहाँ की है। तो इस सरकार को एक सेकेण्ड भी यहाँ रहने का अधिकार नहीं है और साथ में इतना ही नहीं, इस सरकार के कोई भी अंग–प्रत्यंग होते होंगे, चाहे संगठन हो, चाहे सरकार हो। कॉंग्रेस पार्टी पर यह एलीगेशन जाता है। इसलिए एलीगेशन लगता है कि आपने संगठन की तरफ से क्या किया। हम तो विपक्ष में हैं, हमारा काम तो सरकार की आँख खोलना है। हमारा काम जैसे हम अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं, जो छवि खराब हो रही थी, सुधारे अपनी छवि, जो चाहे गिरे या रहे। लेकिन हमको अगाह करना है, हमारा काम सरकार को एक–एक चीज बताना है। एक रात केदारनाथ के क्षेत्र में रहने पर सब की आँख खुलती कि वहाँ की स्थिति क्या है। मैं पैदल गया और पैदल आया अपनी 39 लोगों की टीम के साथ और वहाँ जाकर हमने एक चीज यह देखी कि पानी के नल फटे हैं और रहने के लिए कोई बन्दोबस्त नहीं हैं। जिस दिन वहाँ पर पूजा–पाठ कराई गई, इधर भी

कनात और ऊधर भी कनात लगाये गये, मंदिर से बाहर निकलते समय दाहिनी तरफ और मंदिर को अन्दर जाते समय बाई तरफ। मान्यवर, उन मकानों को आज तक टच नहीं किया गया है। एक व्यक्ति वहाँ के पण्डा, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, सम्भवतः हल्के से दाग उनके हाथ में थे, वे 08 लोगों के साथ अपने मकान पर बिलकुल मंदिर से जब बाहर आते हैं, वह आज भी दफन हैं, हुआ क्या कि उनका लैन्टर टूटा, वे नीचे दब गये, बहुत लोग मरे हैं, मैं एक व्यक्ति की बात बता रहा हूँ। (माननीय सदस्य श्रीमती शैलारानी रावत द्वारा बैठे–बैठे कुछ कहने पर) आप तो वहाँ की हैं, आपको तो और भी संवेदनशील होना चाहिए। (व्यवधान) माननीय रावत जी, जो आप कह रही हैं कि वहां पर अब क्या होना चाहिए ? यह तो सरकार को सोचना है। क्या आप मुझे बोलने से रोक लेंगी ? यदि आपको बुरा लग रहा है तो आप ही बोल लें। (व्यवधान) आप बीच में बात न करें और मैं भी बाद में बात नहीं करूंगा। मान्यवर, मैं उस व्यक्ति का नाम भूल रहा हूँ, वैसे वह तिवारी जी हैं। यदि उनका नाम याद आ जायेगा तो बता दूँगा। वे अपने परिवार के आठ लोगों के साथ तीन दिन तक तड़पते रहे। जब उनको सुविधा नहीं मिली तो तिवारी जी ने दम तोड़ दिया। उनके मकान का लेंटर टूट गया तो उनको नीचे स्पेश मिल गया और वे नीचे से चिल्लाते रहे बचाओ–बचाओ करके तीन दिनों तक, लेकिन वहां पर सरकार का एक भी नुमाइंदा नहीं गया। जो ऊपर रहने वाले लोग थे, उन्होंने बताया कि हम खुद जख्मी थे। हम उस समय कुछ भी नहीं कर सकते थे और हमारे पास कोई साधन नहीं थे, जिससे हम उनको नहीं बचा पायें। वहां ऐसी स्थिति हो गयी थी तो सरकार कैसे कह सकती है कि हमने वहां पर काम किया है ? और आपका कहना है कि यह तस्वीर झूठी हैं। मैं आज पूरे सदन के सामने एक घोषणा करना चाहता हूँ, अगर यह तस्वीरें 27 एवं 28 अक्टूबर की नहीं होंगी या मैं इस तिथि को वहां नहीं रहा हूँगा और ये बॉडी नहीं होगी तो मैं हमेशा–हमेशा के लिए राजनीति नहीं करूंगा और राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। (व्यवधान) पिछली बार भी कहा गया था कि ये तस्वीरें गलत हैं। आज फिर कहा गया है कि ये पुरानी तस्वीरें हैं। हमने तो सदन में रख दिया है, साबित करने का काम आपका है। यदि कोई कहे यह झूठ हैं तो उसको भी देख लें। (व्यवधान) मैं वहां जाकर बोलूँगा कि जब आपकी बात सदन में रखी जा रही थी तो कॉंग्रेस के लोग इसका मजाक बना रहे थे। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें। कृपया शान्त हो जाएं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उस व्यक्ति का नाम दर्शन लाल तिवारी था। (व्यवधान) पर्ची नहीं केदारनाथ के लोग बाहर बैठे हैं और वह सुन भी रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है ? उन्होंने चेम्बर से सुना होगा तो नाम भेज दिया है। तिवारी जी के परिजन और रिश्तेदार तीन–तीन दिन तक चिल्लाते रहे और यह वहां के लोगों ने हमें बताया है। ऐसी स्थिति में सरकार तीन दिन तक कुछ भी नहीं कर पायी है। जबकि हमने सेना बुलाने के लिए कहा। मैंने माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को टेलीफोन किया और अपने केन्द्रीय नेताओं को टेलीफोन किया, माननीय राजनाथ सिंह जी को और उन्होंने गृह मंत्री जी से बात की और उनसे कहा कि कम हेलीकॉप्टर से काम नहीं होगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी सबसे पहले हेलीकॉप्टर से वहां पर गये और अपने देश के प्रधानमंत्री से बात की और हमारे नेताओं को सूचना दी। आखिर जिम्मेदारी सबकी है, चाहे हम विपक्ष में हैं तो हमें आपको आगाह करने की जिम्मेदारी थी। इतना बताने के बाद भी सरकार के सब लोग सुन्न हो गये और जिस तरीके से वहां पर काम होना चाहिए था उस तरीके से वहां पर काम नहीं हुआ। आज भी केदारनाथ में सोनप्रयाग तथा गौरीकुण्ड की सड़क नहीं खुली है। आठ महीने हो गये हैं और लोगों के पास छत नहीं हैं और वहां पर बर्फ गिर रही है। पूर्व के माननीय नेता सदन वहां गये थे और आज के माननीय नेता सदन वहां जाकर आयें हैं और इन्होंने शुरुआत वहीं से की है। मान्यवर, सैमीगाँव सरक रहे हैं और जब हम वहां गये थे तो गाँव चटक रहा था। मान्यवर, इसी तरह से थराली सरक रही है, जहाँ से नेता सदन जी ने बात की तो लगभग 278 मकान अभी हमको शिफ्ट करने हैं, पुनर्वासित करने हैं, कई लोगों ने यहाँ आकर घड़ियाली आँसू बहाए, रोना–धोना करा, कहा फॉरेस्ट लैण्ड दे देंगे, लेकिन आज तक दी नहीं गई। हमारी सरकार, मैं हमारी सरकार इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे किसी दल की सरकार हो, हमारी सरकार है, चाहे कॉंग्रेस पार्टी की सरकार हो, लेकिन जब सरकार इसके अन्दर बैठती है तो हमारी सरकार, जब काम करती है तो हमारी सरकार, सबकी सरकार, तो हमारी सरकार ने 8 हजार करोड़ रुपये पुनर्वास के लिए केन्द्र से मांग की थी, जो आज भी यहाँ पर दर्ज है, लिखा हुआ है और पुनर्निर्माण की भी बात की थी तो पुनर्निर्माण के लिए कुछ पैसा आने की बात है लेकिन जिनको हमें विस्थापित करना था, जिन लोगों को रिहैबिलीटेशन कराना था, उनको आज तक एक नया पैसा नहीं दिया गया, तो यह सरकार बताये, सरकार को तो यहाँ पर एक मिनट भी रहने का हक नहीं है, सरकार बताये कि 278 में से कितनों को पुनर्वासित कर दिया, कहाँ–कहाँ लोगों को डाल दिया, टेन्ट में लोग रह रहे हैं, ऊपर से बर्फ गिर रही है, कभी कहा आपने कि हम प्रीफैब्रिकेटड देंगे, कभी कहा हम 5 लाख रुपया देंगे, तो क्यों तड़प रहे हैं लोग, क्यों सड़कों

पर आ रहे हैं लोग, उत्तरकाशी के लोग, रुद्रप्रयाग के लोग, चमोली के लोग, धारचूला के लोग क्यों आ रहे हैं सड़कों पर, यदि सब कुछ दुरुस्त है तो। यह स्थिति कर दी और इसकी गम्भीरता को देखते हुए मैं समझता हूँ कि वर्तमान नेता सदन ने वहीं से अपना दौरा प्रारम्भ किया, लेकिन उस दौरे के अभी तो कोई परिणाम नहीं आये हैं, अभी इंतजार है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या माननीय नेता सदन को इतनी शक्ति नहीं है कि वे केन्द्र में मंत्री रहे हैं, पॉवरफुल लोगों में कहे जाते हैं और पॉवरफुल हैं और भारत का जो मंत्री रहा हो, साधारण हैसियत नहीं रखता है, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार की बहुत बड़ी ताकत होती है तो क्या आप 8 हजार करोड़ रुपये की मांग पुनर्वास के लिए नहीं कर पाये, क्या आप जब वहाँ पर मंत्री थे, कोई माँग रखी ? जब आपदा का दौर प्रदेश में चल रहा था तो आपने क्या किया प्रदेश के लिए ? क्या यहाँ के मंत्रीगण या पाँच सांसद को लेकर के आपने कोई दबाव बनाया कि 8 हजार करोड़ रुपये दीजिए, तो कौन हमारा वहाँ पर प्रतिनिधि है, कौन बोलेगा वहाँ पर, जो पाँच सांसद गये हैं, वही तो बोलेंगे, आप श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को भी साथ में बुला सकते थे, इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं, दलगत राजनीति का कोई मतलब नहीं है, ऐसे मौके पर हम सब लोग एक हैं, इसलिए सारे लोग एक साथ जाते और कहते कि 8 हजार करोड़ रुपये दीजिए, 8 हजार करोड़ रुपया नहीं तो 5–6–7 कुछ तो दीजिए, पुनर्वास के लिए कुछ तो दीजिए, लेकिन जो वर्तमान में बजट आया है तो इस बजट में भी आपके पुनर्वास के लिए एक नया पैसा नहीं है। मान्यवर, कल हम बहुत आशावान थे और माननीय नेता सदन ने कहा कि यह तो अनुपूरक बजट है, बाद में शायद इसमें कुछ देगा, लेकिन जितनी रेल लाइन हमारी चल रही हैं, गौचर में हवाई पट्टी पर रेल लाइन का उद्घाटन कर दिया गया, इतना बड़ा तामझाम निकाला गया, टेन्ट हाउस लगाये गये और वह ऋषिकेश वाली लाइन आज तक आगे नहीं बढ़ी, टनकपुर–बागेश्वर वाली रेल अपनी–अपनी जगह है, टनकपुर–खटीमा का ट्रैक आगे नहीं बढ़ा। हमारा कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी ऐक्टिंग रेल के मामले में की गई कि हमने यह कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आपदा के मामले में क्या हुआ, कितने लोग मिले केन्द्र में आपदा के मामले में, कब–कब मिले, क्या देने को कहा, आज भी आपदा के मामले में आपके आँकड़े क्या कहते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन हमारे आँकड़े कहते हैं कि 4200 गाँव में रास्ते आज भी नहीं हैं, 1840 मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हैं मान्यवर, आज भी 9 हजार किलोमीटर सड़क चलने लायक नहीं है, 34,700 गाँव में बिजली के पोल ध्वस्त हैं, 967 गाँवों में पेयजल से प्रभावित हैं। आज भी आपके क्या आँकड़े हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन जो हमारे आँकड़े हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक यहां पर 500 करोड़ रु0 से भी अधिक देश के दानदाताओं ने दिया है, लेकिन उसका उपयोग क्या हो रहा है। हमने इसका यूज पुनर्वासित करने में किया। अभी एक

सैनिक फार्म का मामला दो दिन पहले इसी सदन में आया था, इस पर माननीय नेता सदन ने कहा था कि हम यहां पर वन गुर्जरों को बसायेंगे, खत्ता वालों को बसायेंगे, गोट वालों को बसायेंगे। इसमें हमने जबर्दस्त विरोध किया। इस सम्बन्ध में हमने सरकार से कहा था कि आप नयी टाउनशिप बसाइये। हम गरीबों के, भूमिहीनों के, खत्ता वालों के, वन गुर्जरों के किसी के भी विरोधी नहीं हैं। हमें विरोध करने का कोई राइट नहीं है, चूँकि ये लोग भी हमारे लोग हैं। प्रदेश में कोई भी गरीब हो, अभाव ग्रस्त हो, जो दो जून की रोटी के लिए लालायित हो, जिसके पास सर ढकने को मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन एक को उजाड़ कर दूसरे की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, इसी सदन में बाद में फौजियों की जमीन को उनको देने का आदेश किया और सरकार ने एडमिट किया। यह हमारा नैतिक कर्तव्य था, यदि सरकार देर करती तो कुछ भी हो सकता था, चूँकि हमको इस सरकार पर भरोसा नहीं है, इस सरकार पर विश्वास नहीं है, भूमिहीन के मामलों में, पता नहीं यह सरकार एक मिनट में क्या कर दे। मान्यवर, मैंने पहले इसीलिए पूछा कि क्या सैमी गाँव के लोगों का रिहैबिलिटेशन हो गया, क्या थराली के लोगों का हो गया, क्या चमोली जिले के लोग जिनको हमने बसाने की बात कही थी, उनक रिहैबिलिटेशन हो गया, क्या दारमा, व्यास, चौंदास घाटियों में से लोग विस्थापित होकर नीचे आये थे, क्या उनको विस्थापन के लिए हमने कोई भूमि एलॉट कर दी ? मान्यवर, हमने इसीलिए कहा था कि नई टाउनशिप बसाइये और कहीं पर जंगल हैं तो उनको ढूंढिये, नये खत्ते हैं तो उनको ढूंढिये, वहां पर इन लोगों को बसाइये, हमने ऐसे सुझाव दिये थे। मान्यवर, भारत सरकार की माननीय वन मंत्री जी यहां पर आयी थीं और उन्होंने बहुत ही जोर–शोर से कहा था कि यदि कहीं पर भी जमीन होती है तो उस जमीन को हम सीधे–सीधे आपको दे देंगे और आप उसका डिफोरेस्ट्रेशन करवा दीजिए। मान्यवर, आज इसमें अड़ंगा आ गया है, अब ऐसी भूमि देने की तैयारी नहीं है, उस समय मामला ताजा–ताजा था, इसलिए कहा गया कि हम जमीन देंगे। मान्यवर, मैं चार धाम यात्रा की बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा से इतनी बड़ी त्रासदी आने के बाद चार धाम जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ होगा, मैंने कई लोगों से पूछा कि इस सीक्वेंस में कोई चार धाम गया, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदानाथ और बद्रीनाथ, शायद कोई नहीं गये होंगे। मैंने वहां की सड़कें देखी, वहां के लोगों की बातें सुनी, लोग वहां पर भूख से तड़प रहे हैं। मान्यवर, बजट में आपने लिखा है कि हम आपदाग्रस्त लोगों के ऋण रोक रहे हैं। मान्यवर, आज ही ऋण का एक पत्र, हमने उसको नियम 58 के अन्तर्गत लगाया है, वह तो अब आना मुश्किल लग रहा है, कल अगर हाउस चलेगा तो देंगे, आपकी कृपा रहेगी। तो ऋण वसूली आ गयी वहाँ पर, अभी 2 दिन पहले। मान्यवर, यह सरकार का कागज है और

ऋण वसूली का कागज हमारे पास आया है। प्रेम अग्रवाल जी, जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसको आपको उपलब्ध कराएंगे। प्रेम अग्रवाल जी ने लिखित रूप में यहाँ पर दिया था, किन्हीं कारणों से शायद वह आज नहीं आ पाएगा, कल को फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे सरकार की आँख खोलने के लिए। 4 दिन पहले सरकार कहती है कि एक साल के लिए हमने सारा ऋण फ्रीज कर दिया है, वहाँ वसूली आ गयी। लोगों ने दिया है, बाकायदा उनके नोटिसेज आये हैं। यह सरकार का हाल है। कैसे इस सरकार पर विश्वास किया जा सकता है, यह स्थिति जब इस सरकार के अन्तर्गत हो गयी है। कहा कि हम आलू खरीद लेंगे गंगोत्री में, सेब खरीद लेंगे। हम वहाँ गये थे, तो जो आलू थे, वह कुछ ठेकेदारों ने खरीदा, वह सड़ रहा था। खेतों में कोई नहीं गया। गढ़वाल मण्डल विकास निगम ने जिन किसानों से खरीदना था, उनसे नहीं खरीदा। खैरादी से लेकर पूरी गंगोत्री घाटी तबाह हो गयी, जितने लोग अपनी रोजी-रोटी का व्यवसाय चलाते थे, वह भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने समझा कोई सरकार का आदमी आ गया, घेर लिया हमको। चारों धाम खतरे में हैं और कल की बारिश और बर्फ ने पूरी पोल खोल कर रख दी इस सरकार की, जब चारों धाम के मार्ग बन्द हो गये। बी0आर0ओ0 को बजट देने की बात करते हैं, 700 से 800 लोग बी0आर0ओ0 ने निकाल दिये, आज काम बन्द हो गया है वहाँ। जो केन्द्र के लोग कहते थे कि हमने बी0आर0ओ0 को बजट दे दिया, हम सड़कें दुरुस्त करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। न तो यह सरकार ला पाई और न केन्द्र सरकार दे पायी, यह स्थिति चार धाम की हो गयी है। हेम कुण्ड साहिब में कम से कम एक महीने तक खच्चर फँसे रहे करीब 800 से 900 तक, लोग तो ढाई हजार की संख्या बताते हैं, लेकिन फंसे रहे। किसी को परवाह नहीं। लामबगड़ तबाह हो गया। उधर गौरीकुण्ड तबाह हो गया। आपका उत्तरकाशी तबाह हो गया बुरी तरह से। गंगोत्री मन्दिर को आज खतरा है, यमुनोत्री मन्दिर को आज खतरा है। ऊपर से कालिन्दी पर्वत यमुनोत्री में नीचे को आ रहा है। केदानाथ में तो जाने को रास्ता ही नहीं है। जो रास्ता बनाया भी है, वह कहाँ पर बनाया है, ग्लेशियर प्वाइंट पर। वह रास्ता ग्लेशियर प्वाइंट पर बना है। नहीं चल पाएगी यात्रा, जिस कछुआ चाल से सरकार चल रही है। काम बन्द हैं वहाँ। हमने राय दी सेना को दो, केदारनाथ हाई एल्टीट्यूड में है। वहाँ पर आम आदमी, हमारा सरकारी आदमी काम नहीं कर सकता है। हम लोग नहीं जा सकते हैं। हमारे अधिकारी 10 दिन से ज्यादा नहीं रह पा रहे हैं। बीमार पड़ जा रहे हैं, सुविधाएं नहीं हैं। हाई एल्टीट्यूड में रहने की उनकी आदत नहीं है। सेना के जवानों को परफेक्ट किया जाता है इसमें, उनको सिखाया जाता है। 8-10 दिन से ज्यादा वे भी नहीं रहते हैं। 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन तक उनकी कैपेसिटी है। तो 20-20 दिन के बाद वे बदलते रहते हैं। वह बात आज तक मानी नहीं गयी। मान्यवर, आपदा के समय मजाक कैसी हुई,

राहत कमिश्नर 4-4 बनाकर भेजे गये, रुद्रप्रयाग कई दिनों तक बिना जिलाधिकारी के रहा, कोई सुनने वाला भी नहीं था। जो राहत कमिश्नर बनाकर भेजे गये, उन्होंने जाने से साफ इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाते हैं। यानी कि सामने से पाकिस्तान है, गोलियाँ चल रही हैं और ड्यूटी लग रही है, मोर्चा संभालो और जवान कह रहे हैं, साहब नहीं-नहीं, मैं नहीं जाता। तब तो हो गया, कैसे हम सुरक्षित रहेंगे ? 3 दिन, 4 दिन के बाद राहत प्रारम्भ हुई, जो उसी समय होनी थी। जो हल्के-फुल्के घायल थे, जो जिन्दा थे, उनसे कह दिया कि जो चल रहे हैं, उनको हम ले जाएंगे। जो दबे हुए हैं, उनको नहीं दिखेंगे जो आज भी मकानों में कंकाल के रूप में दबे हैं, उसमें से कई बचाये जा सकते थे। जो भूख-प्यास से जंगलचट्टी और गरुड़चट्टी की ओर भागे, वह खत्म हो गये, रेस्क्यू नहीं मिल पाया। (माननीय सदस्य श्री ललित फर्स्वाण के अपने स्थान पर बैठे-बैठे कुछ कहे जाने पर) आप रोक लोगे क्या, उस दिन 310 पर बोले थे और आज अविश्वास पर बोल रहे हैं। (व्यवधान) ऐसा है, नये सदस्य सीख भी लें, अविश्वास प्रस्ताव पर हम सारी चीज बोल सकते हैं। कभी-कभी सीख भी लिया करो, स्वामी भक्ति में इतना भी न जाओ, तुम जहाँ हो, सबको पता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें, माननीय भट्ट जी, आप बोलें, समय कम है।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, सदन व्यवस्थित हो जाय तो बोलूं। मान्यवर, केदारनाथ में लगभग 10 हजार लोग मरे, आपने भी कहा था कि यह संख्या 10 हजार से भी ऊपर जा सकती है, जो उस समय आपने रूलिंग दी, पूरे प्रदेश में जा-जाकर आप बोले, जो आपने कहा, आज आपका कद पूरे उत्तराखण्ड में बढ़ा है। आप उत्तराखण्ड प्रेम के खातिर मर्यादा को भी लांघकर बाहर गये, अगर किसी में दिल होगा और वह उत्तराखण्ड से प्यार करेगा, वह अपनी मर्यादा से आगे जाकर भी बोल सकता है, उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, आपने एक-एक चीज पर पीठ की तरफ से सरकार को जो निर्देशित किया, सरकार का जो एक किस्म से आपरेशन किया और सरकार से कहा कि ठीक रास्ते पर चलो, नहीं तो औंधे गिरोगे, वह आपके ही माद्दे और हिम्मत की बात थी और कोई ऐसा नहीं कह सकता है। हर जगह पर आपने एक इतिहास कायम किया है।

मान्यवर, गौरीकुंड में दो से तीन हजार तक लोग थे, केदारनाथ में 10 हजार और रामबाड़ा में 5 हजार लोग उस दिन बताये गये थे। कुछ लोग गरुड़चट्टी और जंगलचट्टी की ओर बढ़े और चार-पाँच दिन बाद ताशी गाँव तक पहुँचे और वहाँ पर भूख-प्यास से उन्होंने दम तोड़ दिया। हमने जो

17 तारीख को पत्र दिया था, हमने उसमें लिखा था कि तत्काल प्रभाव से राहत और सहायता के लिए सेना को बुलाया जाय, जहाँ यात्री फँसे हैं, वहां से यात्रियों को प्राथमिकता से निकाला जाय, जिन स्थानों पर हेलीकॉप्टरों से यात्री निकाले जा सकते हैं, उन स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रारम्भ की जाय। पानी की बोतलें और खाद्य सामग्री को हेलीकाप्टरों से जहाँ पर यात्री फँसे हैं, जगह–जगह पर छोड़ा जाय। जहाँ–जहाँ गाँवों का सम्पर्क कट चुका है, खाद्यान्न की कमी हो गई है, वहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाद्यान्न, पानी की बोतलें, दवाईयाँ, गरम कपड़े भेजे जाएं। मृतकों और घायलों को तुरन्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएं, नुकसान का पूरा आकलन तैयार किया जाय। यदि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी हो तो अन्य क्षेत्रों से अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया जाय। सरकार ने किया क्या, 30 दिन के बाद अलग–अलग जोन बनाये और एक अतिरिक्त जिलाधिकारी की पॉवर देकर धारचूला, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में बैठाया गया। इन क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए जब हमने दबाव बनाया तो 40 दिन के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र अधिसूचित किया गया। यह सरकार का आपदाग्रस्त क्षेत्र और वहां के लोगों के प्रति प्रेम था। मान्यवर, मुझे आज भी दैवीय आपदा से जिला पंचायत, चाहे बाछम हो, कपकोट का इलाका हो, चाहे उत्तरकाशी का हो, चाहे कहीं का हो, मैंने 01–01 फोटोकॉपी हर जगह की रखी हुई है ताकि यह रिकार्ड में रहे, सरकार यह न कहने पाये कि आप लोगों ने कुछ किया नहीं तो तमाम चीजें, एक–एक चीजें हमने अपने पास रिकार्ड में रखी हुई हैं, ताकि सब लोगों को उसको दिखाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

एक घण्टा होने को है, माननीय भट्ट जी, समाप्त करिये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी तो बहुत है मान्यवर, पिछली सरकार की भी कमियाँ खोलिए, सरकार तो सरकार है, पिछली सरकार की कमियों को अगली सरकार को दुरुस्त करना पड़ता है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब मान्यवर, यह सरकार जितने दिन भी रही, कॉंग्रेस की सरकार, इसमें लॉ एण्ड आर्डर की कैसी हालत हो गयी, कानून–व्यवस्था कैसी हो गयी, पूरी तरह से चरमरा गयी, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कभी भी किसी समय कुछ भी हो सकता है। थाने इस सरकार में बिक रहे थे, मैंने इसी सदन में कहा थाने बिक रहे हैं। जिस प्रदेश में जिस अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी है, जिले को ठीक करना, अगर वो एस0एस0पी0 या फिर पुलिस का बड़ा अधिकारी थाने बेचता हो, भूमि के काम करता हो, जमीनों के जो सौदागर हैं, उनके साथ सॉंठ–गाँठ करता हो, वो प्रदेश कैसे चलेगा। मान्यवर, अगर किसी ने अपनी ड्यूटी निभायी, किसी पुलिस अफसर ने और उसको कहता हो कि तूने ये काम नहीं किया व्यक्तिगत काम,

उसको उठा के कहीं फेंक देता हो, कैसे वो प्रदेश चलेगा मान्यवर, यह विचारणीय प्रश्न है हम सब लोगों के लिए। मैंने इसी सदन में कहा था कि कुछ लोग जो थाने बेच रहे हैं, उनको हटाइये, फाइल तलब कराने को तत्कालीन नेता सदन ने कहा था और उसके बाद जब एक माननीय मंत्री रुद्रपुर में बैठे और उन्होंने हमारी बात को डिटो किया कि थाने बिक रहे हैं तो उसके बाद उस अधिकारी को वहाँ से हटाया गया, यह स्थिति है मान्यवर, जब थाने बिकेंगे, प्रदेश कैसे रहेगा। एक माननीय मंत्री जी के पी0आर0ओ0 युद्धवीर सिंह की हत्या दिन दहाड़े, वो कहां हुई, राजपुर रोड में ईद के दिन, ईद के दिन जब चप्पे-चप्पे पर पुलिस होती है और राजपुर जैसे जो व्यस्त रहने वाली सड़क है, वहां पर मान्यवर, एक मंत्री जो हैं, उनके पूर्व पी0आर0ओ0 की हत्या हो गयी। वो गुत्थी क्या थी? हमने कहा जब तक यह गुत्थी पता नहीं लगेगी, यह सुलझेगा नहीं, सुलझाया नहीं, हत्यारोपी पकड़ा गया, लेकिन क्यों मारा, किसने मारा, पैसे का घपला क्या था, कौन से मेडिकल कॉलेज से कितने एडमीशन होते थे जो वो बात आयी, वो बात आज तक दबी रही। हमने कहा कि जब तक सी0बी0आई0 इंक्वायरी या उच्च स्तरीय इंक्वायरी नहीं होगी, तब तक इसका पता नहीं लगेगा। आपदा के समय भी सरकार शराब के लाइसेन्स बाँटती रही, डिस्टलरी देती रही और 04 जुलाई को जून के बाद सिडकुल में फिर से प्लॉट बेचने चालू हो गये। तीन हजार चार सौ, चार हजार पाँच सौ तथा 32 सौ वर्ग मीटर के 38 सौ के प्लॉट 12 प्रति वर्ग मीटर की दर से पुनः सरकार ने यह धंधा अपना प्रारम्भ कर दिया। खाद्यान्न के मामले में आपदा के समय जो किट बनाये, हमने वो किट पकड़ाये, जो किट था, प्रति किट 140 रुपये का प्राफिट सरकार ने लिया। उसके बाद उसमें जाँच बैठा ली गयी और जाँच में क्या होता है मान्यवर, हम जानते हैं और वो किट आज तक भी वहाँ नहीं पहुँची, लोगों के बीच में। लोगों ने बताया आज भी नहीं आया। अनाज को सड़ा दिया गया, बहा दिया गया। देश के विभिन्न राज्यों से इतना अनाज आया, गंगा जी में डाल दिया, कहीं गोरी में डाल दिया, कहीं काली में डाल दिया। इस तरह से अनाज को वहां पर बहाया गया, ये मजाक बनाया गया। खनन को निजी हाथों में देने का पूरा पक्का बंदोबस्त कर दिया। स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियाँ हुई और स्वास्थ्य विभाग में जो डेंटल सर्जन थे, उनको बना दिया गया फिजीशियन और कोर्ट में लोग गये तो 100, 150 लोग वापस हो गये। मान्यवर, जहाँ पर डॉक्टर नहीं हैं, आज लोग परेशान हैं, चार जिलों में कम से कम वहाँ पर हमको अच्छी सुविधायें देनी चाहिए थी, वह खत्म कर दिया गया। सरकार की एक भूल के कारण पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ा। अगर वह फिजीशियन नहीं थे तो उनको डेन्टल के नाम से जाना चाहिए था। मान्यवर, 14 जनवरी, 2013 को एक बहुत बड़ा आयोजन गैरसैंण में हुआ, उससे पहले वहाँ पर कैबिनेट हुई, कैबिनेट में भी आठ-दस करोड़ खर्च किये गये, उसके बाद जो वहाँ पर शिलान्यास हुआ उसमें आपने निमंत्रण दिया था, मैं भी गया, मैंने अपनी पार्टी के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जरूर जाइये, जाना चाहिए और जो तुम्हारे मन में आये डिसाइड

कर देना। हमने उस दिन खुलेआम कहा लोगों से कि आप इसको राजधानी बना दें कुछ भी बनाईये, ग्रीष्मकालीन बनायें, शीतकालीन बनायें, पक्की राजधानी बनायें, कच्ची राजधानी बनायें, लेकिन आज तक सरकार ने वहाँ नहीं बनाया, वह शिलान्यास का पत्थर तक हटा दिया था। आपको उसमें दखल करना पड़ा, मुझको गैरसैंण जाना पड़ा और गैरसैंण जाकर उन पत्थरों की इन्क्वारी करनी पड़ी और फिर इस साल आपको पुनः शिलान्यास करना पड़ा मान्यवर, आज तक वहाँ पर एक ईंट नहीं लगी है। आप तो अपने फर्ज के खातिर गये थे क्योंकि विधान भवन का शिलान्यास था और बनाना इस सरकार को था। एक भवन वहाँ बनेगा, एक भवन में हम बैठे हैं और एक भवन रायपुर में बन रहा है, पैसा रिलीज हो गया, लेखानुदान में 25 करोड़ इसके लिए भी उस समय बजट में प्राविजन किया गया था, वह आया कि नहीं आया यह दीगर बात है, लेकिन ऊपर के लिए पैसा रिलीज भी हो गया। लेकिन ईंट आज तक एक भी नहीं लगी, आज तक भी काम वहाँ एक नहीं हुआ। आखिर क्या मैसेज देना चाहती है सरकार, यहाँ के भावनात्मक मुद्दों को सिर्फ 2014 के चुनाव के लिए ढाल बनाकर सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए, वोट पाने के लिए सिर्फ यह नीति आज सरकार की रह गई है। मान्यवर, राजधानी के मामले में आप जितनी स्पष्टता से बोले और जितना आपने खुलेआम लोगों को बताया तो इससे प्रदेश में जो मैंने पहले भी कहा था आपका कद बहुत बड़ा बना। बल्कि हम तो यह सोच रहे थे कि कहीं आप ही नेता सदन बन के आप ही बीच में न आ जायें। इस टाईप से सारे लोग कहने लग गये थे कि हाँ, कुंजवाल जी जैसे ले रहे हैं, एक सत्यवादी आदमी, कम से कम कॉंग्रेस पार्टी के अन्दर और सरकार के अन्दर जो पीठ पर हैं, कम से कम पीठ पर बैठकर एक व्यक्ति विक्रमादित्य की तरह से सही तो बोलते हैं। ये पूरे प्रदेश में एक मैसेज गया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें, पूरा एक घण्टा हो गया है, और लोग भी बोलेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी थोड़ा सा रह गया है। अब हमारी सरकार ने, अविश्वसनीय कैसे कार्य करते हैं, अभी जो शिलान्यास करे, 1400 या जितने भी शिलान्यास करे। मैंने सारे जिलाधिकारियों को, मान्यवर, हमको राइट है, सरकार तो ऐसी है कि कल कहेगी मेरा डॉक्यूमेन्ट बिना पूछे मत देना, यह तो अच्छा है कि सूचना का अधिकार है, हम कहीं न कहीं से ले लेते हैं। तो मैंने सारे जिलाधिकारियों से जिलों से मंगाये, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को इसका अधिकार है। तो अधिकांश काम ऐसे हैं जो काम पूरे हो चुके हैं या वह काम बहुत पहले के स्वीकृत हैं। एक शिलान्यास के बारे में, मैंने सब के बारे में कहा, यहाँ कोई डर और भय नहीं है, अपने लिए तो कहा नहीं, सरकार की आँख खोलने के लिए कहा। हमारे पुतले भी खूब जले, हमें मजा भी आया और मुझे लगा शायद

मैं भी नेता होने लगा हूँ कि पुतले जलने लगे हैं। पहले से तो जिनके पुतले जलते थे उनको नेता मानते थे। हमने कहा कि कुछ पैसा जो खर्च हो चुका है पिथौरागढ़ में, उस दिन भी सदन में बात कही तो उसको बिना जी0ओ0 के बिना कोई रिपोर्ट के शिफ्ट कर दिया। मेडिकल एजुकेशन का बजट अलग होता है और मेडिकल विभाग का बजट अलग होता है। जब आप इधर का बजट उधर डालेंगे तो कैसे करेंगे? जो काम दो साल पहले वहाँ पर हो गया है उस काम को आगे कैसे करेंगे? इसका मैंने उदाहरण दिया कि दो करोड़ साठ लाख रुपया खर्च हो गया, माननीय विधायक जी ने कहा एक ही करोड़ हुआ। लेकिन यह सरकारी पैसा है, जमीन पर लग गया है, उत्तराखण्ड के एक-एक व्यक्ति का है, हर व्यक्ति जो टैक्स देता है, उसका है, जो गाड़ी में जाता है, रोडवेज की, जो टैक्सी में जाता है या जो कहीं पर अस्पताल में जाता है, वह पर्चा कटाता है। मान्यवर, वह टैक्स के रूप में आता है। अगर यहां का कोई व्यापारी वहां से दाल, आटा, चीनी, सब्जी, रोटी, कपड़ा और चावल खरीदता है तो वह टैक्स देता है। यह सरकार उस टैक्स के पैसे को और आम गरीब के पैसे को किस तरीके से बहा रही है और बरबाद कर रही है और यह उदाहरण इसमें देखने को मिला है। मैंने बताया है कि जो शिलान्यास किया गया है, उसमें कम से कम दस करोड़ खर्च हुए हैं। इसमें एक करोड़ रुपये के पत्थर ही पत्थर लगे हैं। मैंने पिछले दिनों उसके आँकड़े भी यहां पर दे दिये थे। अगर इससे कम पैसा लगा है तो उसमें सरकार को यहां पर बताना चाहिए और यह भी बताना चाहिए आपने जो यहां पर शिलान्यास किया है उसमें कितना खर्च आया है? हमने तो यहां पर सरकार को खर्च बताया है वह है प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चार करोड़ रुपये, केवल प्रचार करने पर, हैलीकॉप्टर का खर्च पाँच करोड़ रुपये, अधिकारियों के गाड़ियों में पेट्रोल/डीजल का खर्च एक करोड़ रुपये, अगर समस्त अधिकारियों का एक दिन का वेतन लिया जाय तो 95 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक, पत्थर लिखाई पर खर्चा एक करोड़ रुपये, पण्डाल एवं भोजन इत्यादि पर खर्च पाँच लाख रुपये, इसमें कुल खर्च जो आया है हमारे हिसाब से वह 12.50 करोड़ रुपये, अगर हमारा हिसाब गलत है तो सरकार बताये। मान्यवर, सदन में बोलने का एक और फायदा हुआ है कि मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि गैरसैंण की कैबिनेट की एक दिन की बैठक में भोजन में लगभग 02 लाख 21 हजार रुपये का खर्च किया गया, जिसका भुगतान गढ़वाल मण्डल विकास निगम को चार-पाँच दिन पहले तक नहीं किया गया था, जब मैं सामान्य बजट में बोल रहा था तो उस समय आपसे कहा था। उसमें आपकी बड़ी कृपा रही, जैसे ही मैंने यहां पर रखा वैसे ही उन लोगों को 02 लाख 21 हजार रुपये का भुगतान हो गया। जो पैसा उनको 13 महीने से नहीं मिल रहा था वह पैसा चला गया और मैं समझता हूँ कि विधान सभा सचिवालय के द्वारा वहां का पेमेंट हुआ होगा। आखिर हमने

वहां पर इतना खर्चा कर दिया और वहां पर एक ईंट भी नहीं लगा पाये। हम इस प्रकार से क्या संदेश लेना चाहते हैं? मान्यवर, एक एम्स बनाने की बात आयी है और मैं कहता हूँ कि शुरूआती दौर में यहां कॉंग्रेस पार्टी थी ही नहीं, हम तो शुरूआती दौर में जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसका श्रेय कॉंग्रेस को देना चाहते हैं तो धीरे-धीरे वह नहीं कर पायी है और आज पूरे देश में इनकी दुर्गति भी हो रही है और जो लाले पड़ रहे हैं वह सबको पता है। लेकिन जो काम करता है उसको श्रेय देने में क्या बुराई है? अगर माननीया श्रीमती सुषमा स्वराज जी, माननीय खण्डूड़ी जी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री निशंक जी देश के 6 स्वीकृत एम्स में से एक एम्स हमारे इतने छोटे प्रदेश में ले आये। उसमें दो-तीन साल तक बजट नहीं दिया गया। उसका शिलान्यास हो गया और उसमें सब कुछ हो गया लेकिन उसके शिलान्यास में श्रीमती सुषमा जी का नाम तक नहीं लिया गया। अरे, वह कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़े लायी थीं या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही वहां पर सर्विस में लग रहे हैं, या उसके अन्दर हम ही लोग जायेंगे? वह तो सारे लोगों के लिये हैं। मान्यवर, अटल आवास योजना चलाई थी, वह आपने काट दिया, दीन दयाल आवास चलाई, वह आपने काट दिया। अटल आवास चलाई थी अनुसूचित जाति के भाईयों के लिए क्योंकि इन्दिरा आवास केन्द्र से लिमिट मात्रा में आता था और हमारे जो सवर्ण लोग हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है और वे भी बहुत गरीब होते हैं। वह दीन दयाल आवास में थे, वह भी आपने काट दिये। माननीय खण्डूड़ी जी एक स्थानान्तरण नीति लाये थे, इस सरकार ने बहुत ही बेदर्दी से उसको भी काट दिया। इस एक्ट को यहां से खत्म कर दिया है। जब कोई सरकार एक्ट बनाती है, उस एक्ट में कमी है तो संशोधन कर ले और हमने लोकायुक्त के बारे में भी कहा था कि यदि इसमें कमी है तो सरकार उसमें संशोधन कर ले। जो माननीय खण्डूड़ी जी ने बनाया हैं। मान्यवर, कहा कि हम दूसरा लायेंगे, लेकिन क्या हुआ उस लोकायुक्त का, अभी तक तो आपने नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है, कहीं पर सर्च कमेटी है, क्या ढूंढना प्रारम्भ कर दिया है, आपने 4-5 महीने में लोकायुक्त के बारे में कहा और 5 महीने तक भ्रष्टाचारियों के लिए रास्ते खोले रखे हैं और अब उसमें 6 महीना 180 दिन और लगेगा, तो सरकार ने उसमें क्या किया है और नई सरकार उसमें क्या कर रही है। नये माननीय नेता सदन आये और आपदा ग्रस्त क्षेत्रों से शुरूआत की और एक महीने का समय दिया और एक महीना होने वाला है, हम देखेंगे कि उसमें क्या हुआ, इस पर अभी मैं नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन उस पर इसी सदन में आपसे पूछेंगे कि आपने क्या शुरूआत की, क्योंकि आप माननीय नेता सदन हैं और विपक्ष को पूछने का पूरा राइट है कि सरकार क्या कर रही है, ताकि सरकार चौकन्नी रहे। मान्यवर, एक चीज नहीं आप लॉ एण्ड आर्डर में फेल, भूमि बेचने में आप पास, आपदा में आप फेल, प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर की व्यवस्था आपकी

ध्वस्त। मैंने तो कहा कि इस सरकार पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और कभी न कभी जरूर चलेगा, जिन लोगों ने देश को धोखा बोला, धोखा दिया और कहा कि एक भी शव नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब टी0वी0 चैनल में यहाँ के बड़े लोग गये और कहा गया कि वहाँ पर एक भी शव नहीं है, जब लोगों के परिजनों ने पूछा और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा न हो, लेकिन जब वहाँ पर शव पाये गये तो बाद में सरकार को इसी सदन में कहना पड़ा कि हाँ, शव आज भी वहाँ हैं, तो यह स्थितियां इस सरकार ने की हैं। मान्यवर, विद्यालय में जो जी0ओ0 हो रहे हैं उन जी0ओ0 को उठाकर देख लीजिए कि विपक्ष के लोगों का क्या प्रतिशत है, शायद इक्का–दुक्का कोई स्कूल हो गया होगा लेकिन सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों के हो रहे हैं। अगर सरकार सत्तापक्ष के विधायकों का काम करना चाहती है तो हम कह रहे हैं खूब करे, आप उनके सौ प्रतिशत करें, लेकिन 75 प्रतिशत उन क्षेत्रों का भी करें जहाँ जनता रहती है, तो इसलिए जो स्वार्थपरक भावनायें यहाँ चल रही हैं, सरकार इसमें भी फेल है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बस यह लास्ट बात है। मान्यवर, मैंने कहा कि हमारी एक–एक चीजें काट दीं, हमारी एक–एक चीजें समाप्त कर दी हैं और हमने जो यहाँ अच्छी चीज शुरू की थी, उसको तोड़–मरोड़ कर बिलकुल छिन्न–भिन्न कर दिया, तो अच्छी सरकार वह होती है अगर पहले की सरकार कुछ करके जाती है उसको आगे बढ़ाती है, लेकिन इस सरकार ने हमारी सारी अच्छी चीजें काट दी हैं। कर्मचारी ट्रांसफर में ऊपर नहीं जाना चाहता, क्योंकि पता है कि वहाँ जायेंगे तो वहीं रह जायेंगे, इसलिए नीचे ही बने रहो चाहे नौकरी छोड़नी पड़े। तो जो काम करने का माहौल होना चाहिए था, वह सरकार के आते ही समापन की ओर गया। मान्यवर, चार जिले बनाये उसका शासनादेश भी है, जिसकी संख्या 1553/XVIII(1)/2011–9(2)/2011, प्रेषक श्री पी0सी0 शर्मा, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सेवा में मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून, जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, जिलाधिकारी, पौड़ी, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को भेजा और इसकी दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 है और यह सुगम प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत जिलों के आकार को कम करते हुए यमुनोत्री, कोटद्वार, रानीखेत तथा डीडीहाट

जिलों के गठन के संबंध में है। महोदय, उपर्युक्त विषय प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद यमुनोत्री, जनपद कोटद्वार, जनपद रानीखेत एवं जनपद डीडीहाट नाम से चार नये जिलों के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त नवीन जनपदों की सीमाएं, सम्मिलित होने वाली तहसील, विकासखण्ड, राजस्व ग्राम एवं थाना क्षेत्र आदि का चिन्हांकन एवं अन्य सुसंगत कार्यवाही आगामी विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत यथोचित समय पर की जाएगी। कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। मान्यवर, श्री पी0सी0 शर्मा, प्रमुख सचिव और सब को भेजा है। मान्यवर, इस शासनादेश को इस सरकार ने आते ही दूसरे शासनादेश को काट दिया और कहा कि हम राजस्व परिषद् में इसको डालना चाहते हैं, यह इसका पुनर्गठन करेगी। मान्यवर, इसमें अभी तक हुआ क्या एक साल से भी अधिक का समय व्यतीत हो गया है। जो आदेश आपने 17 मई, 2012 को किया था, 17 मई, 2013 को एक साल हो गया है और दूसरा साल लग गया है। अभी तक एक भी बैठक राजस्व परिषद् ने नहीं की है। जब एक सरकार ने जिले बना दिये थे तो दूसरी सरकार ने इनको काटा क्यों। कुछ लोग कहते हैं कि यह शासनादेश नहीं था, झूठा था। अगर यह शासनादेश झूठा है, तब तो हम सब झूठे हैं, फिर सरकार झूठी है, फिर मैं महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर को भी सत्य से परे मानता हूँ। यदि हम ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करेंगे। कई लोगों ने कहा कि ऐसा कोई शासनादेश था ही नहीं, यदि यह शासनादेश नहीं था तो फिर इसे निरस्त क्यों किया गया और इसे राजस्व परिषद् को क्यों भेजा गया। अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, प्रमुख सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, सदस्य अपर सचिव, अधिकारी, उत्तराखण्ड थे। मान्यवर, तमाम चीजें की गयी परन्तु आज तक जिले नहीं बने हैं। हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि और जिले बनाईये, कमिश्नरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। जिले बनाईये इससे छोटी इकाईयां होंगी, तहसील बनाने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इनमें एस0डी0एम0 नहीं होगा, तहसीलदार नहीं होगा, नायब तहसीलदार नहीं होगा, कोई चौकीदार नहीं होगा, इसलिए केवल चुनावी घोषणा नहीं होनी चाहिए। मैंने गैरसैंण में देखा, यहां पर नगरपालिका बनायी गयी, यह पहली सरकार ने बनायी थी। अब दूसरी सरकार आ गयी और अभी तक उनके पास बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं हैं और इधर इस सरकार ने फिर से कुछ नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों की घोषणा कर दी है। मान्यवर, यह होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था भी तो इसके लिए करनी चाहिए। आज व्यवस्था तो शून्य है। मान्यवर, यदि जिले होंगे तो प्रशासनिक इकाइयां छोटी होंगी और कार्य त्वरित गति से होगा। मान्यवर, इस सरकार ने तो पूर्ववर्ती सरकार की एक-एक चीजें काटी हैं, यह विद्वेष से कार्य करने वाली सरकार है और अलोकतांत्रिक सरकार है, यह हमारी आवाज को दबाना चाहती है। मान्यवर, जो अभी नयी नगर पंचायत बनायी हैं। डालवाला, घनसाली, बेरीनाग, शिवालिक नगर, भगवानपुर, बनबसा और सतपुली ये ठीक बनायी हैं, हम इसका विरोध

नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था पहले बनायी, उसे भी करना चाहिए था। यहां पर हर बार यह बात आती है कि पहली सरकार ने क्या किया, चलो, पहली सरकार ने कुछ नहीं किया। इस देश को आगे भी आप ही ले जा रहे हैं और गर्त में भी आप ही ले जा रहे हैं, सभी कुछ आप ही कर रहे हैं। मान्यवर, आखिर व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है या तो इनको खारिज करें या फिर इनकी व्यवस्था करें। मान्यवर, जिले से लेकर तहसीलों तक के गठन तक की बात कही गयी। मान्यवर, हम लोग इस प्रदेश को कैसे बचा रहे हैं। मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा कि उत्तराखण्ड में जो हैलीकॉप्टर लिए जा रहे हैं। पत्र में मैंने लिखा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अगस्टा वेस्ट लेण्ड कम्पनी, इटली से की गयी ए–109 हैलीकॉप्टर की डील निरस्त किए जाने की बावत। मान्यवर, मुझे जैसे ही भनक लगी कि उत्तराखण्ड सरकार भी यह हैलीकॉप्टर ले रही है जो आज विवादित हो चुका है। मैंने तुरन्त महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा और महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसमें एक्शन लिया। यह तो सरकार ही जाने, इस सम्बन्ध में मुझे पता नहीं है। लेकिन यदि कहीं पर हमें भनक भी लगती है, कहीं पर तिनका भी गिरता है तो उससे हम इस प्रदेश को बचाने की कोशिश करते हैं। मान्यवर, पुलिस भर्ती के लिए यह सरकार कैसे नियम निकालती है। अभी 440 पदों हेतु विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गयी, उस विज्ञप्ति में लिख दिया गया कि 15 जून, 2013 से पूर्व के पंजीकृत जो लोग होंगे, वे ही पुलिस में आयेंगे। मैंने सामान्य बजट में भी यह बात कही थी। मान्यवर, मेरे इतना कहने के बाद भी, यह सरकार सुनी नहीं थी। क्या सरकार ने इस आदेश को संशोधित कर दिया है, इस पर्वतीय राज्य के गरीब लोगों को बड़ी मुश्किल से सिपाही की नौकरी मिल रही थी। मान्यवर, आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोग इसमें भागीदारी करते, उनके बच्चों को इसमें नौकरी मिलती, आपने तो उसको भी खत्म कर दिया और कुछ दिन के बाद आपने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली हैं, अभी, उसमें से ये वाला क्लॉज हटा दिया है। यानी कि कुछ लोगों के पर्सनल इंट्रेस्ट हैं, कुछ लोग सरकार के अन्दर ऐसे हैं जो कुछ लोगों का चयन कराना चाहते हैं। अगर विधान सभा में कोई बात उठी है इस सदन के अन्दर, तो मान्यवर, यह आदेश आज तक संशोधित क्यों नहीं हुआ? 440 बच्चे आज हमारे पुलिस में जाते लेकिन आपने यह बार लगा दिया है कि 440 जो जवान हैं, 15 जून, 2013 से पहले जो पंजीकृत होंगे, उन्हीं को इसमें अप्वाइंटमेंट मिल सकता है, आगे वालों को नहीं। जबकि सामान्य नियम यह है कि इम्प्लायमेंट कार्यालय में एक दिन पहले भी जो अपना नाम दर्ज करा लेगा, वह इंटाईटिल्ड हो जाता है। कितना बड़ा अन्याय है यहाँ के बच्चों के साथ। इसमें कहने के बाद भी आज तक यह नहीं हो पाया है।

श्री हरीश रावत–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, हम तो कभी–कभी दिल की टेलीपैथी से भी काम करते हैं। जो बात आपने अभी कही, उसके विषय में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अच्छी बात है। अगर निर्णय हो गया है तो धन्यवाद। इसका मतलब अध्यक्ष जी ने यहाँ से निर्देशित किया होगा, तो उसके बाद सरकार ने माना होगा। अच्छी बात है, हमारे कहने पर अगर उत्तराखण्ड के लोगों का हित हो रहा है तो अच्छी बात है। मान्यवर, वैसे बहुत चीजें हैं। यह सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गयी है। जो माननीय नेता सदन आज हैं, आज 18वाँ दिन है, मंत्रियों को विभाग नहीं दे पाए हैं। मंत्रियों में आपस में सिर फुटव्वल चल रही है, अच्छी तरह से हमने इसको भांप भी लिया, जान भी लिया और सारे अखबारों की सुर्खियाँ फ्रन्ट पेज की बनी हैं, नेशनल मीडिया में यह बात गयी है। कहीं से कहीं तक कोई काम नहीं हो रहा है। अभी सब हवाबाजी और बयानबाजी हो रही है। इसलिए हम जो आज अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, इस प्रस्ताव के माध्यम से यह पता लग जाएगा कि जो लोग हवाईयाँ भर रहे हैं, जो लोग यह कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक विभाग नहीं दे पाए, जो आरोप लगते हैं और मुख्यमंत्री जी, जो अपने पास अकेले सारे विभाग रखे हुए हैं, कह रहे हैं, वन मैन शो, जो करूँगा, मैं ही करूँगा। फिर तो मंत्रियों को भी हटाइये, फिर अकेले आप हो जाइएगा। सारी चीजों में, लॉ एण्ड ऑर्डर से लेकर, आपदा में फेल्योर होने से लेकर, विधायक तोड़ने से लेकर, जो तमाम आरोप इस सरकार पर लगते हैं, विकास कार्य अवरुद्ध होने से लेकर, 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत पैसा न जिला प्लॉन का खर्च हुआ है, न राज्य प्लॉन का खर्च हुआ है। यह नया बजट देने को तैयार हो गये हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए पूरी सरकार पर उत्तराखण्ड की जनता ने अविश्वास व्यक्त किया है, इसलिए हम अपने अविश्वास के प्रस्ताव पर बल देते हैं। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, आगे की कार्यवाही आपके हाथ में है, जैसा चाहेंगे, वैसा करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, आपको 15 मिनट देते हैं।

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपको धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अविश्वास का प्रस्ताव लाने के पीछे माननीय अजय भट्ट जी ने अनेक कारण गिनाए। यह सही है कि सरकार को बने हुए लगभग 18 दिन से ज्यादा हो गये हैं और यह अविश्वास प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि कहीं न कहीं केवल विपक्ष के लोगों द्वारा इस रूप में लाया गया है, कई बार हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं हमारे घर की लड़ाई है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, पार्टी में बहुत बड़ा लोकतंत्र है। जब पार्टी का अन्दरूनी लोकतंत्र सड़क पर आ जाए, जब पार्टी का अन्दरूनी लड़ाई सड़क

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर आ जाए, तब मान्यवर, हमने नहीं कहा, अगर कांग्रेस के एक बड़े नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री हाई कमान को ब्लैकमेल करके बने हैं, यह हमने नहीं कहा है, यह कहीं न कहीं, वहीं से निकल कर आया है, जब यह सारी बातें मीडिया और अखबार में आ जाती हैं, तब यह पार्टी का लोकतंत्र, पार्टी के अन्दर नहीं रहा, तब यह पार्टी की लड़ाई, पार्टी के अन्दर नहीं रही। माननीय मुख्यमंत्री जी चारों तरफ घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे सबका आशीर्वाद है, पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं, हमारा आशीर्वाद नहीं है यह भी हमने नहीं कहा, यह भी वहीं से कहीं निकलकर सड़क पर आया है, तो जब लोकतन्त्र सड़क पर आता है। माननीय मुख्यमंत्री को इनकी बेचैनी पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही है, इनको सारे मंत्रियों की बेचैनी समझ में आनी चाहिये थी, आज 18 दिन हो गये हैं।.............................

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह भी हस्तिनापुर से बंधे हुए लोग हैं, ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं, मैंने इनसे कहा था कि इतनी बड़ी आपदा आई थी, सब ठीक चल रहा था, उन्होंने कहा जितना भी ठीक चले, हम तो हस्तिनापुर से बंधे हैं। (हँसी) अब वह हस्तिनापुर कौन सा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने जो पन्द्रह मिनट दिये थे, इन्होंने ऐसे ही पूरे करा दिये, ऐसे में कैसे बोला जायेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे जल्दबाजी में ही सही पूरे विभाग नहीं दिये, एक चिट्ठी से ही कह दिया कि प्रभारी के रूप में काम देख लें। उसमें से भी एक मंत्री के विभाग का पार्ट काट दिया, वह बड़े नाराज हुए, यह सारा कुछ सड़कों पर आया। कौन से लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं? वैसे मुख्यमंत्री जी होशियार बहुत हैं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी को इशारों ही इशारों में देख रहा था कि जो बच्चा क्लास में सबसे होशियार होता है या ज्यादा नॉटी होता है तो उसी को मॉनीटर बनाया जाता है। आज का जवाब भी आप कहीं हरक सिंह जी से न दिलवा दो, क्योंकि इशारों में आप कह रहे थे कि आपको जवाब देना है, ऐसी स्थिति भी आ सकती है, वे बेचारे क्या बोलेंगे। जो बोलना था, वह लोकतंत्र तो सड़कों पर आ गया है। कल जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमारे सदस्य संजय गुप्ता जी उठकर खड़े हो गये थे और वह मान्यवर, आपको कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी अगर धमका रहे हैं, तो हम बाहर चले जाते हैं। परसों मुख्यमंत्री जी ने हरिद्वार मेंएक बैठक ली, मैंने

अखबार में पढ़ा, उसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मैं खांटी कांग्रेसी हूँ, यह शब्द और कोई भी अधिकारी सरकारी कार्यक्रमों में भी कांग्रेस के लोगों को सम्मान नहीं देगा, तो वह परिणाम भुगतने को तैयार रहें। जनता को नहीं कहा, इतने वरिष्ठ नेता, जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वे ऐसी बातें करते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, किसकी सरकार है। सरकार तो बाहर निकलने के बाद जनता की है, सब की सरकार है। यदि सरकार के मुखिया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, यह अखबार में छपा है, वह मेरे पास है।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, यह अविश्वास प्रस्ताव क्या इसीलिये आया है? (हंसी)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह माननीय मुख्यमंत्री जी केन्द्रीय मंत्री थे और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं इनकी लोक सभा में आता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1660 चिट्ठियाँ लिखीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को, मैंने सारे आंकड़े मंगाये हैं। वह चिट्ठियाँ 10 हजार करोड़ से ज्यादा की होंगी। मान्यवर, अब उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा और मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि यदि इससे काम नहीं हुए तो जैसा अभी माननीय अजय भट्ट जी ने कहा कि मुझे भजन–कीर्तन की अनुमति दे दो। मान्यवर, आज बजट आया तो 10 हजार करोड़ के काम बजट में नहीं नजर आ रहे हैं, वो कहीं बजट में नजर नहीं आ रहे हैं, वो सारी चिट्ठियाँ हमने लेनी शुरू कर दी हैं।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, अब आप जो हैं भजन–कीर्तन का नोटिस दीजिए मुझको।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वो नहीं देंगे। अब बहुगुणा जी वो चिट्ठी में अपनी चिट्ठी लगाकर भेजेंगे कि मैं नहीं कर पाया अब आप करिये। ऐसा होने वाला है और होना भी चाहिए। मान्यवर, आपदा की बात तो मैं नहीं करना चाहता माननीय अजय भट्ट जी ने पूरे विस्तार से कहा है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा चाहे बहन माननीय विधायक शैला रानी रावत हों, चाहे आप स्वयं हों, उपाध्यक्ष जी हों, चाहे नेता सदन हों, चाहे राजेन्द्र भण्डारी हों, मैंने टी0वी0 पर सबको देखा है, चिल्लाते हुए देखा है, इस सरकार पर, हरीश धामी तो काली पट्टी बांधकर आये थे। मान्यवर, आपदा के कारण ही हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन हुआ हो, वो तो अन्दरूनी लोकतंत्र है, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन आज भी 18 दिनों में केवल यह कहना कि हम आपदा को लेकर सीरियस हैं, केवल यह कह देना कि हम आपदा में कुछ करना चाहते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। स्पष्ट योजना बनानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा इस प्रदेश की जनता को कि आप चाहते क्या हैं, विपक्ष सहयोग देगा, रचनात्मक सहयोग देगा, लेकिन आपकी योजना तो आए, आपके प्लॉन तो आएं बनकर, आप बतायें

तो जनता के बीच में रखकर कि आप ये-ये योजना इस रूप में रखना चाहते हैं। आपके पास योजना नहीं है, केवल कह रहे हैं कि करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? (व्यवधान) अब हो सकता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव में से ही कुछ निकलकर आए। मान्यवर, आपने इतना बड़ा बजट लिया, आपने दर्जनों बार चिट्ठी लिखी किसानों के गन्ना भुगतान के लिए, आज 500 करोड़ से ज्यादा है। बजट में प्राविधान नहीं किया आपने, यह आपको करना पड़ेगा, आप सांसद भी हैं उस क्षेत्र के, जहाँ वो प्राइवेट निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं, 500 करोड़ से ज्यादा उन किसानों का है। पहली बार राज्य बनने के बाद ऐसा हुआ कि गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश से कम दिया गया। कहने को 05 रुपया बढ़ाया गया। हमारे सरवत करीम जी जरूर मेरी बात का समर्थन करेंगे, लेकिन 06 रुपये ढुलाई में और बढ़ा दिया गया, इसलिए 01 रुपया उत्तर प्रदेश से कम हो गया। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर जनता आपको भी पूछेगी कि आपने बोला या नहीं बोला। सरवत भाई, मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे टोक देना। मान्यवर आप बहुत पुरानी पार्टी से बिलांग करते हैं, खांटी कॉंग्रेसी हैं। कॉंग्रेस के समर्थन से किसी राज्य में सरकार बनी और जो वो सरकार बनी उसने कुछ मुद्दों पर कहा था कॉंग्रेस को चिट्ठी लिखकर कि हमें समर्थन देना इन मुद्दों पर, उसमें दो मुद्दे थे। फ्री पानी देंगे, बिजली 400 यूनिट तक हम आधे रेट में करेंगे, इस राज्य में क्यों नहीं कर पाये आप? आप वहाँ समर्थन दे सकते हो दूसरे राज्य में, खांटी कॉंग्रेसी हैं, देश का भला चाहते हैं, उन मुद्दों पर वहां राज्य में समर्थन दिया है, लेकिन इस राज्य में क्यों नहीं किया आपने आ करके। 18 दिन होते, विपक्ष आपको रचनात्मक सहयोग देता, यदि आप आते ही कहते कि इस राज्य में सबको 700 लीटर पानी फ्री, आप कहते कि 400 यूनिट तक बिजली आधे रेट, तब लगता कि हाँ, वास्तव में आपकी नीति पूरे देश में समान रूप से है। ये तो नहीं चलेगा कि पार्टी की नीति कहीं कुछ और हो और दूसरे राज्य में कुछ और हो। ऐसा नहीं है, आपने समर्थन दिया उन मुद्दों पर, सरकार बनी थी एक, उस सरकार ने लिखकर समर्थन लिया था आपसे, पार्टी को चिट्ठी लिखी थी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी और उसमें आपने लिखित में ही समर्थन दिया था और ये उसमें प्रमुख मुद्दे थे दोनों। इस राज्य में क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप। आपको करना चाहिए था मान्यवर, इस राज्य में सबसे पहला निर्णय नेता सदन का यही होना चाहिए था। हमें भी लगता अविश्वास का प्रस्ताव गलत है, मैं मना कर देता अजय भट्ट जी को, मैं कहता मान्यवर, नहीं लाना है, देखो पानी नेता सदन ने फ्री दे दिया है, जनता की भलाई के लिए काम किया है, 400 यूनिट तक बिजली फ्री दी है। लेकिन नहीं किया, करना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से नेता सदन को कहना चाहता हूँ। बेरोजगारों के लिए आपने कौन सी योजना बना दी है, 15 लाख बेरोजगार इस राज्य में हैं, साढ़े सात लाख पंजीकृत हैं, इतने ही गैर पंजीकृत हैं। बेरोजगारी भत्ता भी आपने कितनों को दिया एक परसेन्ट को, दो परसेन्ट को, बाकी सारों के लिए कौन सी योजना है। पलायन इस राज्य का

रोकना है तो इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ है नीति, बेरोजगारों के लिए पहले नीति बनाते और वे बेरोजगार पलायन करके राज्य से बाहर नहीं जाते। आपकी कोई नीति, कहीं भी बजट में नजर नहीं आई, बजट में कोई व्यवस्था नहीं की। मान्यवर, आज कानून व्यवस्था पर अजय भट्ट जी ने बोला है, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था पर भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। इस राज्य में कानून व्यवस्था के कारण कि यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी होगी, कानून व्यवस्था के कारण उद्योग यहाँ आकर्षित हो रहे हैं। यदि इस राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है तो यहाँ से उद्योग भी पलायन करेगा, सोशल सिक्योरिटी उनको चाहिए, इस कारण से वह यहाँ आते हैं। इस कारण से उनको लगता है कि उत्तराखण्ड शान्त राज्य है, वहाँ हमें सारी सुविधायें मिलेंगी। वहाँ सोशल सिक्योरिटी के रूप में चिन्ता की बात नहीं है। लेकिन आज सबसे ज्यादा उस पर प्रहार हो रहा है। अगर पिछले 18 दिन का लें, नेता सदन जब से आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, दर्जनों हत्यायें इस राज्य में हुई हैं। कहाँ आपने कन्ट्रोल करने की बात कही, कौन इसके लिए जिम्मेदार था? कितने पुलिस अधिकारियों को आपने कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी इस प्रदेश में तय हुई है? कोई नीति नहीं बनी, लॉ–एण्ड आर्डर सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए। आज इस राज्य में लॉ एण्ड आर्डर दम तोड़ रहा है। उद्योगों में घबराहट है, उद्योगपति यहाँ से पलायन के बारे में विचार कर रहे हैं। इस राज्य में रहकर हमें क्या करना है, अन्य राज्य में हमें सोशियल सिक्योरिटी अधिक मिल रही है, इस राज्य के लिए बहुत चिन्ता का विषय है। इस पर हमें जरूर सोचना पड़ेगा। मान्यवर, आज खाद्यान्न की बात आती है, ठीक है, आपने हमारी योजना बन्द कर दी, हमें चिन्ता नहीं है। अटल खाद्यान्न योजना आपने बन्द कर दी, कहा कि पैसा नहीं है। उसकी चिन्ता नहीं कि आपने बन्द कर दी लेकिन आपने उस दिन जनता से वायदा भी किया था और जिलों में जाकर भव्य उद्घाटन भी किये। जैसे आपने सारे में शिलान्यास वह सब कुछ किया, ऐसे ही उस समय हुए थे, तब कहा था कि फूड सिक्योरिटी बिल महत्वाकांक्षी योजना है। सबसे पहले उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा, कहाँ गई, उद्घाटन हुए कितने दिन हो गये। कल भी बात आयी तो संबंधित मंत्री जी ने बताया कि सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है, एक आध जिला छूटा हुआ है।

*श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा था कि सर्वे का काम लगभग–लगभग पूरा हो चुका है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सर्वे का काम पूरा हो गया, लेकिन सर्वे का काम पूरा होने के बाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यदि सरकार पूरी हिम्मत से काम करेगी तो वह अप्रैल से पहले नहीं आ सकती, चूँकि आपने इसमें बजट की व्यवस्था की है, वह मार्च के बाद जारी होगा, इसका मतलब जनता को एक डेढ़ महीने और इंतजार करना पड़ेगा। अटल खाद्यान्न योजना बन्द करने की क्या आवश्यकता थी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अटल खाद्यान्न योजना बन्द नहीं है, इसका जो राशन है आज भी उपलब्ध हो रहा है। ए0पी0एल0 को भी हम राशन दे रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अटल खाद्यान्न में तय था कि किस रेट में देंगे और कितना देंगे।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय साथी, सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह बिल अप्रैल से पहले नहीं आने वाला है और उसमें भी जब सरकार की गति सौ से भी ज्यादा होगी, तब उसमें कुछ सम्भावना लगेगी। वरना गति नहीं लग पा रही है कि अप्रैल–मई में भी ला पायेंगे तो फिर कह देंगे कि अब चुनाव आ गये हैं और अधिसूचना जारी हो गयी है। वह योजना पूरी तरीके से दम तोड़ चुकी है। इस सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया है? और कौन सी योजना बनायी है? मान्यवर, 87 करोड़ रुपये उन बच्चों के लिए जिनको आपने एक बार स्कॉलरशिप दे दी है और जिनका एडमिशन आपकी सरकार के विश्वास पर हो गया है और सरकार की योजना इस तरीके से बन्द नहीं होती है। सरकार एक योजना चलाती है और उस योजना के तहत बच्चों ने कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन कराया और उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए सरकार की योजना आयी है। पहले साल बच्चों को पैसा दे दिया और दूसरे साल सरकार में कह दिया कि अब वह योजना बन्द हो गयी है और केवल उनको देंगे जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अब वे बच्चे पढ़ने के लिए कहां जायेंगे और उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? यहां पर कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि 87 करोड़ रुपये का बैकलॉग है और अब उन बच्चों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। मान्यवर, आज उन बच्चों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। आज वह परिवार सरकार पर अविश्वास कर रहा है। हम यहां पर जनता का अविश्वास लेकर आये हैं और आज उन बच्चों को कॉलेजों से निकाल दिया गया है या फीस नहीं देने के कारण उनको इग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सरकार की वही योजनायें होंगी जो शुरू की थी और अब बन्द कर दी हैं। यदि सरकार की कोई योजना बन्द होती है तो वह एक साइकिल के रूप में होती है। आपने यदि पॉलीटेक्निक के लिए

शुरू की थी तो उन बच्चों को तीन साल तक देनी थी, यदि आपने इंजीनियरिंग के लिए दी थी तो चार साल के लिए देनी चाहिए थी, अगर आपने आई0टी0आई0 के लिए देनी थी तो दो साल के लिए देनी थी, अगर आपने एम0बी0ए0 के लिए देनी थी तो दो साल के लिए देते।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूँ कि यह बात समीक्षा के दौरान भी उठाई गयी थी और मैंने यह निर्देश दे दिये हैं कि 6 महीने की एक मुश्त धनराशि ऐसे बच्चों को इस समय उपलब्ध करा दी जाय। क्योंकि पहले यह योजना नेशनलाईज नहीं की गयी जो केन्द्र सरकार की योजना है, उसके साथ, इस कारण जो हमको वहां से यहां जो पैसा आता था तो उसमें और इसमें भारी अन्तर पैदा हो गया था। इस साल हम 6 माह का दे रहे हैं और अगले साल से हम उस स्कीम को फिर से नेशनलाइज करेंगे जैसा आपने कहा बिलकुल विधिवत् तरीके से, जिससे की बच्चे को एडमिशन में परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरी बात माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने एक बात उठाई थी और उन्होंने कहा था कि आज तक वसूलियां हो रही हैं। क्योंकि यह बहुत छोटे बिन्दु हैं जिनको हो सकता है रिप्लाई के दौरान उन पर बात न कर पायें। हमने इस विषय में भी सभी बैंकों को पत्र लिख दिया है कि एक साल के लिए ऐसी सारी वसूलियां जो आपदा के सम्बन्ध में हैं उनको स्थगित किया जाय। आज आपने यह विषय उठाया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस काम को हम पहले कर चुके हैं। जैसा आपने कहा कि वे लोग खुले में हैं और उनकी कोई केयर नहीं की जा रही है, उनको घर उपलब्ध नहीं किये जा रहे हैं और मैं मानता हूँ कि उनको घर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। लेकिन हमने उन लोगों के लिए तीन हजार रुपये किराये के लिए रखे हैं और मैंने निर्देश दिये हैं कि इस राशि को बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया जाय, क्योंकि उनके लिए हम घर उपलब्ध नहीं करा पाये हैं और उसी अनुपात में बढ़ा करके चार हजार रुपये कर देंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने सदन में जो घोषणायें की हैं।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, इसमें घोषणा की बात नहीं, हमने जो एक्शन लिया है या लागू किये हैं, उसकी बात कर रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एक बच्चे ने सरकार की एक योजना पढ़ी और उस हिसाब से एडमिशन लिये हैं तो आप उस साइकिल को पूरा करा दें। यदि उसने बी0टेक0 में एडमिशन लिया है तो उस बच्चे की आप पूरी फीस दे दें। क्योंकि उस बच्चे ने

सरकार के भरोसे एडमिशन लिया है लेकिन बीच में रोक दी गयी है और 87 करोड़ रुपये इस समय बचे हैं और वह एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। उनको लिखकर दे दिया गया है कि आप फीस जमा करें, नहीं तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जायेगा और वह आपको पूरा देखना पड़ेगा। यदि नहीं देखेंगे तो हजारों बच्चों का भविष्य खराब हो जायेगा। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपने एक साल के लिए रोक तो दिया, स्थगित तो कर दिया, लेकिन एक साल के बाद उस एक साल का ब्याज लेंगे, तो मेरा कहना है कि या तो आप उस एक साल के स्थगित ब्याज को माफ कर दें तो समझ में आ रहा है, नहीं तो आपने स्थगित किया है तो इससे तो उनमें डबल ब्याज बढ़ जायेगा, एक साल के बाद वे इस ब्याज पर ब्याज लगायेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपदा के समय यह रिजर्व बैंक का आदेश है, कहीं–कहीं बैंक अज्ञानतावश नोटिस भेज देते हैं, तो उस आदेश को आप प्राप्त कर सकते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं नोटिस की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने एक साल तक स्थगित कर दिया तो अगले साल वह फिर जुड़कर आयेगा, या तो सरकार दे उस एक साल के ब्याज को, या कोई रास्ता निकालकर बैंक से रिक्वेस्ट करें कि इस राज्य में आपदा आई है तो आप इस एक साल के ब्याज को माफ कर दें, चाहे वह गाड़ियों, मकान या किसी रूप में हो, तो इसे करने की आवश्यकता है और मुझे नहीं लगता कि आप कुछ करेंगे तो बैंक मना करेगा, यह केवल चिट्ठी–पत्री लिखने से भी हो सकता है, आप इसकी शुरुआत तो करिये, हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सरकार कोई भी हो जब कोई कायदा–कानून बनता है तो वह सबके लिए बनता है। मुझे याद है कि जब आपदा आई थी तो यहाँ पर आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का आगमन हुआ, उनका हैलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया गया था और यह कहा गया था कि वहाँ स्थिति नहीं है और जब सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह ठीक नहीं है, इसके लिए आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, सड़क पर बैठेंगे तो नरेन्द्र मोदी जी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सरकार ने किसी कारण से यह निर्णय लिया होगा, हो सकता है कि मेरे जाने से थोड़ी दिक्कत हो, वहाँ के अधिकारी व्यवस्था में रहेंगे, परेशानी हो सकती है, लेकिन दूसरे दिन कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता को उससे भी आगे उतार दिया गया, गौचर से आगे हैलीकॉप्टर से गये, तो आप कहते कि गौचर तक सड़क से जायें, उसके बाद हैलीकॉप्टर से जायें, तो क्या राज्य की आपदा को देखने के लिए भी आप पार्टी

देखकर तय करेंगे, क्या उसके लिए भी दो कानून बनेंगे, क्या उसके लिए भी दो व्यवस्था बनायेंगे। मान्यवर, आज सड़कों की क्या स्थिति है, माननीय नेता सदन को आये आज 18 दिन हो गये हैं और आप कहते कि हमने बिना भेदभाव के कॉंग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कोई पीडी0एफ0 है, जो सरकार में शामिल है।

*श्री सरवत करीम अंसारी–

माननीय अध्यक्ष जी, पी0डी0एफ0 कोई है, इस समय तो पी0डी0एफ0 सबसे ज्यादा मजबूत है, पी0डी0एफ0 की तरफ तो आपकी और इनकी दोनों की नजरें हैं तो पी0डी0एफ0 तो बहुत मजबूत है। एक लाइन आपके लिए कहना चाहता हूँ–

अगर इनके हालात बताने लगेंगे तो पत्थर भी आसूँ बहाने लगेंगे।

कहाँ भीड़ में खो गई आत्मिक इन्सानियत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे।।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, पी0डी0एफ0 तो इतनी मजबूत है, आज सिर्फ एक घण्टे के लिए।

*श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, ये शेर सुना रहे हैं,तो इनके प्रभाव को तो उस थाने के कब्जे पर देखा जा सकता है, आज तक दुनिया में नहीं सुना कि पुलिस पर कब्जा किया हो, तो यह सरकार लोगों की हिफाजत कैसे करेगी जब पुलिस पर कब्जा करेगी।

श्री सरवत करीम अंसारी–

मान्यवर, मेरे साथी को असलियत का मालूम नहीं, क्योंकि यह खद्र के रहने वाले हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें पता नहीं नदियों में रहने वाले लोग हैं, एक लाइन इनकी असलियत के बारे में कहना चाहता हूँ। मान्यवर, अभी तो आपने देखा था कि यहां पर आमरण अनशन हुआ, इसमें क्या हुआ। इस सम्बन्ध में मैं एक नजर माननीय नेता प्रतिपक्ष को दूंगा। "उरूज पर था नसीब तो छू रहा था आसमां, बिगड़ा नसीब तो जमीं से भी फिसल गया, पर कहां बात करता था आग से खेलने की, जरा सी आँच क्या लगी, लड्डू सा पिघल गया।"

श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य श्री सरवत करीम अंसारी जी के लिए एक शायरी कह रहा हूँ। "जिंदगी सपनों की नहीं, हकीकत की जिया करो, क्योंकि सपनों में तो फूल खिला करते हैं, वो फूल क्या जिंदगी देंगे आपको, जो खुद दो दिन की जिंदगी जिया करते हैं।"

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पी0डी0एफ0 के हमारे माननीय मित्र हैं, हम तो उनकी ताकत को जानते हैं, समझते हैं। यदि वो आज भी अपना मन बना लें अपनी ताकत का तो उधर के इधर और इधर के उधर बैठ सकते हैं। वे अपनी ताकत को तो पहचानें। हम तो उनकी ताकत को मानते हैं, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल सही दिशा में नहीं हो पा रहा है, वे दिशा भ्रमित हैं।

*श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, ताकत का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। पी0डी0एफ0 ताकत का सदुपयोग करती है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय नैथानी जी तो बहुत अच्छे हैं, हम तो चाहते हैं आप थोड़ा हिम्मत करिये, हम आपको उधर भी बैठा देंगे, आप थोड़ा हिम्मत तो करिये। मान्यवर, मैं सड़कों की बात कर रहा था। मान्यवर, हो सकता है सारी सड़कों को एक साथ न लेते, तो जिलेवाइज एक योजना बन जाती। माननीय नेता सदन कहते कि जो सड़कें इस समय बहुत क्षतिग्रस्त हैं, ऐसी सड़कों को लिया जाता। आपने क्या किया सारे शिलान्यास और उद्घाटन जो दो–ढाई साल पहले के थे उनका शिलान्यास और उद्घाटन करा दिया। लेकिन क्या आपने वास्तविक स्थिति का पता किया है, यदि पता कर देते और कुछ न करते केवल 70 विधायकों को बता देते, चलो प्रतिपक्ष के विधायकों को छोड़कर आप अपने विधायकों को ही बोल देते कि आप अपने ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष से पता करते कि कौन सी सड़कें ऐसी हैं, जो आज बहुत ज्यादा खराब स्थिति में हैं और ऐसी 20–25 सड़कें प्रत्येक जिले से लेकर उनकी घोषणा कर देते तो हमें भी लगता कि 18 दिन में एक नई नीति बनकर आयी है, कहीं न कहीं इस प्रदेश के लिए एक नयी सौगात आयी है परन्तु है कहां वह सौगात, है कहां वह नीति ? इन 18 दिनों में न तो आपको इनकी बेचैनी समझ में आ रही है, हमारे सारे मित्रों की। माननीय हरक सिंह रावत जी, इशारा आपकी तरफ होने वाला है, उत्तर आपको देना पड़ सकता है, आपको अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना पड़ेगा। मान्यवर, कहीं न कहीं आपका लोकतंत्र सड़क पर आता हुआ दिख रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो अविश्वास प्रस्ताव माननीय अजय भट्ट जी ने रखा है, उस पर बल देते हुए, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी

*श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है, उस पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने आप को नेता प्रतिपक्ष और माननीय मदन कौशिक जी ने जो उद्‌गार व्यक्त किये हैं, सरकार के प्रति, उनसे सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, बहुत भारी मन से यह कहना चाहता हूँ और यह कहते हुए मुझे बहुत पीड़ा भी हो रही है कि आज पूरे प्रदेश का वातावरण ऐसा है, पूरा जनमानस आज खुले मन से यह कहने लगा है कि अलग प्रदेश बनाकर हमने गलती की क्योंकि जो अपेक्षाएं जनता की थी कि छोटा राज्य बनेगा, छोटी–छोटी इकाइयाँ बनेंगी, सरकार हमारे नजदीक होगी, हम सरकार के नजदीक होंगे और हमारे विकास के कार्य होंगे। लेकिन उनकी अपेक्षाओं के एकदम विरुद्ध वातावरण बना है। विकास कार्य बिलकुल ठप हैं। सरकार नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं है। किसी को जनता से कोई लेना–देना नहीं रह गया है, इसलिए जनता बेहद परेशान और दुःखी है। उसने मन में सोच लिया है कि यह जो हमने कर दिया अलग प्रदेश का आन्दोलन, वह हमने गलत किया। मान्यवर, कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी बात आज सबके दिलों में है और कानून व्यवस्था में सरकार ने कहा चुस्त–दुरुस्त कानून व्यवस्था। कैसी कानून व्यवस्था है, थाने बिक रहे हैं इत्यादि तो आज आम बातें हो गयी हैं लेकिन जो आम आदमी अपनी पीड़ा को लेकर, अपने दर्द को लेकर, अपनी बात को लेकर थाने में जाता था, तो उसकी बात सुनी जाती थी लेकिन आज स्थिति यह है कि आम आदमी को कुत्ते की तरह दुत्कार दिया जाता है, थानों में सुनी नहीं जाती उसकी बात। वास्तविक जो दुःखी है, उसकी बात सुनने को पुलिस तैयार नहीं है और अपराधी और माफिया तंत्र जब थाने में जाते हैं तो दरोगा जी उठकर कुर्सी देते हैं। उनको चाय इत्यादि ऑफर करते हैं। ऐसा वातावरण पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था का है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। बहुत सी बातें बिन्दुवार माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही हैं। बिन्दुवार वह बात कही कि किस–किस समय में कौन सी हत्याएं हुई और आज तक उनका खुलासा नहीं हुआ। दिन दहाड़े चोरियाँ, हत्याएं, बलात्कार, इस सरकार का जैसे काम हो गया हो, ऐसा वातावरण है। आपदा की बात आपने बड़े जोरों से कही है और माननीय नेता सदन आपदा–आपदा कह कर ही सदन की इस कुर्सी पर आ गये हैं। मान्यवर, आपदा के मामले में आपने भी बहुत स्पष्ट सरकार को निर्देशित किया, उनकी आँखें खोली, उनको जगाया लेकिन सरकार जस की तस है। बहुत विस्तार से बताया गया कि वहाँ की क्या स्थिति है। मैं विशेष रूप से पुनर्वास के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मामले में कहना चाहता हूँ। सरकार ने हाउस में भी, अखबारों में भी बड़े–बड़े बयान दिये कि हजारों–हजार करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने हमको दे दिया है। लेकिन धरती पर आज तक नहीं दिखाई दिया, सारे मार्ग अवरुद्ध हैं, लोग बिना छत के जी रहे हैं, लोग बाहर ठंड में पड़े हुए हैं। उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं एक सड़क का उदाहरण देना चाहता हूँ, अल्मोड़ा से भवाली का जो मार्ग है, वह राष्ट्रीय राजमार्ग है, करोड़ों रुपया उस सड़क पर खर्च हुआ है, आये दिन वहां घटनायें घटती हैं, गाड़ियां हैं, ऊपर से पहाड़ गिर रहा है, इतना खतरनाक दृश्य है, लेकिन सरकार को उस सड़क से कोई लेना–देना नहीं है, जब कि वह पूरे कुमाऊँ का मुख्य मार्ग है। विभागों के बंटवारों की बात तो इनके अन्दर की बात है, बात नहीं बन पा रही होगी, इसलिये उलझे पड़े हैं, लेकिन इनके आपस की उलझन के कारण आम जनता प्रभावित हो रही है, आम जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं। आज की तारीख में किस काम के लिये किस माननीय मंत्री के पास जाएं, उसका कुछ पता नहीं है, ऐसी अराजकता की स्थिति पूरे प्रदेश में हो गई है, इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। जमीनों के घोटालों पर मैंने परसों भी कहा कि ये गिद्ध नजर लगाकर देखते हैं कि कहां पर प्लॉट मिल सकता है। जमीन के मामले में, जमीन सुनते ही चौकन्ने हो जाते हैं, सिडकुल की जमीन हो, हरिद्वार की जमीन हो, रुद्रपुर की जमीन हो, देहरादून की जमीन हो, आई0टी0 पार्क की जमीन हो, स्थान–स्थान पर जमीनों की चर्चायें, सैनिकों के पुनर्वास के लिये दी गई जमीन तक को हड़पने की तैयारी थी और सदन में कहा गया कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब तत्काल राजेश शुक्ला जी ने उसका जी0ओ0 दिखाया, तो सरकार को मानना पड़ा, वरना ये तो जिद पर अड़े थे। इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिये वह जमीन दी गई थी, पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिये, उनकी पढ़ाई के लिये, शहीदों के बच्चों की व्यवस्था के लिये, तमाम खर्चे उस जमीन से निकल रहे थे, उसे भी खुर्द–बुर्द करने के लिये सरकार बेशर्मी से आमदा थी। खनन की बात, हमारे यहां तो कहते हैं कि सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का, खनन कर कौन रहा है, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आज की तारीख में जितने बड़े खनन के कार्य हो रहे हैं, सब बड़े–बड़े लोगों के संरक्षण में हो रहे हैं। अब इस प्रदेश में किसी को कोई डर नहीं है, इतना खुदान हो रहा है कि आस–पास के क्षेत्र उससे प्रभावित हो रहे हैं। चाहे वह पर्यावरण को दूषित कर रहे हों, चाहे वह जमीन कटान कर रहे हों, चाहे वह वृक्षों का पातन कर रहे हों और इस खनन के कारण अपराध चरम पर है। गोली मारना, हत्या करना, लड़ाई–झगड़े होना, आम बात उस क्षेत्र में हो गई है, जो पहाड़ की कन्दराओं में शान्त क्षेत्र थे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वह खनन के कार्य ने पिछले एक वर्ष में जोर पकड़ा है। रुपये–पैसे के लिये कोई भी कार्य करने पर सरकार आमदा है, विधान सभा के भवनों के लिये जिस तरीके से पैसे की बरबादी इस प्रदेश में हुई है, आप उससे भिज्ञ हैं, गैरसैंण में इतने पैसों की बरबादी हुई, रायपुर में

एक और भवन बनाने की तैयारी है, यहां एक विधान भवन है, छोटा सा प्रदेश और विधान भवनों को बनाने की होड़, पैसे की बर्बादी इस सरकार के रहते हो रही है। मैं शिलान्यास और उद्घाटनों के बारे में पूर्व में भी कह चुका हूँ, जिन कार्यों के शिलान्यास पहले हो चुके थे या जो काम पूरे हो चुके थे, उन सबको डी0एम0 से कहकर एकत्रित करवाया और जिले में एक या दो जगहों पर उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पणों के कार्य किये गये। आंकड़े देकर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि 12 से 14 करोड़ रुपया किस तरह से एक दिन में बहाकर इस प्रदेश की महान जनता की पसीने की कमाई को बहाया गया और कोई नया कार्य नहीं हुआ, कोई नया मैसेज प्रदेश में नहीं गया कि कोई बड़ा कार्य यहां पर हो गया होगा। गन्ने के पेमेण्ट के लिये माननीय मदन कौशिक जी ने एक बात कही थी। किसान अपने गन्ने को जलाने को मजबूर हैं, किसान के बच्चों के लिए फीस, पढ़ाई के लिए कॉपी, किताब की व्यवस्था करना उसके बस की बात नहीं रह गयी है और उसका पैसा शुगर फैक्ट्रियों के पास पड़ा हुआ है। शुगर फैक्ट्रियाँ उस पैसे से पैसा कमा रही हैं और किसान को उसका ब्याज नहीं दे रही हैं। ब्याज की बात तो अलग है, आज किसान केवल अपने मूलधन के लिए संघर्ष कर रहा है, उसका अपना गन्ने का पैसा नहीं दिया जा रहा है, ऋण स्थगित करने की बात बड़े जोरों से यहां कही है। ऐसे ऋण स्थगित करने से किसान और दबेगा, उसको और मार पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष का ब्याज उसको अलग से देना पड़ेगा, ब्याज पर ब्याज देना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ नेता सदन भी बैठे हुए हैं, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि कृपा होगी उन पर, यदि वास्तव में आप विशाल हृदय रखकर ऋण को स्थगित कर रहे हैं, एक वर्ष के लिए तो उसके ब्याज को भी माफ करेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा नहीं तो यह केवल एक दिखाने की बात होगी कि हमने ऋण माफ किया है, हमने ब्याज को स्थगित किया है। कर्ज को स्थगित करना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे तो अच्छा है कि जिसकी देने की सामर्थ्य हो वो दे। एक वर्ष स्थगित करेंगे, ब्याज पर भी ब्याज पड़ेगा, चक्रवर्ती ब्याज से आदमी मरेगा। इसलिए इस सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि अस्थिरता का वातावरण पूरे प्रदेश में इसने फैला दिया है, चारों तरफ कानून–व्यवस्था ध्वस्त है, विकास कार्य ठप हैं। इस कारण नेता प्रतिपक्ष जो अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं, मैं उस प्रस्ताव को बल देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पर विशेष ध्यान दें।

*डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट द्वारा जो सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। श्रीमन्, बात केवल हरक सिंह जी से नहीं उठी कि उन्होंने मुख्यमंत्री पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अविश्वास कर दिया या मुख्यमंत्री जी ने उनका अपमान कर दिया, बात केवल आज ही अचानक उठी, ऐसा नहीं हुआ श्रीमन्, ये बात पीछे से चली आ रही है। हर मोर्चे पर, हर स्थान पर, हर क्षेत्र में, हर विषय में श्रीमन्, इस सरकार ने विश्वास को खोया है, जनता के विश्वास को खोया, सभी वर्ग और सम्प्रदाय के विश्वास को खोया, कर्मचारी हो और चाहे वो व्यापारी हो, नौजवान हो या महिला हो, चाहे व्यापारी हो, इसके पुख्ता प्रमाण हैं, श्रीमन्, कि इस सरकार ने हर वर्ग, हर जाति और हर समुदाय के विश्वास को खोया है। मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट तो, हरीश रावत भाई साहब तो केवल मुख्यमंत्री बने हैं। यह कॉंग्रेस की सरकार इतने समय से चल रही है और यदि श्रीमन्, मैं यहां से शुरू करूं कि इस सरकार के रहते हुए इस प्रदेश को किस सीमा तक ऋण के बोझ से, कर्ज के तले खत्म करने की एक योजना है। हिमाचल प्रदेश जब बना था, हम डरते थे कि हिमाचल से शुरूआती दौर में जो कर दिया, कर दिया उसके बाद उस प्रदेश का जो नॉन प्लॉन का बजट है, उसने पूरा विकास को खो दिया है श्रीमन्। यह गवर्नमेंट, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने एक बयान में कहा है कि राज्य की जो आन्तरिक ऋण व्यस्तता है, वो 2012–13 में 2947.87 करोड़ थी, 2013–14 में श्रीमन्, 5250 करोड़ चली गयी श्रीमन्, इस दो साल में 2200 करोड़ का ऋण, इस प्रदेश की जनता पर जो पेट में पल रहा होगा बच्चा, वो भी हमने ऋणी बना दिया और इतना ही नहीं श्रीमन्, मैं देख रहा था श्रीमन्, एक नजर में मान्यवर, इस वित्तीय वर्ष 2014–15 को मुझे तो बहुत अन्दर तक इस बजट ने हिलाया है आखिर आप 2014–15 तक पाँच हजार दो सौ पचपन करोड़ रुपये के ऋण का देनदार राज्य को बना देंगे तो मैं समझता हूँ कि आर्थिक मोर्चे पर विफल होकर इस सरकार ने विश्वास को खो दिया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस सरकार ने जो ये बजट में, कहाँ से अविश्वास पैदा हो रहा है, मैं केवल उनके कुछ सूत्र दे रहा हूँ, उस पर लम्बी बहस और चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। यह कहा जा रहा है कि आय और व्यय का अनुमान इस किताब से मिलता है कि ये आय हो रही है आठ हजार करोड़ की और व्यय कर रहे हैं 12 हजार करोड़, यह भी नहीं दिखा पा रहे हैं कि कहाँ से करेंगे, पाँच हजार करोड़ का तो अतिरिक्त व्यय है। यदि इस बजट को गम्भीरता से देखा जाए तो बजाय इस राज्य को आगे बढ़ाने की इस राज्य को उसके गर्त पर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। सरकारें तो आयेंगी और जायेंगी, लेकिन पीढ़ी के पूरे भविष्य को कैद करने का जो यह विषय है, यह गम्भीर विषय है। आखिर क्या यह होना चाहिए कि–यावत जीवेत सुखम् जीवेत्, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत्"। जब हम हैं सरकार में तो चाहे ऋण करो या जो कुछ करो, घोषणा पर घोषणा करो, खर्च करो लोगों को दिखाओ चाहे खर्च गधेरे में गिर जाये, लेकिन दिखाओ खर्च हो गया। दूसरा, मैं नहीं समझ पाया कि आखिर प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का यत्न तो नहीं होना चाहिए। मान्यवर, सात हजार करोड़ का पैकेज आपदा राहत में दिया, जितना भी, श्रीमन् आपने तो अध्ययन कर लिया होगा जो केन्द्र

सरकार से सहायता का अंश है, यह उतना ही है तो केन्द्र सरकार किस मद में दे रही है। अगर वह मद इस बजट में नहीं है तो किस मद में सरकार खर्च करने वाली है, किसके पास आने वाला है, कहाँ जाने वाला है ? आखिर बजट में तो प्राविधान होता है। बजट में टोटल जितना भी केन्द्र सरकार से मिलता है उसके अतिरिक्त नहीं मिला है। दो हजार करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ है, जो इस सरकार के आय और व्यय का प्रमाण है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार से जो अनुदान है, यह 2013–14 में 8102.3611 करोड़ है और 2014–15 में भी कह रहे हैं कि 1509 करोड़ तो दो हजार करोड़ तो हर वर्ष लगभग–लगभग जो आपने अपने संसाधनों से किया है उसी में कर रहे हैं। मान्यवर, 16.5 प्रतिशत तो इसमें महंगाई बढ़ती है तो यह सरकार, अभी तक 16 प्रतिशत है, कुछ न करें और केन्द्र का जो आने वाला है फरवरी में। (व्यवधान)

*श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल–

मान्यवर, एक हजार करोड़, 2000 से ही शुरू हुआ था।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि केवल भाषण लिख करके समाहित हो जाये मेरी मंशा बिलकुल नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी कि कम से कम इसका जो बजट का प्लान है, वह कम नहीं होना चाहिए कि हम पीढ़ियों को बर्बाद करें और उनके भविष्य को भी हम पूरी तरह से चौपट कर दें। अब श्रीमन्, अविश्वास की बात आई या आर्थिक प्रबन्धन पर, पूरी तरीके से सरकार को पीछे का डिस्ट्रिक्ट प्लान का और स्टेट प्लान का और केन्द्र पोषित योजनाओं का तो आप देख लेंगे तो आँकड़े चौकाने वाले हैं। यदि आप यह खर्च नहीं कर पा रहे हैं जो केन्द्र से मिलने वाला है, उसको किससे कौन सी मशीनरी है। यदि लोक निर्माण विभाग के लोग आज आठ महीने बाद भी जिस आपदा की बात हुई है, यह पूरी सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। श्रीमन्, मैं तो वहाँ 18 तारीख को पहुँचा था, 19 तारीख को कई घंटों तक केदारनाथ में रहा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो रही थी और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हाँ, निशंक जी की मुझसे बात हुई। मान्यवर, मैंने 19 तारीख की सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया, विषय इधर का और यह आलोचना का विषय नहीं है, सरकार का कोई नेटवर्क तो होना चाहिए था? क्या सरकार को 24 घन्टे तक पता नहीं था कि हजारों लोग वहां पर मर गये। मान्यवर, 28 तारीख को सर्वदलीय बैठक होती है और उसमें मैं भी गया था, वहां चालीस का आंकड़ा आता है, वहां पर लगभग बीस हजार लोग मर गये, इस सरकार के लिए यह चिन्ता का विषय है। यह छोटी बात नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी को निवेदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया और फिर प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को टेलीफोन किया और दो घन्टे के बाद उनका मेरे पास फोन आता है कि क्या यह सच बात है? और मैंने उनको केदारनाथ से कहा कि यह सच बात है और यहां सब बरबाद हो गये हैं। मान्यवर, कोई बात नहीं, यह तो प्राकृतिक आपदा है और उसके बाद क्या होना चाहिए था और क्या हुआ? हमने कहा था कि श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। मान्यवर, हम लोगों ने यहां पर धरने में बैठ करके कहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम श्वेत-पत्र जारी करेंगे। इस सदन को भी गुमराह किया गया है तो फिर वह श्वेत-पत्र क्यों नहीं आया? उसमें बताना चाहिए कि इस तारीख को इतने बजे ये हुआ और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस बारे में चार दिन तक भी पता न हो। उस दिन जब मैंने जिलाधिकारी के बारे में पूछा तो माननीय हरक सिंह रावत जी ने कहा था कि मुझे जानकारी नहीं है और मैंने उस जानकारी को पुख्ता किया और सच तो यह था कि उस दिन डी0एम0 चले गये थे और जिस जिले में इतनी बड़ी आपदा आयी हो और उनको इस बारे में जानकारी न हो और जहां सारी सरकार को होना चाहिए था और वहां पर वरिष्ठ सचिवों को होना चाहिए था। लेकिन वहां ऐसी स्थिति, अभी जिस तरीके से माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा और इससे बड़ा क्रूर मजाक और क्या हो सकता था? इतनी बड़ी आपदा में, राहत आयुक्त भी एक जूनियर अधिकारी को वहां बैठा दिया गया। मान्यवर, जिसको वहां के बारे में पता ही नहीं है और कुछ दिन बाद उसको भी हटा दिया गया और इतना क्रूर मजाक इस पूरे प्रकरण में हुआ। उन लोगों को क्यों नहीं बचाया जा सकता था और उस आपदा से जो लोग बच कर गये थे और उस प्रलय से जो लोग बच गये, वे लोग इस सरकार की वजह से शिकार हुए हैं, इस सरकार की लापरवाही के शिकार हुए। मान्यवर, मैं पहले दिन भी वहां गया था और उसके तीन महीने के बाद भी वहां गया और अभी हाल में मैं वहां पर गया हूँ। रामबाणा के ऊपर के जंगलों में हजारों-हजार लोग, आज भी रास्तों-रास्तों में मरे थे और बच्चों को पकड़े हुए थे। यदि जरूरत पड़ी तो हम आपको इसकी सी0डी0 भी दिखायेंगे। उन लोगों को बचाया जा सकता था। सरकार को यह भी जवाब देना चाहिए कि जो बहुत अहम विषय है। पहले दिन जिन बच्चों को टी0वी0 में देखा गया और जिन लोगों को देखा गया। वे लोग आज तक घर वापस नहीं गये हैं। एक छोटा सा उदाहरण मेरी विधान सभा क्षेत्र का है, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, डोईवाला क्षेत्र में एक कुकरेती परिवार है। उस 12 वीं कक्षा की बच्ची को टी0वी0 में देखा और उसको कोई महिला रोटी खिला रही थी। आज तक वह बच्ची वापस नहीं आयी और ऐसे देश के कौन-कौन से बहुत सारे लोग होंगे जो आपदा से बच गये थे, न जाने कितने लोग काल-कवलित हो गये होंगे। क्या सरकार इसका जवाब देगी? आखिर जिन लोगों को बचाया जा सकता था, उन लोगों को भी नहीं बचाया गया। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ, अभी यहां पर त्रिजुगीनारायण की बात हुई थी, वहाँ मैं अभी गया तो जो वहां अभिनन्दन करने वाले लोग थे, उन्होंने चार हजार

लोगों को बचाया था और जो गरुड़ चट्टी के ऊपर की ओर से जो लोग आये, तो उस गाँव के लगभग बीस लोग मरे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी सरकार का कोई मंत्री वहाँ पर गया? क्या आपका कोई वरिष्ठ अधिकारी या पदाधिकारी वहां पर गया ? मान्यवर, जिन लोगों ने 4 हजार लोगों की जान को बचाया हो और अपनी जान को हथेली पर रखकर लोगों की जान बचाई हो, तो इतनी संवेदनहीन सरकार इतिहास में मैंने पहली बार देखी है, जो लोग मरे उनके घर तक नहीं गये। मान्यवर, हमारी माननीय विधायक शैला जी हैं, उनके क्षेत्र में एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने दोनों बेटों को कुर्बान किया लोगों की जिन्दगी को बचाने के लिए और हम यहाँ क्या करते रहे। उस घाटी में पूरी सरकार बैठ जाती, मुख्यमंत्री वहाँ पर पूरा सचिवालय खड़ा कर देते, उसमें देश के 24 राज्य प्रभावित हुए, 24 राज्यों के लोग हताहत हुए, पूरा देश हताहत हुआ, लेकिन उस समय भी वही स्थिति थी। मान्यवर, लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई जरूरी काम आ गया, अच्छा होता कि वे यहाँ बैठते, अच्छा होता कि वे सुनते और अच्छा होता कि सुनने के बाद कुछ करते, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वे जरूर इन विषयों को सुनें और जवाब भी दें, क्योंकि उनको करना है, सदन का एक-एक मिनट महत्वपूर्ण है, केवल भाषण देने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ चर्चा करें और हम मदद कर सकते हैं और हम भी ताकत के साथ खड़ा होना चाहेंगे सरकार के साथ, उन स्थितियों से निपटने के लिए। मान्यवर, जब मैं पैदल वहाँ जा रहा था तो धारा 144 लगा दी, ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का युद्ध हो रहा हो और वहाँ के पुरोहित को रोका जा रहा था जो वहाँ गिड़गिड़ा रहे थे और कह रहे थे कि मेरा मकान टूटा है, मेरे साथी लोग नीचे दबे हैं, यदि सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो हमको तो कम से कम जाने दिया जाए, हमारे लोगों के शव तो हमको दे दिये जायें ताकि हम अपने हाथ से उनकी क्रिया तो कर सकें, तो यह सरकार इतनी क्रूर हो जायेगी कि उनको निकालने और उनके हाथों में सौंपने के बजाय उनको जाने से भी प्रतिबन्धित कर दिया और इसलिए मुझे जाना पड़ा और उस समय भी मुख्यमंत्री ने कहा कि रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए निशंक जी को रोका गया, तो मुझसे कहा गया कि क्या आप अपने रिस्क पर जा रहे हैं तो मैंने मजाक में कहा कि जो लोग सरकार के रिस्क पर जा रहे हैं तो वह जिन्दा लौटकर नहीं आ रहे हैं इसलिए मैं जाऊँगा तो अपने रिस्क पर जाऊँगा, लेकिन उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री श्री हरक सिंह रावत जी के विरोधाभासी बयान थे, मुख्यमंत्री ने कहा कि रास्ता था ही नहीं निशंक जी के जीवन को खतरा हो सकता है, इसलिए उनको रोका और श्री हरक सिंह रावत जी ने कहा कि जब रास्ता था तभी तो निशंक जी गये, नहीं तो कैसे चले गये, मैंने यह कहा था कि यदि मुख्यमंत्री जी गलत हैं तो वे इस्तीफा दें और यदि कैबिनेट मंत्री श्री हरक सिंह रावत जी गलत हैं तो आप दोनों तय कर लें।

*श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने यह बात केदारनाथ से कही थी, उस दिन जब आप केदारनाथ से चले थे तो धारा 144 लगी थी, लेकिन मैंने स्वयं डी0एम0 और एस0एस0पी0 से कहा कि वे आना चाहते हैं तो आने दो और आपके साथ जितने लोग थे उन सबको आने दिया और मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी वह अपनी जगह ठीक थी कि बहुत अच्छा रास्ता नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था, बिलकुल नहीं था, क्योंकि आप एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों में से तो हैं नहीं।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, ये खूब जानते हैं कि मैं कितने एवरेस्ट पर चढ़ सकता हूँ, श्री हरक सिंह रावत से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है कि मैं किस एवरेस्ट पर चढ़ सकता हूँ, लेकिन उस दिन भी हम आपके साथ थे और आज भी हम आपके साथ हैं।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय निशंक जी की इस बात से सहमत हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि निशंक जी कितना पैदल चल सकते हैं, क्योंकि एक बार रामनगर में हमारी बी0जे0पी0 की कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, सच तो निकल ही आता है।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, एक कोई साप्ताहिक अखबार उसी समय आया, जब हम सब लोग सुबह प्रांगण में बैठे हुए थे। उस साप्ताहिक अखबार में माननीय निशंक जी की पैदल यात्रा के बारे में छपा था कि एक सप्ताह में निशंक जी ने इतने हजार किलोमीटर पैदल यात्रा की है। मान्यवर, खुरापाती तो होते ही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के साथ जब लोग खाली बैठे हों तो लोगों ने भी जोड़ना शुरू कर दिया कि एक दिन में 24 घंटे हुए, एक सप्ताह में 158 घंटे हुए। मान्यवर, आदमी कितना ही पैदल चले तो एक घंटे में पहाड़ी रास्ते पर ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर ही चल सकता है, हो सकता है माननीय निशंक जी जैसे लोग हो सकता है, पहाड़ी एक घंटे में 6 किलोमीटर चल जाएं। जब लोगों ने जोड़ा तो कहा कि साहब यह तो 365 दिन में भी इतने किलोमीटर नहीं चल सकते हैं। तो वह एक सप्ताह में कैसे इतने किलोमीटर चल गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, शायद वह साप्ताहिक पेपर वाला इन्हीं का दोस्त रहा होगा, सुझाव भी इन्हीं का रहा होगा। ये इस दिशा में माहिर हैं, जैसा कि माननीय ने कहा कि खुरापात में हम कभी पीछे नहीं रहे हैं। यह बात सही है। मान्यवर, आपदा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, चाहे वह पिण्डर घाटी हो, चाहे वह केदार घाटी हो। श्रीमन्, कालीमठ घाटी में मैं अभी गया, वहां पर 120 लोग हताहत हुए हैं, कोई भी मंत्री आज तक कालीमठ क्षेत्र में नहीं गया। यहां पर वहां की माननीय विधायक बैठी हैं, वे कह सकती हैं, इनको कितना विरोध का सामना करना पड़ रहा होगा, वह मैं समझ सकता हूँ। श्रीमन्, जिस घाटी में 120 लोग मर गये हों, उस घाटी में सरकार का कोई भी बड़ा आदमी न जाय, वहाँ पर कैम्प न करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। श्रीमन्, पिण्डर घाटी, बदरीनाथ, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री का क्षेत्र हो, चाहे धारचूला, मुनस्यारी का क्षेत्र हो, सब आपदा से बहुत प्रभावित था। मान्यवर, बिट्ठा बगड़ में मैं, माननीय चुफाल जी के साथ ट्रॉली में गया, वहां पर दो महीने व्यतीत हो गये थे और लोगों को आर–पार से कोई सम्पर्क नहीं था। लोगों ने ट्रॉली बनायी थी। लोगों ने हमें ट्रॉली में जाने से रोका परन्तु हम लोग ट्रॉली में गये। वहाँ पर भी सरकार का कोई बड़ा मंत्री या अधिकारी नहीं पहुँच पाया। (व्यवधान)

*हरीश धामी–

मान्यवर, मैं तो चार दिन से वहीं पर था।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, आप न तो कोई मंत्री हैं और न कोई सरकारी अधिकारी। आप केवल क्षेत्र के माननीय विधायक हैं और आपको वहीं पर होना चाहिए था, यह तो आपका काम ही था। मान्यवर, चाहे हरिद्वार के क्षेत्र हों, माननीय संजय जी, स्वामी जी यहां पर हैं, मान्यवर, आपका तो वह लोक सभा का क्षेत्र है, आपको भी स्थिति का पता है। मान्यवर, अभी जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए किराये में वृद्धि कर दी गयी है। उनको आवास देने की सुनिश्चितता की गयी है। मैं 15 दिन पहले की सूचना दे रहा हूँ, जो 844 परिवार थे, जो तबाह हो गये थे, जिनके पास कुछ नहीं बचा था, वे घर से बे घर हो गये हैं, इन 844 परिवारों में से 150 लोगों को पाँच–पाँच लाख रू0 की पहली किस्त दी गयी है। यह आपके सरकारी आंकड़े हैं। मान्यवर, 5–6 महीने व्यतीत होने के बाद भी इतने कम लोगों को राहत सहायता की पहली किस्त दी गयी है, लोगों के पास जमीन नहीं है। श्रीमन्, हैलीकॉप्टर घोटाले के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि इसकी आप एक इनक्वायरी कर दीजिए, यदि हैलीकॉप्टर का 2530 करोड़ रू0 दिया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों ने वहां पर अपने घर किराये के लिए दिये हैं ....।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, जो जानकारी मुझको दी गयी थी, उसमें पहली किस्त दी है, इसमें यदि वह जमीन खरीद सकते हैं, या वहां पर भू–खण्ड उपलब्ध हैं तो इसकी शुरूआत कर सकते हैं। यह तीन किस्तों में दिये जाने का निर्णय लिया गया है, तो पहली किस्त रिलीज कर दी गयी है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को बहुत पहले के आंकड़े की जानकारी है।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सरकारी आँकड़ों पर विश्वास न करें, चूँकि जिस दिन यह आपदा आयी थी, उस दिन भी सरकारी आँकड़ों और अधिकारियों की गुमराह के कारण यह सरकार अंधेरे में रही थी। श्रीमन्, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप शाम तक मुझे सूचना दे दीजिए।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, ऐसी 10 जगह हम छाँट लेंगे, उन एरियाज में अलग–अलग। कुछ जगह आप जाएंगे और कुछ जगह मैं अपने मंत्रिमण्डल के किसी साथी को भेज दूँगा। बल्कि आपकी और हरक सिंह जी की पुरानी दोस्ती है। कुछ जगह हरक सिंह जी जाएंगे, कुछ जगह आप जाएंगे। अगर 800 जगह नहीं बंटा होगा, अगर मुझे गलत सूचना दी गयी है तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, धन्यवाद। वैसे मैं दुबारा माननीय मुख्यमंत्री जी को यह सूचना दे रहा हूँ कि 150 लोगों को प्रथम किस्त मिली और 250 लोगों के नाम यहाँ गवर्नमेंट में प्रस्तावित हैं। वह 250 नाम यदि अब चले गये होंगे तो 250 प्लस 150 ये होते हैं 400 जबकि 844 लोग गवर्नमेंट के द्वारा चिन्हित हैं। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर का तो पेमेण्ट हो जाता है। जिस हेलीकॉप्टर के बारे में सारे सदन के लोगों ने कहा, इसकी सी0बी0आई0 इन्क्वायरी होनी चाहिए। यह बहुत बड़ा घोटाला है। जिन लोगों का मकान वहाँ पर किराए पर लिया है, उनको किराया नहीं दिया। होटलों में जो सरकारी अधिकारी रूके, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी दुकानें स्टोर के लिए ली गयी, मेरे पास यह पुख्ता प्रमाण हैं, जरूरत होगी तो मैं यह दे दूँगा। उनको भी किराया नहीं दिया गया। यह मैं आज की बात बता रहा हूँ।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैंने सभी जिलाधिकारियों को बुलाया था और हमने कहा कि अन्तिम रूप से ऐसा पूर्ण भुगतान जो आउटस्टेंडिंग है, करने के लिए आपको कितनी धनराशि की जरूरत है, वह सब धनराशि कलेक्टर्स को भेज दी गयी है।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, अब गयी होगी तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं आपको पुख्ता सूचना दे रहा हूँ, मेरे पास उनकी सूची भी है, माननीय शैला जी के पास भी होगी। जिनके मकान किराए पर लिए उनका किराया नहीं जा रहा है। जिनकी दुकानें स्टोर के लिए ली, उनका किराया नहीं जा रहा है, जिन होटलों से खाना–पीना चल रहा है वे बेचारे चौराहे पर खड़े हैं, वैसे ही प्रकृति की मार पड़ी है उनको, गवर्नमेंट के द्वारा उनकी छोटी–छोटी धनराशि भी नहीं दी जा रही है। श्रीमन्, मैं पी0डब्लू0डी0 की सड़कों के बारे में यह कहना चाहता हूँ, अभी जब 14 दिन पहले मैं गया, मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पैदल गये। अखबार में मैंने पढ़ा था, पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा जी ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी के पास निशंक जी हैं तो हमारे पास हरीश रावत जी हैं और मैं आभारी हूँ कि आप गये, पैदल गये आप, चाहे 2 दिन में गये, थोड़ा सा घोड़े का भी सहारा लिया लेकिन आप गए। मैं आपका आभारी हूँ। आपने देखा होगा, आपकी छटपटाहट थी ये।

श्री हरीश रावत–

निशंक जी, आपकी उम्र कितनी है?

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, जितना आपका सारा राजनीतिक जीवन है, उतनी मेरी आयु है। बहुत अन्तर है।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, जब मैं आपकी उम्र का था, तब धारचूला से ट्रैक करके मानसरोवर तक गया था। (मेजों की थपथपाहट) मैं आज तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि कम से कम एक बार और मेरी तरफ से, जो हम लोगों ने इस समय काम शुरू किये हैं, गौरीकुण्ड से रामबाड़ा के बीच में और कुछ दिनों के बाद हम रामबाड़ा से मन्दिर परिसर तक जो काम शुरू करने जा रहे हैं, उसका मेरी तरफ से निरीक्षण कर दीजिएगा तो मुझे लगेगा कि मेरे छोटे भाई ने अपने अग्रज की मदद की है।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं तो अपने बड़े भाई की मदद के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ और करूँगा भी। जो मैं सुझाव दे रहा हूँ, बड़े भाई की मदद के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये पैदल गये, उस रास्ते से। (व्यवधान) श्रीमन्, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जब अभी मैं 15 दिन पहले त्रिजुगीनारायण, सोनप्रयाग और गौरीकुण्ड तक गया तो मैंने वहाँ के अधिकारियों को बुलाया और कहा कि रामबाड़ा से यह काम क्यों नहीं हो रहा है,

मैंने अनुरोध किया। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको यह सूचना दे रहा हूँ, आप इसको पुख्ता करा लीजिए कि रामबाड़ा से केदारनाथ तक एक इंच भी सड़क नहीं बची, पूरी तबाह हो गयी। उस रामबाड़ा से केदारनाथ तक के आज टेण्डर भी नहीं हुए, मैं इस बात को पुख्ता जानकारी के साथ कह रहा हूँ, पूरे सदन में आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ। वैसे ही सरकार ने तीर्थाटन और पर्यटन का व्यवसाय चौपट कर दिया है, पूरे उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट गई। श्रीमन्, एक तीर्थ पुरोहित से 83–84 लोग रोजगार पाते हैं और वहां का रास्ता भी अभी तक नहीं बनाया जा रहा हो, पिछले वर्ष तो केदारनाथ चौपट हो ही गया था, इस वर्ष भी उस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सड़कों के बारे में विस्तार से नेता प्रतिपक्ष और मेरे साथियों ने कहा है, उस पर मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है। हमारे सदस्य सहदेव पुंडीर जी हैं, इनके क्षेत्र के एक संजय चमोली जी हैं, बेटा बचकर के आ गया था, उसके पिता का मुआवजा उनको आज तक नहीं मिला है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से यह सरकार आपदा के प्रबन्धन में फेल है, कहीं पर कुछ नहीं हुआ, इसलिये लोगों का अविश्वास हुआ है। मान्यवर, हमने भी विरोध सहा है, क्योंकि आम जनता मरने–मारने को दौड़ रही है, श्रीमन्, यह तो छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है, इस सदी की भीषण त्रासदी को भी आपने सही से हैंडल नहीं किया और आज भी आपदा में नियोजन ठीक से नहीं हो पाया है। मान्यवर, कानून व्यवस्था की बात आई तो फेरूपुर में 13 साल की अबोध बालिका, जो अनुसूचित जाति की थी, किस तरह से दरिंदों ने पहले बलात्कार किया, मुँह काटा, सारी जगहों पर काटा, क्या–क्या नहीं किया, क्या स्थिति थी उसका वर्णन तो सदन के समक्ष भी नहीं किया जा सकता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। आज तक यह हत्यारे पकड़े नहीं गये, यदि यह सरकार इस केस को खोलने में सक्षम नहीं है तो कम से कम उसके लिये सी0बी0आई0 इन्क्वायरी की सिफारिश तो कर ही सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आपके और आपकी सरकार के मन में उस बच्ची के प्रति, उसके परिवार के प्रति, उस वर्ग के प्रति थोड़ी भी संवेदनशीलता है तो सी0बी0आई0 जाँच की सिफारिश करनी चाहिये, क्योंकि आपकी पुलिस उसमें असफल हो गई है, यह हम पर कलंक है। श्रीमन्, राजधानी में मैं देख रहा हूँ 40–40 तो प्रापर्टी डीलरों की हत्यायें हो गई हैं और हत्याओं का सिलसिला रुकता नहीं है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, आज कोई अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। कानून व्यवस्था चौपट हो गई, हत्या, बलात्कार, डकैती रुक नहीं रही, इस मामले में सरकार चौराहे पर खड़ी हो गई है। सरकार में आपसी तालमेल नहीं है। बजट की स्थिति तो श्रीमन्, आप स्वयं देख रहे हैं, मैं इस सदन और मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि सैनिकों की वह कीमती भूमि जो खुर्द–बुर्द हो रही थी, सदस्यों ने उसको उठाया और आपने उनको रोका। माननीय मुख्यमंत्री जी जो यह सिडकुल का घोटाला है, उसे क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष ने आँकड़ों के साथ चाहे हरिद्वार

सिडकुल का हो, चाहे पन्तनगर का हो, मैं पूरी ताकत के साथ इस सदन में कहना चाहता हूँ कि यदि इस सरकार में ईमानदारी है, वह उन अधिकारियोंको नहीं बचाना चाहती जो बेईमानी और भ्रष्टाचार में गहरे तक लिप्त हैं, जो सांठ–गांठ करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह 300–350 करोड़ का घोटाला है। 200–250 करोड़ का तो अकेले पंतनगर का घोटाला है, जिस कीमत पर आपने दिया और जिस कीमत पर उसने बेचा, बाकायदा हरिद्वार में उसने अखबारों में विज्ञापन दिया मान्यवर, एक सप्ताह पहले वो आदमी, 15 दिन पहले छः हजार, साढ़े छः हजार प्रति वर्ग मीटर ले रहा है और 15 दिन के बाद अखबारों में दे रहा है कि 30 हजार, 35 हजार रुपये वर्ग फुट और लोगों ने लिया श्रीमन्, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। ये क्या हम आरोप लगा रहे हैं, क्यों नहीं सी0बी0आई0 की इन्क्वायरी हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाये श्रीमन्। हम किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष है, उसको तो बता रहे हैं श्रीमन्, इसलिए मेरा यह कहना है श्रीमन्, ये सरकार वहां भी फेल हुई, वहां भी सिडकुल, मुख्यमंत्री जी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप तो केन्द्र में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। मुझे याद आता है, जब अटल बिहारी वाजपेई जी ने औद्योगिक पैकेज दिया था, तब राज्य में हमारी सरकार नहीं थी, अटल जी ने इस राज्य के लिए दिया। 2003 में दिया और 2013 तक 10 साल के लिए दिया। पूर्वोत्तर राज्यों को 1997 से 2007 और 2007 से 2017 तक 20 साल के लिए और हमारा पैकेज घटाकर 10 साल का 07 कर दिया था। जहां औद्योगिक क्षेत्र में 56 हजार करोड़ का निवेश होना था, 05 हजार नौजवानों को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी मिलनी थी, उन 05 हजार परिवारों के सीने पर खंजर भोंका गया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करिये।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, बोलने दीजिए, आज तो मौका मिला है। मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं हम लोग, केवल आरोप के लिए नहीं बोल रहे हैं, यदि मेरी बात में कहीं कोई गलती होगी तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप बताइयेगा, मैं वापस ले लूँगा। मैं नेता सदन से यह कहना चाह रहा हूँ अच्छा होता हरीश भाई साहब यदि वो केन्द्र की सरकार हम पर प्रहार कर रही थी तो यदि आप उस समय इस्तीफा दे देते कि जब मेरे राज्य के लिए यदि अहित हो रहा है तो लो न मैं मंत्री रहूँगा, न सांसद रहूँगा, हम सिर–आँखों पर आपको घुमाते श्रीमन्, लेकिन पता नहीं वहाँ जोश क्यों नहीं आया आपको। हम तो यहां से लगातार बोल रहे थे। आपको याद होगा हम सभी सांसदों के साथ, मैं आभारी हूँ, आप तो उस दिन थे, मैं आभारी हूँ कि आपने वक्त दिया, प्रधानमंत्री जी से समय लिया और उनको भी यही कहा कि

साहब, हमारा क्या कसूर है, लेकिन थोड़ी सी आप और ताकत दिखा देते न, तो इस राज्य का कुछ न कुछ और हो गया होता, वो आगे बढ़ जाता। अब मैं यह कहना चाहता हूँ मुझे मालूम नहीं कि वो जो औद्योगिक विकास है श्रीमन्, बजाय कि हम उसको और व्यवस्थित करते हमने उसको भी नीलाम कर दिया। वो भी गलत है, यदि मुख्यमंत्री जी, आप यह कर सकते हैं कि सिडकुल की जो भूमि गयी है कौड़ियों के दाम, यदि वापस लौटा सकते हैं तो यह प्रदेश आपका बहुत आभारी रहेगा। अब आती है श्रीमन्, बात इस पर, मैंने तो अखबार में देखा, टी0वी0 में देखा तो हरक सिंह जी हमारे पुराने मित्र भी हैं। आखिर कौन सी ऐसी विवशता है श्रीमन्, यह सदन चल रहा है, सदन पर करोड़ों रुपये एक–एक मिनट पर खर्च होता है, बजट सत्र चल रहा था। आपने मंत्री भी बना दिये, या तो आप मंत्री नहीं बनाते, मंत्री भी बना दिये अब बजट पर चर्चा हो रही है, आम बजट पर चर्चा हो रही है, जब मंत्री रहा है तो होमवर्क भी करता है श्रीमन्, उसको ललक भी रहती है श्रीमन्, तो कौन सी ऐसी कठिनाई हो गयी, इतना दबाव भी क्या है श्रीमन्, आप बताईये हम मदद कर सकते हैं तो हम भी मदद करेंगे आपकी। आप दबाव में मत रहिये। इस राज्य को आपने चलाना है, आपने इस राज्य को चलाना है ताकत के साथ चलाईये न, क्या दिक्कत है, इस राज्य को भविष्य में हम सब मिल करके उसके शिखर तक पहुँचाने का संकल्प लेते हैं श्रीमन्, हम यह कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो व्यवहारिक दिशा में काम कर रही है आप बतायें श्रीमन्, मैं और मेरा पूरा दल पूरी ताकत के साथ इस राज्य के हित में हमेशा खड़ा रहेगा श्रीमन्, पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा श्रीमन्, लेकिन ये तो आपको ही करना होगा श्रीमन्, अच्छा अब देखिये, यह असंवैधानिक हुआ है, भले ही संसदीय कार्यमंत्री जी हमारी दीदी हैं -श्रीमन्, ये दोनों लोग ऐसे हैं जितनी हमारी टोटल आयु होगी, उतना इनका संसदीय जीवन हैं श्रीमन्, उससे ज्यादा ही है। मैं देखता हूँ कि इंदिरा हृदयेश जी जब उत्तर प्रदेश की विधान परिषद् में बोलती थी तो हिलती थी विधान परिषद्, मुझे मालूम है श्रीमन्, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि असंवैधानिक हो गया। वित्त मंत्री तो कोई था ही नहीं और इन्दिरा हृदयेश जी का मैं बजट देख रहा था। उन्होंने यह कहा कि मैं प्रस्तुत करती हूँ, इस बजट में होना यह चाहिए था श्री हरीश रावत जी लिख कर आता कहीं, क्योंकि वित्त मंत्री तो मुख्यमंत्री थे। श्रीमन्, यह असंवैधानिक काम हो गया है, बचा लीजिए इन परम्पराओं को, व्यवस्थाओं को, संविधान की मर्यादाओंको। हरीश रावत भाई साहब तो हमारे संसदीय ज्ञाता हैं, हम तो उनसे सीखते हैं। मैं उनका व्यक्तिगत हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ, मैं अन्दर से बोल रहा हूँ, मैं मजाक की भाषा में नहीं बोल रहा हूँ। आखिर यह सदन परम्पराओं से, व्यवस्थाओं से, संविधान से और कार्य संचालन नियमावली से चलेगा। जो आपने बजट पेश किया है, यह असंवैधानिक है, उस दिन मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जब आम बजट पर चर्चा हो रही थी, आम बजट जिस दिन खत्म होता है, उस दिन नेता सदन उस पर जवाब देता है। नेता प्रतिपक्ष उन बातों को अपने संज्ञान में लेते हुए चर्चा होती है, लेकिन दूसरे दिन

विभागीय बजट आ गया और नेता सदन उस दिन जवाब देने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए मैंने निवेदन किया था, हालांकि आपने एक दिन बढ़ाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमन्, मैं यह चाहता हूँ कि सदन की गरिमा बढ़नी चाहिए। आप दोनों लोग बहुत वरिष्ठ हैं। बहुत सारे नये सदस्य हैं, जिस तरह से पुराने सदस्य चलेंगे उसी तरह की परम्परायें भी बनेंगी। इसलिए जो यह विषय उठा है, यह बहुत गम्भीर है, क्या यह संवैधानिक संकट नहीं है, मंत्री बने हुए हैं 18 दिन से अधिक हो गया है और काम कुछ न हो तो श्रीमन्, वेतन किस बात का, यदि एक व्यक्ति एक दिन काम नहीं करता है तो उसको कहते हैं नो वर्क नो पे। (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूँ कि क्या यह संवैधानिक संकट नहीं है। श्रीमन्, चाहे वह शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, लोगों का भरोसा उठा है, अभी मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से चर्चा कर रहा था कि आपने श्रीनगर में, यह गरीब प्रदेश है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करें।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, देश के इतिहास में यह पहला प्रदेश है, जहाँ गरीब बच्चा एम0बी0बी0एस0 कर सकता है। श्रीमन्, वह गरीब बच्चे के पेट पर छुरा भोंक दिया। आखिर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को लाखों रुपये का शुल्क दे दिया, आप दूसरों से कमाइये, खनन के जितने माफिया हैं उनसे शुल्क लीजिए। खनन के पट्टों की सी0बी0आई0 इन्क्वारी हो तो बहुत सारे लोगों की पोल सामने आ जायेगी। बिना पर्यावरण की स्वीकृति हम एक सड़क बना रहे हैं, पेयजल की योजना कर रहे हैं, दसियों वर्षों तक वह खड़ी है, क्योंकि पर्यावरण की स्वीकृति नहीं हैं। खनन को बिना पर्यावरण की स्वीकृति के करोड़ों, अरबों रुपये का कारोबार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया, टास्क फोर्स बनाई, जो बेईमान थे, जो भ्रष्टाचारी थे, जो माफिया थे, उन पर लगाम के लिए और आपके ऑफिसर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया। मेरी जानकारी है कि तीन साढ़े तीन करोड़ रुपया जिस आदमी पर फाइन लगाया गया, उसको आपके ब्यूरोक्रेसी ने 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये लेकर के उसको फिर बहाल कर दिया। उसकी आप सी0बी0आई0 इन्क्वायरी करिये, उनको आप दूर–दूर तक मत छोड़िये नहीं तो यह प्रदेश बर्बाद हो जायेगा। श्रीमन्, आप राजस्व उन बच्चों से लेंगे जो एम0बी0बी0एस0 कर रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। इस प्रदेश में एक नई परम्परा थी कि एम0बी0बी0एस0 15 हजार में बन रहा है। माननीय हरक सिंह जी, आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा, आप भी एक गरीब परिवार से आये हैं। उन गरीब बच्चों का गला नहीं घुटना चाहिए, जो प्रतिभाशाली हैं। 15 हजार रुपये में यदि वह कम भी हो सकता है, ऐसे प्रतिभाशाली जो मैरिट पर इस राज्य के आये हैं उनके लिए

एम0बी0बी0एस0 फ्री होनी चाहिए। श्रीमन्, अभी अटल खाद्यान्न योजना के बारे में हमारे मित्र ने चर्चा की, ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 यथावत् रखिये। मान्यवर, अटल जी तो सबके नेता हैं। मैं आभारी हूँ कि आपने उसका नाम चेंज नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय निशंक जी, अब आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं समाप्ति पर यह कहना चाहता हूँ कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आप इस्तीफा देंगे, यदि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो उनके एक कैबिनेट मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर उंगली उठाई है और कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा अपमान किया है। इस बात को पूरा देश, पूरा प्रदेश और बच्चा–बच्चा भी जानता है। इन दोनों पर आज निर्णय होना है और निर्णय यह होना है कि यदि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसी को अपमानित नहीं करता तथा मेरी सरकार ठीक चल रही है तो फिर वह निर्णय उनको करना है और आज आर या पार होना है। इस सदन के किसी एक माननीय सदस्य का अपमान होता है तो पूरा सदन आहत होता है, यह तो माननीय मंत्री जी का अपमान हुआ है। (हँसी) (व्यवधान) मान्यवर, यह एक खतरनाक बात है और इस पर निर्णय होना चाहिए। यह केवल चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। यदि आप कह रहे हैं कि संख्या बल के आधार पर कर लेंगे और पूरा प्रदेश जानता है कि संख्या बल बहुत बड़ा बल नहीं होता है। यहां की चूल्हे–चूल्हे तक की सूचना लोगों को होती है। इसलिए मान और मर्यादा को रखने के लिए और राज्य की परम्पराओं को ठीक रखने के लिए और हरिद्वार के तो आप सांसद हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी रविदास जयन्ती पर उनके जुलूस तक को रोक दिया, क्या यही है यहां की कानून व्यवस्था? मान्यवर, मुझे बहुत दुख होता है थोड़ा सा इस ब्यूरोक्रेसी को आप टाइट करें। क्यों इसको बेलगाम किया हुआ है? यह अपनी मनमर्जी करता है। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि जो माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट जी इस सदन की मर्यादा के लिए, इस प्रदेश में अच्छी परम्पराओं के लिए, विधायक के सम्मान के लिए, प्रदेश के सम्मान के लिए, एक मंत्रि परिषद् के सम्मान के लिए और भावी–भविष्य की परम्पराओं के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाये हैं, इस पर मतदान न करके, अच्छा हो कि यहां से एक नई परम्परा डालें, यहां इस सदन का अपमान हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको इस सरकार से हट जाना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) यदि आप नहीं हट रहे हैं तो आपको उस व्यवस्था के अन्दर न्याय करना चाहिए क्योंकि अनुशासनहीनता और इस सदन का मखौल, मंत्रिपरिषद् का मखौल, यह केवल आपकी सरकार का विषय नहीं है, सरकारें तो आयेंगी और जायेंगी। लेकिन इतनी मान और

मर्यादा होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें निर्णायक क्षण आना चाहिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत–बहुत धन्यवाद। (भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हुआ।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने तीन घन्टे का समय दिया है, अब तीन घन्टे हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि अगर आप दो दिन तक चर्चा करायेंगे तो दो दिन तक चर्चा चलेगी। लेकिन जो समय निर्धारित किया जाता है, उसी समय के अन्दर अपना भाषण समाप्त करें, पहली बात और बीच में कोई शोरगुल न करें ताकि व्यवधान उत्पन्न न हो, अगर इस बात को आप मानेंगे तब चर्चा आगे चलाई जायेगी, अन्यथा इस चर्चा को समाप्त कर दिया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा समय बढ़ा दिया जाय।

श्रीमती शैला रानी रावत–

मान्यवर, आपने मुझे इस विषय पर अपनी बात को रखने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और यहां पर हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों ने अपनी बात रखी है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आपको दस मिनट का समय दिया जा रहा है।

श्रीमती शैला रानी रावत–

मान्यवर, आपदा को लेकर जो राजनीति हो रही है मैं इसमें जरूर कहना चाहूँगी कि इस समय हमारे उत्तराखण्ड राज्य के लिये बड़ी चुनौती है और पुनर्निर्माण की बात है और बार–बार विपक्ष हमारे घावों को कुरेद रहा है और हमारे परिजन जो हमसे बिछुड़े हैं और हमारे घर उजड़ गये हैं, बार–बार इसको लेकर राजनीति न की जाय। प्रकृति की मार से हम मरे हुए हैं।

मान्यवर, आपदा का वीभत्स रूप, जिसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष बार–बार उस हाथ को दिखाते हैं, तो मैं इस हाउस में कहना चाहती हूँ कि मेरा मन भर आता है और उस हाथ को इस तरह से न दिखाया जाए जो कि हमारी माँ या

कोई बहन का होगा। * कहना चाहूँगी कि ऐसी आपदा पूरे विश्व में नहीं आई होगी और इसके लिए ह०, तैयार नहीं थे, मैं भी बहुत आक्रोशित थी और अभी भी हमारे क्षेत्र का विकास न०. होगा और जनता के साथ अन्याय होगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर कहूँगी। मैं जरूर अपनी सरकार से लडूँगी और अपनी बात कहना यदि अनुशासनहीनता है या आप इसको गलत कहते हैं तो मैं कहती हूँ कि यह बेबुनियादी बात है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपदा तो केदारनाथ, गौरीकुण्ड में आई थी तो ऋषिकेश, मसूरी और नैनीताल में कुछ नहीं था, लेकिन विपक्ष ने ऐसा डरा दिया कि वहाँ मुर्दे ही मुर्दे हैं, इसलिए एक भी यात्री यहाँ भी नहीं आया। इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए। आप सड़क की बात करते, आप रोजगार की बात करते, आप पुनर्वास की बात करते तो मैं आपसे सहमत होती, केदारनाथ तक सड़क जाने के लिए मैं आपसे सहमत हूँ, आपदा प्रबन्धन की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ हम बढ़ें, बार–बार हम अपने समय को बर्बाद न करें, हमारे घावों को न कुरेदें। आज सुबह भूकम्प आया और गौरीकुण्ड को हिला दिया है, उस पर हम चर्चा करें कि कितना बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा हो गया है। माननीय सोनिया जी, माननीय मनमोहन जी और माननीय राहुल जी हमारे बीच में आये और तुरन्त सेना को कमान दी गई। माननीय निशंक जी भी आये, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। यह हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता था और आप लोगों का कहना था कि चारों ओर मुर्दे ही मुर्दे थे। हिन्दुओं की आस्था का प्रतीक और विश्व प्रसिद्ध धाम है यह। जिस तरह से मक्का और मदीना पवित्र है, उतना ही पवित्र यह स्थान भी है, तो इसके लिए हम सबका दायित्व बनता था कि जो हमारी खण्डित पूजा थी उसको शीघ्रताशीघ्र प्रारम्भ करें।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा के लिए दो घण्टे का समय और बढ़ाया जाता है।

श्रीमती शैला रानी रावत–

मान्यवर, आज भी हमारे लिए चुनौती है और कल मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से कह रही थी कि आप बार–बार उस हाथ को दिखाते हैं तो उसको न दिखायें, वहाँ पर अभी भी कई अस्थि–पंजर पड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह खुले में हैं या वो किसी मलबे के नीचे हैं या किसी नदी के नीचे हैं। आज पूरे देश के लोग जो उनसे बिछुड़ गये हैं तो उनके परिजन सोच रहे हैं कि किसी तरह से हम अपने लोगों की अस्थि का विसर्जन कर सकें, तो यह हम सबका दायित्व है। मान्यवर, पुनर्वास की बात आ रही है तो लोकप्रिय हमारी सरकार ने 70 नाली जमीन की व्यवस्था की और यदि सेमी गाँव की बात चल रही है तो इतनी बड़ी विपदा आने वाली है कि हर दिन एक घर खिसक रहा है और उसके लिए हमें सोच–विचार कर कोई योजना बनानी पड़ेगी। इसमें पक्ष और विपक्ष

नहीं है, यदि 70 नाली जमीन दे दी गई है तो वहाँ पर नई बात पैदा हो गई है। गाँव में यह रिवाज है कि वहाँ पर मिट्टी दिखाते हैं और उस मिट्टी में ऐसा भ्रम लोगों को हो गया है जो यहाँ बसेगा तो उसका वंश नहीं चलेगा, तो वो लोग तैयार नहीं हैं और सरकार के पास बहुत बड़ी समस्या है, इस सबके लिए हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा। वहाँ पर हमारी एन0जी0ओ0 ने भी बहुत मदद की, देश-विदेश ने मदद की उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। देश और विदेश से भी लोग आये और एक नई चीज पैदा हो गई कि करोड़ों रुपये आपदा के नाम पर इकट्ठा हो गये हैं और चाहे वह बाबा या देवी हों उन्होंने हमारे बच्चे को गोद लिया है, यदि देखा जाये तो 1 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हुआ होगा, तो करोड़ों रुपये उन्होंने इसके चन्दे के नाम पर इकट्ठा कर लिया है तो सरकार की तरफ से इस पर पाबन्दी लगनी चाहिए। आप मोदी जी की बात करते हैं तो हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम उत्तराखण्ड के लोग हैं, यहाँ की सरकार इस पर काम करेगी, कर रही है, आप और हम यहाँ के विधायक हैं और सांसद हैं। मान्यवर, मैं कर्नाटक गयी थी, वहां पर कॉंग्रेस एवं बी0जे0पी0 के माननीय सांसदों एवं विधायकों ने यहाँ के लिए अपनी राहत राशि दी है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, इसमें बिलकुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, नदी एवं पर्यावरण की बात हो रही है। अभी हमारी धारी देवी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। वे लोग उस दिन कहां चले गये थे, जिस दिन हम नदी से तबाह हो गये थे। हम क्या समझते हैं पर्यावरण को, हम क्या समझते हैं नदी बचाओ की बात को। आज यहां पर आदमी बचाओ की बात होनी चाहिए और इन एन0जी0ओ0 व धन एकत्र करने वालों पर सख्त पाबंदी लगनी चाहिए। जो करोड़ों रुपये चंदे के नाम पर देश-विदेश से इकट्ठा किया जा रहा है, उस पर भी रोक होनी चाहिए। हमारी संस्कृति जो पूरी तरह से हमारी पहचान है, वह समाप्त होती जा रही है। मान्यवर, यहां पर प्रश्न उठाया गया था कि अलग से प्रशासनिक व्यवस्था क्यों की गयी थी तो कल ही हमारा एक शिष्टमण्डल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला कि श्री केदारनाथ धाम के लिए एक अलग से प्रशासनिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। चूँकि हमारी जो ग्रामीण विकास की बातें हैं, हमारे जो जिलाधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी हैं, ब्लॉक के अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी आदि सभी वहीं काम पर लग जाते हैं और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास है, वह प्रभावित हो जाता है, इसलिए इसमें अलग से प्रशासनिक व्यवस्था की बात की गयी है और इसमें हमने कहा है कि जज्बे वाले अधिकारी और कर्मचारी चाहिए। यदि अन्य जिलों में 6 घण्टे कार्य करना है तो हमें 12 घण्टे कार्य करना पड़ेगा, इसमें चाहे नेता हों, कर्मचारी हों या अधिकारी हों, सभी को मिलकर कार्य करना होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के तुरन्त बाद आप वहां गये। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कहीं कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। आज वहां की जनता इनका अभिनन्दन करना चाहती है, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि माननीय अध्यक्ष जी भी आपदा के समय खुद पीड़ित गाँव

दीवली–मणीग्राम, सड़क से दूर पैदल गये। डा0 हरक सिंह रावत जी ने जो आपदा में कार्य किया उसके लिए मैं उन्हें सलाम करती हूँ। भाई गणेश गोदियाल जी पैदल चलकर जंगल चट्टी से रामबाड़ा तक गये। मैं माननीय निशंक जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि वे आपदा के समय गये। हमने ऐसा राजनीति के लिए नहीं किया, अपने लोगों के लिए कार्य किया है। श्री यशपाल आर्य जी आये, माननीय महाराज जी आये और इसके साथ ही मैं विशेष रूप से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी कि एक तरफ जहाँ सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन की मदद से सहायता की। मैं उन सभी डाक्टरों का धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने एक सेवा इकाई गुप्तकाशी में स्थापित की है, जो निःशुल्क सभी की सेवा कर रही है। मान्यवर, मैं मैक्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऊखीमठ में अपनी सेवाएं दी हैं। यह सब सामूहिक प्रयास हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगी कि वहां पर रास्ता निर्माण हतु आज 500 मजदूर चले गये हैं, मैं इस बात पर कौशिक जी से सहमत हूँ कि वहां पर सेना के हाथ में दिये बिना कार्य नहीं हो सकता है। वहां पर बहुत कठिनाई है, मजदूरों के नाक से खून बह रहा है, उनको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, यह हम सबके लिए एक चुनौती का विषय है। मान्यवर, एक कमी हमारी जरूर रही है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए था। लेकिन हम केवल एक–दूसरे की टांग खिचाई में रहे, विपक्ष ने इसमें बहुत ही नकारात्मक भूमिका निभाई है। मान्यवर, मैं चाहती हूँ कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाना चाहिए था। मान्यवर, आपदा प्रबन्धन को अभी तक हमने मजबूत नहीं बनाया है। मेरा दोनों पक्षों से निवेदन है कि आपदा प्रबन्धन व्यवस्था इतनी मजबूत की जानी चाहिए कि आने वाली चुनौती के लिए हम तैयार रहें और हर चुनौती का सामना मजबूती से कर सकें। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करती हूँ। इस पर अविश्वास प्रस्ताव लाना मात्र समय की बरबादी है। इससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं पूरे सदन से, पक्ष और विपक्ष से अनुरोध करता हूँ कि हमारे दो सम्मानित सदस्यों को मेडिकल सुविधा की आवश्यकता है। इनमें से एक माननीय सदस्य को यहां से दिल्ली पहुँचाना है और दिल्ली से सिंगापुर जाना है। मैंने उनसे आग्रह कर कहा है कि उनको हम यहां से छः बजे रवाना कर देंगे। यदि आप सदन में पाँच बजे तक का समय निर्धारित कर दें, तीन बजे तक आपने पहले निर्धारित किया था, उसे दो घण्टे और बढ़ा दिया और इसे पाँच बजे कर दिया जाय तो बड़ी कृपा होगी और पक्ष को भी थोड़ा समय उत्तर देने के लिए चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी भी बहस के लिए पक्ष और विपक्ष का समय निर्धारित होता है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मानननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव की बात आयी है इस सम्बन्ध में माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्यों ने जो सरकार की कमियाँ उजागर की हैं, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि दैवीय आपदा जो आयी है और जहाँ तक सवाल सरकार में अविश्वास का है। उस बात पर मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, न ऐसे कोई कारण हैं, जिससे कि सरकार में अविश्वास की बात हो। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय निशंक जी, माननीय मदन कौशिक जी ने जो सवाल उठाए, उस सन्दर्भ में कहना चाहता हूँ कि ठीक है आपने जो सुझाव दिये, आपने जो कमियाँ पाई, उन कमियों को सरकार की तरफ से अनदेखा नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सरकार ने जो किया है, दैवीय आपदा से लेकर, प्रशासनिक व्यवस्थाओं से लेकर, प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए हर सेक्टर में जो काम हुए हैं, माननीय अध्यक्ष जी, वह ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। मैं दैवीय आपदा के सवाल पर कहना चाहूँगा कि जो त्रासदी हुई है, उस त्रासदी को भुलाया नहीं जा सकता लेकिन इस बात को भी हम कहना चाहेंगे कि उस त्रासदी की घड़ी में सरकार की तरफ से जो प्रयास किये गये, वह बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय हैं। मैं एक बिन्दु पर कहना चाहूँगा कि दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों के लिए, जो पहले के मानक थे, उनमें बहुत ज्यादा रिलेक्सेशन करके सरकार ने उन पीड़ितों को लाभ दिया, जिन पीड़ितों को इस बात की कभी कल्पना भी नहीं थी कि इस तरह से सरकार हमारी मदद करेगी। जहाँ तक बात देश–विदेश के जो पर्यटक उन धार्मिक स्थलों में फंसे हुए थे, माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि यमुना घाटी में मेरी ड्यूटी लगी थी और 2400 लोगों को हमने वहाँ पर सेना के सहयोग से और अपने पुलिस प्रशासन के सहयोग से उन लोगों को 18 घण्टे के अन्दर रेस्क्यू करके वहाँ से निकाला और उनको उनके गन्तव्य स्थान तक पहुँचाया। यह विश्व का पहला रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन में 1 लाख 30 हजार लोगों को सुरक्षित निकाल कर उनके गन्तव्य स्थानों तक पहुँचाया गया। यह ऐतिहासिक परिणाम है, हमारी सरकार के माध्यम से मान्यवर। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो सरकार के बारे में कहा है कि काम नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग खुद अपनी आत्मा पर हाथ रख कर कहें, ठीक है विपक्ष में आप लोग बैठे हैं और हम समर्थन दे रहे हैं, हमारा समर्थन है सरकार को। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, यह तो ऐसी वाली बात है कि बिल्ली ने पिया दूध और माँ की हो गयी पिटाई। ऐसा मत करिए। दैवीय आपदा जब–जब इस प्रदेश

में आयी, चाहे भूकम्प हो, चाहे 2011 की दैवीय आपदा हो, उसकी तुलना किया जाना बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कौशिक जी ने कहा कि हमारे खण्डूड़ी जी ने जो एक्ट बनाया था, उस एक्ट को तहस-नहस कर दिया गया, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। ऐसी बात नहीं है, मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से स्थानान्तरण नीति में जो नॉर्म्स रखे गये हैं, उन नॉर्म्स की वजह से यह पहली बार हुआ है, किसी भी अध्यापक को कहीं पर कोई शिकायत मिली है, अगर वह उस नॉर्म्स में नहीं आया तो नहीं होगा और अगर नॉर्म्स में आया है तो बिना किसी एप्रोच के उसको सुविधा मिली है। यह मैं कहना चाहता हूँ। जहाँ तक रहा सवाल मंत्रिपरिषद् को तो आप लोगों ने इस विषय को कुछ ज्यादा ही तूल देने की बात की है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नेता सदन के नेतृत्व में हमारे जितने भी साथी मंत्रीगण हैं, जो आपको निर्देश हुआ है, उसी निर्देश के तहत सरकार पूरा काम कर रही है, बजट पास हो रहे हैं, कुछ हो भी चुकें हैं और जो रह गये हैं, वह भी पास किये जायेंगे। इसमें ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, यह संवैधानिक संकट नहीं है, संवैधानिक संकट तब होता, जब सरकार अल्पमत में होती, सरकार पूर्ण बहुमत में है। मैं इस बात को अपने विवेक से कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक अविश्वास का प्रस्ताव है, इसके लिये मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि ऐसे हथियार को..........।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप पी0डी0एफ0 के अध्यक्ष हैं, आपने कहा था कि यदि नेतृत्व परिवर्तन होगा तो हमसे पूछे बगैर नहीं होगा।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं उसका भी उत्तर दूंगा, प्रतिपक्ष की तरफ से जो अविश्वास का प्रस्ताव आया, उसका एक आकलन किया जाना बहुत जरूरी है कि कौन सा हथियार कब उठाना चाहिये। जिस लड़ाई या बात को प्यार से समाप्त किया जा सकता है, यदि उसी बात पर तलवार निकालने की बात आ जाय तो यह शोभा नहीं देता। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि साथियों "चाहते हैं हम बहार खिलाना, अगर साथ मिला आपका, तो बहार जरूर आयेगी।"

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय मंत्री श्री हरक सिंह रावत का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने आपके लिये पहले कहा था कि जो क्लास में थोड़ा शैतान टाइप का होता है, उसी को मॉनीटर बना दिया जाता है, आप मॉनीटर मत बनना। (हँसी)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्नीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के साथियों के द्वारा जो अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखा गया है, उस पर आपने मुझे अपनी बात को रखने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय अजय भट्ट जी सदन में नहीं हैं, माननीय निशंक जी भी इस समय उपस्थित नहीं हैं, निश्चित रूप से कुछ बातों का उल्लेख मैं जरूर करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में जो आपदा 16 और 17 जून को आई थी, वह इस हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी आपदा थी। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि रात चाहे कितनी अंधेरी क्यों न हो, कौशिक जी, फिर आप बोलोगे कि मैंने सुना नहीं। मान्यवर, रात चाहे कितनी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है और सूर्य की पहली किरण के साथ हम उस दिन की दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। निश्चित रूप से इस बड़ी आपदा के बाद, इतने बड़े जख्मों के बाद, इतने बड़े घाव के बाद, इतनी बड़ी पीड़ा और दुःखद स्थिति के बाद, फिर यह उत्तराखण्ड उस 16 और 17 जून के हादसे से उबरने की कोशिश कर रहा है। मान्यवर, जब–जब जिन्दगी और मौत में जंग हुई है, तब–तब हमेशा जिन्दगी ने ही मौत को पराजित किया है जिन्दगी की जीत हुई है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि हमने बाप को खोया, बेटे को खोया। मान्यवर, अपने भाई को खोया, हमने सब कुछ खो दिया, अपना व्यवसाय खो दिया, खेत–खलिहान खो दिए, पशु खो दिये, लेकिन अगर कुछ नहीं खोया है तो ऊँचा मनोबल नहीं खोया है और उसी हौसले के बलबूते पर, उसी संकल्प शक्ति के बलबूते पर चाहे रुद्रप्रयाग जनपद हो, चाहे पिथौरागढ़ जनपद हो, चाहे उत्तरकाशी जनपद हो, चाहे हरिद्वार जनपद हो फिर एक बार खड़े होने की कोशिश कर रहा है। इसमें अगर आज हमारा ऊँचा मनोबल है, ऊँची संकल्पशक्ति है। अभी मैं 26 जनवरी को रुद्रप्रयाग जनपद में ध्वजारोहण के कार्यक्रम में गया था। मैंने वहां के लोगों को, वहां की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपके चेहरे को देखकर मुझे फिर लग रहा है, आज हम जिस तरह से राष्ट्रीय पर्व को यहां पर मना रहे हैं, वो इस बात का द्योतक है, इस बात का परिचायक है कि प्रकृति ने 16, 17 जून को हमें भले ही मौतें दी हों, लेकिन उस मौत और जिन्दगी की जंग में आज रुद्रप्रयाग की जनता के ऊँचे मनोबल ने, हमारी संकल्पशक्ति ने इस मौत को पराजित कर दिया है। अगर आज हमने मौत को पराजित किया है, आज फिर जीवन की जीत हुई है तो उसमें इस सरकार का, इस देश के नागरिकों का, इस देश की सरकारों का, केन्द्र की सरकार का, उन तमाम औद्योगिक, सामाजिक संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है, उन तमाम लोगों का, जिन्होंने इस उत्तराखण्ड की आपदा में मरहम लगाने का काम किया है। मैं निश्चित रूप से उनका हृदय से आभारी हूँ। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं। यह निश्चित रूप से आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है विपक्ष में होने के नाते, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ। आज

माननीय विजय बहुगुणा जी इस सदन के नेता नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ माननीय निशंक जी कह रहे थे, अभी शैला रानी जी ने भी अपनी बात को रखा है। 16, 17 जून को जब यह घटना हुई थी। 18 तारीख को 10:30 बजे मैं केदारनाथ में पहुँचा था और शाम को 04:00 बजे उसी दिन फिर दुबारा शैला रानी जी, रुद्रप्रयाग के डी0एम0 और एस0 पी0 को लेकर फिर मैं केदारनाथ गया था और लगभग सात–आठ सौ लोगों को, 18 तारीख को हमने केदारनाथ से चाहे गरुड़ चट्टी हो, भीम चट्टी हो, केदारनाथ हो, वहाँ से हमने निकालने का काम, गुप्तकाशी तक निकालने का काम किया था और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, मैं बहुत आँकड़े प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ और मुझे इन शासनादेशों की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से पूरी पीड़ा को, पूरे दुख को देखा है, महसूस किया है। मेरे मोबाइल में भी 18 तारीख को जो वहां का दृश्य था, मेरे मोबाइल में है। 20 तारीख को मैं लगभग 06 घण्टे केदारनाथ में रहा हूँ। 24 तारीख को मैं पूरी रात केदारनाथ में रुका हूँ। लगभग 04 रातें मैं वहां रहा हूँ, चाहे मंदिर के गर्भगृह की सफाई की व्यवस्था हो, शैला जी जानती हैं, केवल फोटो खिचाने के लिए मैं 01 घण्टे नहीं, शनिवार को शुरू की थी सफाई मंदिर की, रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को और कोई मजदूर हमारे साथ नहीं थे सफाई करने के लिए, जो देहरादून के एस0डी0एम0 थे, एस0पी0 थे, सी0ओ0 थे, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कुछ अधिकारी थे, सात–आठ लोगों को लेकर दो दिन तब हमने गर्भगृह की सफाई की है। हमारे कुछ अधिकारी जब थक जाते थे, कि कल सफाई करेंगे, मैंने कहा, नहीं सावन का पहला सोमवार है, उस पहले सोमवार से पहले हमें इस मंदिर के गर्भगृह की सफाई करनी है और मंदिर का ताला तब लगाएंगे जब गर्भगृह की सफाई हो जायेगी। मान्यवर, हमने रिश्ते को टूटते और बनते हुए देखा है कि रिश्ते की डोर कितनी कमजोर है और कितनी मजबूत है, यह भी हमने केदार घाटी में देखा है। हमने देखा है जब मैं गरुड़चट्टी में था तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के कुछ लोगों को एक साधु ने बताया कि नीचे एक बच्चा बेहोशी की हालत में पड़ा है। जब हम बच्चे को उठाकर गरुड़चट्टी लाये तो हमको जानकारी मिली कि इसका बाप इसको मरा समझकर हैलीकॉप्टर से गुप्तकाशी पहुँच गया। हमने उसको खबर की कि तुम्हरा बच्चा जिन्दा है, हम उसको दूसरे हेलाकॉप्टर से गुप्तकाशी भिजवा रहे हैं। हमने रिश्ते की डोर को इस तरह से टूटते हुए देखा है। हमने रिश्ते की डोर को इतनी मजबूती के साथ से केदार घाटी में महसूस किया है कि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को धक्का दे दिया और कुछ सैकेंडों बाद बड़ा भाई उस जल प्रलय में समा गया। तो रिश्ते के डोर की मजबूती को भी और रिश्ते की डोर की कमजोरी को भी उस केदार घाटी में देखा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने इस आपदा से निबटने के लिए, इस आपदा में राजनीतिक कारणों से नहीं मानवीय दृष्टिकोण से, मुझे लोगों ने कहा कि रावत जी आपने इतनी मेहनत की है, आपका सम्मान होना चाहिए, आपका अभिनन्दन होना चाहिए। मैंने कहा नहीं,

हमने जो काम किया है, यह किसी सम्मान के लिए नहीं किया है, हमने इंसानियत के लिए किया है और जब कोई काम इंसानियत के लिए किया जाता है। जब जंगल चट्टी में कोई उतरने के लिए तैयार नहीं था तब कैप्टन भूपेन्द्र को मैंने कहा, कैप्टन भूपेन्द्र और हजारों लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं। हेलीकॉप्टर उतारा और 100 मीटर आगे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। वह सात–आठ सौ लोग एक दिन में लगभग ढाई हजार लोग जब हमने जंगल चट्टी से निकाले। मुझे खुशी है इस बात की कि जो हजारों–हजारों लोगों को बचाने में माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग कामयाब हुए, उनका आशीर्वाद किसी सम्मान और अभिनन्दन से कम नहीं है। हमने उन लोगों के चेहरों पर देखा है, जब हम उनको बचाने के लिए गये थे उनके मुँह से, उनको आँखों से, उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता था, वही हमारे लिए काफी है। माननीय विजय बहुगुणा जी यहाँ आ गये हैं, आज इस सदन के सम्मुख, मैं अभी कह रहा था कि सदन में नहीं हैं। निश्चित रूप से जो शासनादेश इस आपदा में निकले हैं, मैं जब सुमाड़ी में पहुँचा, तिलवाड़ा में पहुँचा, सिली में पहुँचा, लोगों ने कहा रावत जी, हमारे पहाड़ में एक–एक परिवार में एक गाँव में, हमारी पहाड़ की परम्परा है कि चार भाई अलग–अलग रहते हैं। मैंने वहीं से माननीय मुख्यमंत्री बहुगुणा जी को फोन किया, मैंने चीफ सेक्रेट्री सुभाष कुमार जी को फोन किया कि हमारी परम्परा है, भाई अलग हो जाते हैं, एक परिवार को दो लाख सहायता मिल रही है, यह अलग–अलग होना चाहिए, उसका शासनादेश निकल गया। यह हमारी सरकार ने किया है। 11 हजार रुपया भैंस के लिए, घोड़े, खच्चर के लिए दिया जाता था। यह ऐतिहासिक निर्णय है, हमने इसको 50 हजार रुपया किया है। पहले केवल चार बकरियों के लिए दिया जाता था, हमने कहा अगर किसी की 100 बकरियाँ बंटी हों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को, इस हिन्दुस्तान में गुजरात में सुनामी आई थी, बिहार में बाढ़ आई थी। मान्यवर, हम कोई शाबासी और भाषण देने के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन आज हमें खुशी है इस बात की कि अगर किसी का एक करोड़ का होटल ध्वस्त हो गया तो हम एक करोड़ की मुआवजा तो नहीं दे पाये। लेकिन हमने उसके घावों पर मरहम लगाया है, उसके आँसुओं को तो नहीं रोक सकते थे। अगर उसके आँसुओं को पोंछने का काम हमारी सरकार ने किया है तो हमें निश्चित रूप से आत्मसंतुष्टि हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे शासनादेश हमारी सरकार ने किये हैं, कोई उपकार नहीं किया है, उन केदार घाटी के, चमोली और पिण्डर घाटी के लोगों पर। हमने जो कुछ किया है वह मानवता के लिए किया है, मानवीय दृष्टिकोण से किया है, इन्सानियत के लिए किया है, उत्तराखण्ड के देव भूमि के लोगों के लिये किया है, देश के लोगों के लिए किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह आपदा इस तरह की आपदा थी। मान्यवर, मैं आपदा प्रबन्धन मंत्री वर्ष 2002 में भी रहा हूँ। मैंने बुढाकेदार का भी भूकम्प देखा है, जहां पर 32 लाशें एक ही प्रांगण में पड़ी थी। जब मैं उत्तर प्रदेश में आपके साथ था और श्री कल्याण सिंह जी की सरकार में था और टिहरी, उत्तरकाशी में 702 मौतें हुई थी और मैं

उस समय राजस्व राज्य मंत्री था। मैंने बहुत बड़े हादसे देखे हैं। लेकिन निश्चित रूप से यह जो हादसा था, यह केवल विजय बहुगुणा, हरक सिंह और दस मंत्रियों, कुछ अधिकारियों के बल पर इसका सामना नहीं किया जा सकता था। उत्तराखण्ड की जनता इसका सामना नहीं कर सकती थी। पूरे देश की जनता ने इसमें हमारा साथ दिया, चाहे श्री मोदी जी हों, श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे हिन्दुस्तान के औद्योगिक घराने हों, मान्यवर, आप स्वयं मुझे सुमारी में मिले थे। आप जब पैदल यात्रा कर रहे थे। उस दिन वहां पर मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। जिस दिन माननीय हरीश रावत जी, रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी की पैदल यात्रा कर रहे थे, उस दिन मैंने भी अगस्त्यमुनि से रुद्रप्रयाग की पैदल यात्रा की थी। यह हमने कोई वाह-वाही लूटने के लिए नहीं किया था। हमने अखबारों की सुर्खियां बनाने के लिए नहीं किया था। हमने अपना धर्म निभाया है और इंसानियत की प्रति धर्म निभाया है। आज इस देवभूमि को पूरे देश और विदेश में मान और सम्मान मिला है। अभी माननीय निशंक जी ने नाम लिया (व्यवधान) कि कई गाँव के लोगों को मैंने देखा है। वहां उनके अपने घर में जो भी अनाज था, उन्होंने उन लोगों को खिला दिया। इससे हमारे उत्तराखण्ड देवभूमि का सम्मान बढ़ा है। हम स्वयं पीड़ित थे, दुखी थे और हम स्वयं चिल्ला रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरों की पीड़ा हमारी अपनी पीड़ा से बड़ी पीड़ा थी और आज पूरे देश के अन्दर हमारा सम्मान बढ़ा है। (मेज की थपथपाहट) केवल आपदा के विषय पर नहीं बल्कि हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों के मामले में जो काम किया है, वह भूतों न भविष्य, इतना काम हमारी सरकार ने किया है और मैं आभारी हूँ जो काम छूट गया था वन रैंक और वन पेंशन, हमारी केन्द्र सरकार ने वह काम भी कल किया है। (मेजों की थपथपाहट) उत्तराखण्ड की सरकार ने माननीय विजय बहुगुणा एवं माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में (व्यवधान) माननीय जीना जी, जब सुनोगे तभी तो मैं बताऊँगा कि नाराज क्यों हूँ? जीना जी, जो आपने इतने सुन्दर रंगीन कपड़े पहने हैं, उसका चेहरे में असर है और छोटे भाई का असर तो होगा। (व्यवधान) माननीय गुप्ता जी, मेरी वजह से अविश्वास नहीं आया। (हँसी) (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय जीना जी और माननीय गुप्ता जी, जरा शान्त रहें।

श्री हरक सिंह रावत-

मान्यवर, मैं गुप्ता जी से कह रहा हूँ कि आप रावतों के चक्कर में न पड़ें। (हँसी) आप यदि रावतों के चक्कर में पड़ोगे तो गफलत में रह जाओगे।

श्री संजय गुप्ता-

मान्यवर, हम तो मुगलों के चक्कर में भी नहीं आये। हमने उनकी भी कब्र नाप दी थी। (व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप मुगलों के चक्कर में नहीं आये तो रावतों के चक्कर में तो आ गये, आज अविश्वास प्रस्ताव ले आये हो। (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, भूतपूर्व सैनिकों के बारे में, मैंने कल भी कहा था कि माननीय मेजर जनरल (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी स्वयं एक सैनिक रहे हैं और वे 17 साल तक सांसद रहे हैं, वह भी इन सैनिकों के लिए कोई काम नहीं कर पाये जो हमारी सरकार ने किया है। प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी उनकी मांग थी। (व्यवधान) लेकिन उसके बावजूद भी, चाहे उन सैनिकों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप थी, चाहे उनके बच्चों की शादी के लिए था तो हमने सब कुछ दोगुना किया है, विधवा की शादी के लिए तीस हजार रुपये दिये जाते थे, हमने एक लाख रुपये कर दिये और निवास के लिए एक लाख रुपये दिये जाते थे, हमने दो लाख रुपये किये। मान्यवर, अर्ध सैनिक बल ने भूतो न भविष्य, तो इस हिन्दुस्तान में अर्ध सैनिक बलों को वो मान और सम्मान दिया चाहे वह बी0एस0एफ0 हो, चाहे आईटी0बी0पी0 हो, पूरे हिन्दुस्तान में कहीं नहीं मिला है जो उत्तराखण्ड की सरकार ने दिया है, तो वह ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, माननीय श्री गुलाम नबी, माननीय श्री हरीश रावत जी, हरिद्वार में तो श्री गुलाम नबी जी ने स्वयं कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री था, आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जम्मू–कश्मीर उत्तराखण्ड से बड़ा प्रदेश है, लेकिन जिस तरह से 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिसमें 2 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और 3 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं, एमएससी नर्सिंग की 18 सीटें हमको मिली हैं, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है लेकिन गवर्नमेण्ट सेक्टर में अभी तक वहाँ पर भी एमएससी नर्सिंग की क्लासेस नहीं हैं और यहाँ पर क्लासेस शुरू हो गई हैं तो यह ऐतिहासिक कार्य हमारी कॉंग्रेस की सरकार ने किया है। माननीय निशंक जी ने कहा की फीस को बढ़ा दिया गया है, जब हल्द्वानी, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज आज से 7–8 साल पहले खुले थे तो 15 हजार रुपये फीस था, तो अब निश्चित रूप से 15 हजार को मात्र 40 हजार किया गया है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस प्रकार से रुपये की कीमत घटी है तो 15 हजार को 40 हजार किया गया है। मान्यवर, चाहे आपदा हो, चाहे कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, कोऑपरेटिव का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो तो हमारी सरकार ने पिछले 02 वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किये और माननीय श्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में पिछले 10–15 दिनों में प्रदेश के गरीबों की नब्ज, अनुसूचित जाति के भाईयों की नब्ज, बेरोजगार नौजवानों की नब्ज को जो हमने महसूस किया है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है, तो इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव आज आप लाए हैं तो उसके खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, आपने जिस तरह से समय सीमा निर्धारित की है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी माननीय नेता सदन को भी और बहुत सारे साथियों को अभी और कहना है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दी थी कि दो घण्टे बढ़ाया जाये और अविश्वास जैसा महत्वपूर्ण मामला है और इसमें हर सदस्य पक्ष का और इधर का बोलना चाहता है। जिन सदस्यों की तबीयत खराब है, उन सदस्यों को सदन की अनुज्ञा लेकर जाने दिया जाये और उनकी उपस्थिति वोटिंग के समय मान ली जाये, क्योंकि माननीय नेता सदन कम से कम एक घण्टा बोलेंगे और हमारे एक सदस्य ने भी अभी तक नहीं बोला है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अविश्वास प्रस्ताव पर सब थोड़े ही बोलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लोग ही बोलते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, साइन तो सबके हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि उन सदस्यों को जाने दिया जाये, उनकी उपस्थिति मान ली जायेगी। माननीय नेता सदन बोलेंगे तो हम उसमें कई चीज बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन बोलने जा रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वे बोलें, लेकिन इसमें आपकी व्यवस्था चाह रहा हूँ कि इसको आगे बढ़ाना अति आवश्यक होगा, चाहे इसे कल के लिए कन्टीन्यू करें। इतना महत्वपूर्ण मामला है, इसमें सारे लोग कैसे नहीं बोलेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जिनको बोलना है, विनियोग विधेयक बजट पर बोल देना।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री हरीश रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम माननीय नेता विपक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने पास उपलब्ध ब्रह्मास्त्र का उपयोग एक ऐसे व्यक्ति की सरकार के खिलाफ करने का निर्णय लिया है, जिसको आये अभी मात्र डेढ़ दर्जन दिन हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने भी तात्कालिक तौर पर यह निर्णय लिया कि इस पर फौरन चर्चा हो। चूँकि मेरी भी दिली इच्छा थी कि अविश्वास के साये में, जब सदन में बात आयी

है तो सरकार चलाना हमारे लिए कठिन है। एक बार सदन इस बात का निर्णय कर ले कि हमारी सरकार में उसका विश्वास है या नहीं है। मान्यवर, आमतौर पर इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किसी भी पार्लियामेंट में देख लीजिए तो विपक्ष अपने से तीन सवाल करता है, बल्कि इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट में विपक्ष का क्या कर्तव्य है, उसको डिफाइन करने की बात आयी है तो कहा गया कि विपक्ष का कर्तव्य है "टू अपोज द गवर्नमेन्ट"। मैं स्वागत करता हूँ कि वे हमारी बहुत सारी बातें और हमारे बहुत सारे निर्णय अपनी स्क्रूटनी में लायें। उन्होंने पिछले दो साल की हमारी सरकार के समय की विवेचना की। हमारे निर्णयों, परिस्थितियों की विवेचना की है। दूसरा कर्तव्य है, जो उनका अधिकार है "टू डिपोज द गवर्नमेन्ट", इसका आशय यह है कि गवर्नमेन्ट को विपक्ष उखाड़ सकती है। मगर जब टू डिपोज द गवर्नमेन्ट की बात आती है तो उस समय नेता विपक्ष का कर्तव्य है कि वह अविश्वास प्रस्ताव रखते वक्त सदन से यह कहे कि मेरे पास ऐसी संख्या है कि मैं उसके बाद सरकार प्रपोज कर सकता हूँ। चूँकि टू डिपोज द गवर्नमेन्ट का अधिकार प्रतिपक्ष के पास है, उसके साथ उनका कर्तव्य भी निहित है कि टू प्रपोज द गवर्नमेन्ट। मैं समझ सकता हूँ कि यहां पर नेता प्रतिपक्ष के पास न सरकार को डिपोज करने की संख्या है और न ही प्रपोज करने के लिए उनके साथ कोई खड़ा है। मान्यवर, कल मैंने बहुत ही गहराई से सोचा कि कहां पर मुझ से कार्य करने में गलती हुई, क्या मेरी सरकार ने संवैधानिक रूप से ऐसी कोई गलती कर दी है, जिसके कारण विपक्ष को यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। क्या राज्य के प्रति जो सरकार का दायित्व है, क्या हम उस दायित्व को संकट की घड़ी में निर्वहन करने में विफल हुए हैं, क्या इसलिए प्रतिपक्ष को हमारे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ा है। क्या हमारी सरकार ने ऐसी कोई वित्तीय अनियमितता कर दी है, कोई इतनी बड़ी गलती कर दी है, कोई इतना बड़ा घोटाला कर दिया है, जिससे क्रोधित होकर के माननीय अजय भट्ट जी को अपने तरकश से ब्रह्मास्त्र निकाल करके उसके उपयोग की बात सोचनी पड़ी। माननीय अध्यक्ष जी, यदि आप पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो ऐसी कहीं कोई बात है नहीं। माननीय कपूर साहब आप तो इस सदन के सामूहिक विश्वास के कस्टोडियन रहे हैं। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूँ। मान्यवर, आपके साथियों ने एक सवाल यहाँ पर उठाया, कहा कि मुख्यमंत्री को विभाग ही आवंटित नहीं हुए हैं और हमने नोटीफिकेशन दिखाया और नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया कि नोटीफिकेशन फर्जी हो सकता है। जबकि ऐसा नोटीफिकेशन महामहिम श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति से निकलता है और जब एक बार नोटीफिकेशन है तो सदन के संचालन के दौरान हम अधिकृत कर सकते हैं कि मंत्रीगण किस तरह से सदन के प्रति जो जवाबदेही है, उसका निर्वहन करें, उसको पूरा करें, हमने वह किया और विधिसम्मत तरीके से किया। रहा प्रश्न इस बात का कि हमने विलम्ब क्यों किया। यह सवाल बार-बार पूछा जा रहा है।

*श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात से आप भी सहमत होंगे, महसूस भी करते होंगे कि आम जनता को इससे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ–साथ जो सरकारी मशीनरी है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उनको जो काम करना चाहिए, वह भी नहीं कर पा रही है, निश्चित रूप से आप इस बात से सहमत होंगे।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, निश्चित तौर पर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूँगा। माननीय कपूर साहब आपने एक बात स्वीकार की कि इसमें कोई संवैधानिकता का प्रश्न नहीं था। बहुत विनम्रतापूर्वक मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी मुख्यमंत्री को, जिसको अगले 3 साल तक सरकार का संचालन एक मुखिया के रूप में करना है, तो उसको विभागों को रेशनलाइज करने का मौका दिया जाना चाहिए। जब उसमें ह्यूमन कन्टेंट इन्वॉल्व होता है कि आप किसको देंगे, किसको चूज करेंगे, तो उसके लिए समय होना चाहिए। मैं 1 तारीख की रात को शपथ लेता हूँ, बजट की अनिवार्यता है और 6 तारीख से सदन संचालित होता है, जो फौरी कदम मैं उठा सकता था, वे फौरी कदम मैंने उठाए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, प्रदेश को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सदन के बाद हम शीघ्र, आपस में कहीं कोई भेद नहीं है, कहीं इसको लेकर कोई रार नहीं है। हाँ, कभी गलतियाँ होती हैं क्योंकि मंत्रिमण्डल में जो भी पोर्टफोलियो पहले से जिसके पास थे, उनका संचालन परस्पर सहमति से कर रहे थे, मुझसे एक जो चूक हुई और यदि मेरे किसी सहयोगी ने चूक की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट कर दिया और वह बात जागरूक मीडिया तक किसी तरह से आ गयी, तो इसका अर्थ यह हो गया कि बहुत जबरदस्त रार हो गयी और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाय। यदि ऐसे ही अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो आडवाणी जी ने तो पूरा खत लिख दिया था, जिसमें उन्होंने भाजपा अध्यक्ष और पूरा भाजपा के कार्यक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया था और बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। अभी देशवासियों की स्मृति में है। राजनीतिक दलों के अन्दर, आखिर कोई भी, राजनीतिक दल मनुष्यों से बना हुआ है और उसमें मानवीय संवेदनाओं का बड़ा भारी योगदान रहता है और यही मैनेजमेंट पॉलिटिकल आर्ट है, जो एक टीम लीडर के पास होना चाहिए और हमारे सहयोगी पूरी तरह से हमारे साथ खड़े हैं। मैं इसके दो उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हमको अभी डेढ़ हफ्ता भी नहीं हुआ है, जिसमें सारे सदन की कार्यवाही भी देखनी है, हम मंत्रिमण्डल की 5वीं बैठक करने जा रहे हैं और इन 5 बैठकों में हमने दूरगामी महत्व के 102 फैसले लिए हैं, यदि मंत्रिमण्डल में एका नहीं है तो नेता विपक्ष मुझे बतायें कि यह 102 फैसले कैसे लिये गये हैं और उन फैसलों के विषय में आप रोज पढ़ रहे हैं। अभी हम 19 तारीख को भी मंत्रिमण्डल की बैठक करने जा रहे हैं, उसमें भी कई और फैसले लेने जा रहे हैं, सामूहिकता की भावना के साथ और जो हमारी कलेक्टिव रिसपांसबिलिटी है कि इस सदन के प्रति और इस सदन के माध्यम से प्रदेश के लोगों के प्रति हम उसके प्रति जागरूक हैं।

आपने कहा कि काम सफर कर रहा है, मैं केवल दो उदाहरण देना चाहूँगा, करीब 800 शासनादेश हमने इस पीरियड में जारी किये हैं और इस सदन के पटल पर मुख्यमंत्री के रूप में मैं इस बात को कह रहा हूँ, कोई भी ऐसी फाइल कल शाम तक मेरे पास पेंडिंग नहीं थी, क्योंकि आज जो मैं आपके हवाले हूँ। कल तक की कोई फाइल ऐसी नहीं है, जिसका निष्पादन मैंने न किया हो, जो विभागों से मेरे पास आई है। अध्यक्ष जी, इनमें ऐसे भी महत्वपूर्ण मामले सम्मिलित हैं, जिनमें 19000 पद, जिसमें हमारे बहुत साथियों का दिल धड़क रहा था और धड़कना चाहिये, बेरोजगार, शिक्षित नौजवानों के लिये, जो 19000 पदों का बैकलॉग है, हमने उसे भरने का न केवल ड्राइव चलाया है, बल्कि 3700 पदों को हम विज्ञापित भी कर चुके हैं। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, 5000 पदों को हमने शिक्षा विभाग में पुनर्जीवित किया है। यहाँ पर मैं अपने दोस्तों से एक कारण जो मेरी समझ में बहुत आया और हमारे मदन कौशिक जी तो घोटालों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं, जमीनों को तो उनका रडार बहुत जल्दी पकड़ लेता है। उन्होंने कहा कि यह सरकार जहाँ जमीन देखती है, बंशीधर भगत जी ने तो, बल्कि मैं तो समझ रहा था कि दशरथ महाराज हमारी तरफ से इनको मनायेंगे, लेकिन वे तो खुद ही मन्थरा को मनाने लगे। (हँसी) उन्होंने उस बात को और आगे बढ़ा दिया, मैं एक बात बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री के छोटे से कार्यकाल में तीन मामले यहाँ पर लेकर आये, पत्थरचिटा का मामला लेकर आये, ऐसा लगा कि बड़ा भारी कोई ऐसा काम कर दिया गया है, जिससे इस प्रदेश के जमीनों की जो पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये थी, सरकार ने उसे बिलकुल रफा–दफा कर दिया है। आपने तो उसको ऐसा दिखा दिया कि जैसे वह कर ही दिया हो।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, आप शासनादेश करके भी नहीं मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, आपने इतने निर्णय ले लिये, 24 घण्टे काम कर रहे हैं, कुछ इन लोगों के लिये भी रख दो, गाड़ी–घोड़े तो दे रखे हैं इनको। (हँसी)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, आपकी यह शिकायत मुझे जायज लगती है और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने पत्थरचिटा, ऊधमसिंह नगर की जमीन के मामले में, आपका दिया कागज, जो आपका आईना था, उसी में आपको आपकी सूरत के दर्शन करवाये थे। आपने कहा था कि आपने शासनादेश निकालकर जमीन को दे दिया।

*श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर क्या था वो, आखिर वो था क्या? (व्यवधान)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, केवल एक महामहिम की अध्यक्षता में एक कमेटी, जिसने निर्णय लिया कि इस जमीन के कुछ हिस्से को वन गूजरों, दलितों, भूमिहीनों और आपदा प्रभावित लोगों को दिया जाय, यह निर्णय लिया और उसके मिनिट्स, उसमें यह नहीं कहा गया है कि आदेश है, उनके मिनिट्स अनुपालन के लिए और अनुपालन के लिए नहीं, आख्या के लिए सर्क्यूलेट किये गये थे और प्रदेश की जनता को आपने संदेश यह दिया कि जैसे कॉंग्रेस की सरकारों ने उत्तराखण्ड के लोगों की सामूहिक धरोहर को कौड़ियों के भाव बेचने का काम कर दिया। फिर आप सिटी पार्क ले आये। सिटी पार्क में आप कोई ऐसा प्रमाण नहीं दे पाये जिससे लगे कि हमने इसको खुर्द–बुर्द करने का कोई इरादा बनाया है। अब पता नहीं आप कहाँ से सपनों में तारे ढूँढ लेते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं बाद में भूल जाऊँगा, मैं माफी चाहता हूँ आपको टोक रहा हूँ, टोकना नहीं चाहिए। सिटी पार्क के मामले में अगर कोई प्रमाण नहीं था तो माननीय नेता सदन ने अपना कल जो यहाँ उत्तर दिया, उसमें क्यों बोला कि बिलकुल उसमें से कहीं भी जमीन जो है सिटी पार्क की समाहित नहीं की जायेगी। अगर प्रमाण कोई नहीं था हमारे पास तो उसी समय उत्तर भाषण आ जाना चाहिए था कि इसमें कहीं पर भी खुर्द–बुर्द नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, था ही नहीं ऐसा कोई मामला, अवसर आ जाता, कार्यवाही दिखवा लें।

श्री हरीश रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हम सहभागिता से सदन का संचालन करते हैं, आपने एक भावना व्यक्त की, मैंने आपको आश्वस्त किया कि हम जमीन को खुर्द–बुर्द नहीं होने देंगे। यदि मैं आपका सम्मान करूँ। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम (व्यवधान) आप हमको चौराहे पर नंगा कर दे रहे हैं और मैं केवल यह कह रहा हूँ माईजान हमने कोई गलती नहीं की, हमको काहे के लिए नंगा कर रहे हो। हकीकत तो यह है, जब हकीकत आपको बता दे रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि आपने उस समय क्यों कर दिया ऐसा। अरे, ये तो संसदीय लोकतंत्र का तकाजा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियम–58 में तो साफ आना चाहिए, कि सरकार का इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें तो स्पेसिफिक जवाब आना चाहिए। इसका मतलब कोई बात थी जब आपने कहा खुर्द–बुर्द नहीं किया जायेगा, नहीं तो पहले भी उसका जवाब आ ही गया था जब माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने दिया। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, एक बात है, मैंने यदि अतिरिक्त उत्साह दिखा दिया, आपके सम्मान में तो क्या यह मेरा अपराध है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने अगर प्रदेश की जनता के जो भूमि का खुर्द–बुर्द हो रहा है, उसकी रक्षा के लिए अगर कोई बात उठा दी तो क्या मैंने आपका अपमान किया, यह मैं आपसे पूछ रहा हूँ।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, बिलकुल नहीं किया इसीलिए हमने सम्मान किया उसका, लेकिन आज आपने और आपके साथियों ने हमारी सरकार के प्रति अविश्वास का आधार बनाया है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हकीकत कुछ और है।

श्री अजय भट्ट–

वो उसी को नहीं बनाया है मान्यवर, कई और चीजें हैं, उत्तर भाषण में देंगे अभी।

श्री हरीश रावत–

अभी दिल थाम कर रहिए, आगे बहुत सारी बातें हैं। मैं एक बात आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जरा सा बराए मेहरबानी हमको यह बता दीजिए कि आप खफा किस बात से हो गये। कुछ ने कहा कि हमको पूछा नहीं जा रहा है। मेरा तो खुला बल्कि यदि आपने कोट बदल दिया है तो घर जाकर देखियेगा तो मेरा तो दावतनाम है, मैंने तो कहा आईये आपके विधायकों के साथ मैं बात करना चाहता हूँ। यदि कहीं पर कुछ काम में, आपके कोई विधायक बता दें जो मेरे पास आये हों, मैंने कॉंग्रेस के विधायकों को पीछे रख करके आपके विधायकों की बात सुनी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस राज्य के विकास को यदि हमको चलाना है तो सहभागिता की भावना को विकास के मामले में विकसित करना पड़ेगा और इसीलिए मैंने कल भी आपसे निवेदन किया कि अभी भई जुम्मे–जुम्मे चार दिन हुए हैं, आप ऐसे ककिया ससुर क्यों बन रहे हैं, अभी बहू ने आ करके एक–दो कमरे भी घर के नहीं देखे। (व्यवधान)

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, बहू तो पूरे घर में कब्जा करना चाह रही है। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, और आप कह रहे हैं कि इसको लात मार करके बाहर कर दो, इसको इसके मायके पहुँचा दो। मान्यवर, जो आपके दिल का डर है, कहीं यह ऐसा तो नहीं है कि वह संजय गुप्ता की जुबानी बोल रहा है। हमारे किसी काम से हम कितना ही कुछ करें, अपोजीशन का अपना स्थान है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे ही सलाह पर काम करेंगे कि जो बहू को आये हुए अभी चार दिन

नहीं हुए, उसको उसके मायके का रास्ता दिखाना चाहेंगे तो जरूर इस घर पर उस बहू का कब्जा हो ही जायेगा। मैं तो ऊपर वाले से कहूँगा (व्यवधान) मान्यवर, यहाँ शंका सास पर नहीं है, सास का तो संरक्षण हासिल है, मगर जो चचिया सास है, जो जलन के मारे कुढ़ी जा रही है, डर उसका है, वह चार दिन की बहू को रास्ता दिखाना चाहती है, कहती है घर जा, मायके जा, कहीं ऐसा न हो इस घर के अन्दर झार-बार करके, साफ-सफाई करके खाना-वाना बढ़िया न बना दे, इसलिए चचिया सास के घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा है। इसलिए संजय गुप्ता को यह कहना पड़ा।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, आप आपदा में आये हैं, आपको तो प्रेतों का भी ध्यान देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

माननीय संजय जी, अपने नेता लोगों को बता दो, कहीं प्रेत गिनाते-गिनाते, प्रेत आत्माओं के चक्कर में न आ जायें। आप जरा इनको भी समझाते रहो।

श्री अध्यक्ष–

श्री संजय गुप्ता जी, कृपया शांत रहें।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, पहले तो आप बहुगुणा जी के जमाने में हरिद्वार में भजन-कीर्तन भी कर लेते थे। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, ऐसा है उसके दो कारण हो सकते हैं। हमने राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी गलती की होती। कल का दिन जब आप अविश्वास प्रस्ताव ले करके आये तो तब इस पर्वतीय भू भाग को दो नायाब तोहफे केन्द्र सरकार ने दिये, एक तो वन रैंक-वन पेंशन तथा यह पूर्व सैनिकों का राज्य है। वर्षों की उनकी आकांक्षा थी। जिस समय कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो मैल यस समझ तुम यस कला, महैणी दाज्यू देखो धें, तुमर तुल मैल काम करै, तुम लै के मल काम करो, तुमर मति ऐस आई कि तुम अविश्वास प्रस्ताव ली आया, बिशन सिंह जी जरा बताओ इनको कैसी मति आई। मान्यवर, यह वन रैंक-वन पेंशन का निर्णय हुआ। दूसरा बड़ा निर्णय बारह सौ करोड़ रुपये भारत सरकार ने इन हिमालयी राज्य के लिए जो फौरी आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए रखा है। हमको उम्मीद है कि उसमें से हमें तीन या चार सौ करोड़ रुपये मिलेंगे और

इस खबर के बाद मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है और आपने कहा कि बी0आर0ओ0 से सड़कें निकाल दी हैं तो हम कहां से सड़क बनायेंगे? जबकि हकीकत यह नहीं है। बी0आर0ओ0 पूरा प्लॉन बना करके और भारत सरकार ने उनको पैसा दे दिया है, वह अपने काम पर डटे हैं। आपने अपने लम्बे चौड़े भाषण में और आपने कई फोटोग्राफ भी दिखाये। माननीय शैलारानी रावत जी ने आपको बहुत माकूल जवाब दिया और मैं अपने तीनों साथियों से जिन्होंने इस चर्चा में बहुत हस्तक्षेप किया, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे मंत्रिमण्डल के दोनों सहयोगियों ने श्री हरक सिंह रावत जी और श्री मंत्री प्रसाद जी ने अपने भाषण में कम समय के अन्दर उन सारी बातों का उल्लेख किया जो हमारी सरकार ने पिछले दिनों में और आज हमारी सरकार ने जो कदम उठायें हैं। उन्होंने बहुत कुछ सीमा तक मेरा काम हल्का कर दिया है। आप अपने दिल में हाथ रखकर मुझे बता दें, आप विपक्ष ही नहीं, इस राज्य के नागरिक भी हैं। हमारी असफलता और सफलता इन दोनों में आपका अपना हिस्सा भी है। आप उसके भागीदार भी हैं। आप विपक्ष के साथ-साथ हमारे सामूहिक नागरिक कर्तव्य जो देश के प्रति हैं उसके सहभागी भी हैं। क्या इससे बड़ी दैवीय आपदा कहीं आयी? क्या इसकी आकस्मिकता के विषय में किसी को कोई संदेह है? यदि इस आपदा की तुलना उस काल से करूं जिस काल में आप लोग सत्ता में थे। चाहे वह असी गंगा में बाढ़ आयी हो या चाहे ऊखीमठ में भूस्खलन हुआ हो, चाहे चमोली और रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के अन्दर भूकम्प आया हो, क्या उससे ज्यादा संवेदनशीलता और बेहतर प्रबन्धनशीलता और ज्यादा इनीशियेटिव इस समय नहीं उठाये गये हैं। डेढ़ लाख के करीब लोग फंसे हुए थे जीवन मौत के बीच में, उनको रेस्क्यू करने का काम कोई सामान्य था? मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ और विजय बहुगुणा जी को कभी ज्यादा पूजा-पाठ करते हुए नहीं देखा है। लेकिन इन्होंने अतिमानवीय शक्ति के साथ उस आपदा का मुकाबला किया है। (व्यवधान) माननीय भगत जी आप जो कह रहे हैं कि मैंने 2-3 महीने पहले देखा, आपदा में काम ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा कहा है। मैंने उस समय जो भी सवाल उठाये हैं, उन सवालों पर मैं आज भी कायम हूँ। मैंने यह नहीं कहा कि आपदा में काम ठीक-ठाक नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि हमको आगे के प्रबन्धन के लिए क्या कदम उठाने हैं, उस बात को कहा है और वह सुझाव के रूप में कहा। क्या आपको हमारे सुझाव भी इतने चुभने लग गये हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत-

मान्यवर, आज आप जिस प्रकार से उनकी तारीफ कर रहे हैं, दो-तीन महीने पहले ऐसा नहीं था?

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, यदि मैं एक क्षेत्र के सांसद के रूप में कह देता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अमुख–अमुख काम हैं। उनके लिए क्या मुझे भजन–कीर्तन का सहारा लेना पड़ेगा? आपको मुझसे सीख लेनी चाहिए थी, आप अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए भी कहते। क्या मैंने जिन सवालों को उस समय उठाया था, वह सवाल जनता के नहीं थे? यदि मैं अपना कोई दृष्टिकोण रखता हूँ, क्या उस दृष्टिकोण की बाधिता का मतलब पार्टी की अनुशासनहीनता हो गयी? या किसी की खिलाफत हो गयी। क्या इस तरीके से अन्तर पार्टी लोकतंत्र चलता है, आपके वहाँ अन्तर पार्टी लोकतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं है?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, आपका ही दम था कि आपने बोला, ऐसा नहीं है मैंने तो स्वागत किया।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, आज भी स्वागत है और मैं कह रहा हूँ कि जितना दबाव आज श्रीमती शैला रानी रावत, श्री हरक सिंह रावत, श्री राजेन्द्र भण्डारी, श्री जीत राम, श्री ललित फर्स्वाण, श्री हरीश धामी, हमारे ऊपर पैदा करने का काम कर रहे हैं या मन्दिर समिति के चेयरमैन के रूप में श्री गणेश गोदियाल कर रहे हैं तो आप भी उसी तरह का दबाव पैदा करते, कुछ सुझाव लेकर के आते, आप तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आये, आपदा के विषय में कोई सुझाव लेकर के मेरे पास नहीं आये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप ले आये, क्या हमको यह अधिकार मिला नहीं है?

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, बिलकुल है, मैं आपके लोकतांत्रिक अधिकार का नत मस्तक होकर सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या अपने भाइयों से ये गुजारिश करने का यह अधिकार आप मुझसे छीन लेंगे कि उनसे कहूँ कि आप ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से पहले छोटा–मोटा कागज में लिख करके मेरे पास ले आते, शायद आपका छोटा अस्त्र ही इस मामले में ज्यादा कारगर हो जाता, आप काहे के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, यह आपदा पर नहीं है, आपदा तो आपके यहाँ है, ये आपके यहाँ के आपदा पर अविश्वास है, यह उस आपदा पर अविश्वास नहीं है, इसमें थोड़ा सा संशोधन करने की जरूरत है।

श्री हरीश रावत--

मान्यवर, यदि आपका पूरा भाषण देखा जाये तो आपने तो पूरा भाषण आपदा पर ही दिया है, हमारी आपदा में तो शायद श्री हरक सिंह को देखने के बाद कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई और एक बात आपने पैदल चलने की कही तो श्री हरक सिंह जी ने बता दिया कि आप कितना तेज चलते हैं, तो इसलिए श्री अजय जी, मैं यहाँ से करबद्ध तरीके से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आइये, इस दैवीय आपदा से निपटने के विषय में आपके जो भी विचार हैं तो मैं पूरे मंत्रिमण्डल के साथ आपके साथ बैठने को तैयार हूँ और हमको सुझाव दीजिए और हम खुले मन से उस पर विचार करेंगे और उसको क्रियान्वित करने का काम करेंगे। आपने कह दिया कि हजारों लाशें लटकी पड़ी हैं, हम इस पद पर आते हैं और जाते हैं मगर इस राज्य की अपनी भी तो कुछ बातें होंगी, इस राज्य में क्या हम यही पेंट करते रहें कि हम इतने बड़े आपदाग्रस्त हो गये हैं कि हम लाशों का मैनेजमेण्ट नहीं कर सके ? क्या हम यही पेंट करते रहें कि राज्य इतना नॉन एक्सेसेबिल हो गया है कि यहाँ आने में लोग काँपें ? क्या हम यही पेंट करते रहें कि इस राज्य के अन्दर जितनी आवागमन की चीजें हैं, वह सब इतनी अवरुद्ध हो गई हैं कि लोग यहाँ आने से पहले दस बार सोचें? आपका सुझाव होता और आप यहाँ पर आकर कहते कि हरीश रावत, आप फेल हो रहे हो, आप उत्तराखण्ड की ब्राण्डिंग करें ताकि उत्तराखण्ड की तरफ लोग एक नये विश्वास के साथ देखें और लोग यहाँ आयें और बदले हुये उत्तराखण्ड को देखें और आत्मविश्वास से भरे हुये उत्तराखण्ड को देखें, तो आत्मविश्वास लोगों में पैदा करने का काम करें और उस काम में हम आपका साथ देंगे, तो यकीन मानिये मेरे ऊपर उस ब्रह्मास्त्र से ज्यादा असर होता और जनता के अन्दर भी ज्यादा प्रभावी असर होता। यह तीसरी बार अविश्वास प्रस्ताव आया, दो बार श्री नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में और एक बार मेरे कार्यकाल में आया और शायद भारतीय संसदीय लोकतंत्र में विधानसभाओं में कहीं भी यह पहला मौका होगा जब किसी चीफ मिनिस्टर को डेढ़ हफ्ते के अन्दर अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा हो, तो आप क्या जताना चाहते हैं, तो एक दिन आप छीन लेना चाहते हैं, जो आपदाग्रस्त क्षेत्रों में काम करना आवश्यक है। मान्यवर, क्या यह चुनौती आज हमारे सामने नहीं है, क्या मैं इस चुनौती से अनजान हूँ, क्या मंत्रिमण्डल के सदस्य इस चुनौती से अनजान हैं, जिन चीजों का आपने जिक्र किया है। क्या जो फाटोग्राफ्स आप दिखा रहे हैं, ये फोटोग्राफ्स दूसरों के पास नहीं हैं, क्या हमारे लोगों ने वहाँ नजदीक से जाकर नहीं देखा हैं, जो चेयर में बैठे हैं, क्या उन्होंने नजदीक से इसको नहीं देखा है। वस्तुस्थिति की गम्भीरता का आकलन करना अलग बात है, लेकिन वस्तुस्थिति से निपटने के लिए हौसला देना अलग बात है, यह हम सबका कर्तव्य है। आज जो भी मशीनरियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, उनसे भी हमें काम लेना होगा। दिनांक 16 एवं 17 जून को जब आपदा आयी थी, यदि हम विजय बहुगुणा जी से कहें

कि विजय बहुगुणा जी आपकी मशीनरियाँ कहाँ गयी, तो विजय बहुगुणा जी अपने मन से यह सवाल तो करेंगे कि मैं एक साल के अन्दर या सवा साल के अन्दर कितनी मशीनरी खड़ी कर देता। मान्यवर, पहले वालों ने कितनी मशीनरियाँ खड़ी की हैं? क्या अकेले हम ही सत्ता में रहे हैं। हम तो यहाँ पर करीब–करीब आधा–आधा बाँट चुके हैं, यदि इस आधे–आधे समय में आपदा तंत्र खड़ा नहीं हुआ तो क्या हम आधा–आधा इसका ब्लेम लेने को तैयार हैं? "कमॉन बी बोल्ड", बताइये न क्या हम आधा–आधा ब्लेम को लेने को तैयार हैं? मान्यवर, राज्य की जनता के प्रति कुछ सामूहिकता हमारी भी है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माफी चाहता हूँ। हम आधा नहीं, पूरा लेने को तैयार थे, माननीय मोदी जी ने कहा था कि पूरा हमें सौंप दीजिए, हम उसे परफेक्ट कर देंगे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, वो आपकी कल्पना के महापुरुष हैं और हमने भी उनकी एक बानगी देखी, वे पूरी ताकत लगा करके, हम तो कुछ नहीं निकाल पाये, वो पाँच सीटर हवाई जहाज के साथ 25000 लोगों को निकाल कर ले गये। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मोदी जी ने यह कहीं भी नहीं कहा है और जिस अखबार में यह छपा था, उस अखबार ने माननीय मोदी जी से माफी माँग ली है। मोदी जी ने उनको नोटिस दिया, मोदी जी ने यह बात कहीं पर भी नहीं कही है। मैं इस बात को यहीं पर साफ कर देना चाहता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कहीं पर भी माननीय मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा है और कम से कम आपको भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपको कम से कम इस तरह की राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। अखबार वाले ने तो माफी माँग ली है। जो इण्डियन एक्सप्रेस में छपा था, उसने माफी माँग ली है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, सॉरी, पेपर का नाम कुछ और होगा, जिस पेपर का नाम मैंने कहा है, उसे कार्यवाही से निकालने का कष्ट करें।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, यदि हमें आपदा के समय कहीं से कोई सहायता मिल रही है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, जितनी विकराल रूप से आपदा आयी थी तो देश के अन्य भागों से और विदेशों से भी हमें सहायता मिली है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए था, न कि उसे पालीटिकल इश्यू बनाना चाहिए।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, यदि मैंने ठीक से पढ़ा है और मेरी स्मृति ठीक हो तो उस समय के मुख्यमंत्री ने श्री नरेन्द्र मोदी को उनके द्वारा जो प्रदत्त सहायता है, उसके लिए धन्यवाद दिया था और उनके सहयोग के आश्वासन के लिए भी धन्यवाद दिया था। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मैं एक बार बड़ी विनम्रता के साथ माननीय नेता सदन को कहना चाहता हूँ कि आधा–आधा बाँटने की बात हो रही है। ये परम्परा तो आपके यहाँ पड़ी कि आपके पूरे दल ने, आपके हाईकमान ने सिर्फ एक व्यक्ति को आपदा का दोषी माना है, पूर्व मुख्यमंत्री को और पूरी की पूरी सरकार वही रह गयी। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जब पोर्टफोलियो बाँटेंगे तो माननीय यशपाल आर्य जी को जरूर आपदा प्रबन्धन दे दीजिए, क्योंकि आपदा पर मुख्यमंत्री चले गये और आपदा प्रबन्धन वहीं का वहीं मौजूद है।

श्री हरीश रावत–

माननीय सदस्य, किच्छा, जरा अपनी पार्टी का भी प्रदेश के अन्दर जो डेवलपमेंट है, उसकी भी जरा स्टडी कर दीजिए। स्वर्गीय नित्यानन्द स्वामी जी, क्यों चले गये, हमारे नायाब दोस्त श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी क्यों चले गये ? हमारे अतिगतिशील, मैं तो इनका सांसद भी हूँ और ये पूरे क्षेत्र के अन्दर चकरघिन्नी की तरह घूमते रहते हैं और बुढ़ापे में मुझे भी दौड़ाते रहते हैं, इतने गतिशील व्यक्ति को क्यों जाना पड़ा। मान्यवर, जिस दिन इसका खुलासा कर देंगे, उस दिन मैं और विजय बहुगुणा जी दोनों खड़े होकर खुलासा कर देंगे कि क्यों हम गए और क्यों आए। अरे सूप कहे तो कहे, छलनी क्या कहे, जिसमें 100 छेद। अपनी भी देख लो न, उसके बाद बात करो। आईये और देखिए, आपदा पर हमने जो निर्णय लिए हैं............

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, हरीश रावत जी, छलनी इधर नहीं है। इधर तो यदि परिवर्तन हुआ तो हमने कभी इस बात का प्रतिकार नहीं किया कि उनको क्यों हटाया, आपको क्यों बैठाया। हमारे आने और जाने में तो सेकेण्ड नहीं लगे, यह तो व्यवस्था उनकी थी लेकिन 18 दिन तक मंत्रियों को विभागों का बँटवारा तक न हो, यह तो पहली बार हो रहा है।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं आपको उत्तर दे चुका हूँ। आपको एक बड़ी शिकायत थी कि एम्स ने आपके समय में जन्म लिया। अब आपके समय में जाते–जाते कई चीजों ने जन्म लिया। जिलों ने भी जन्म लिया। आप जरा जन्म तिथि देखिए, जिन चीजों ने जन्म लिया आपके कार्यकाल में उनकी जन्म तिथि वह है, जब आपकी चलाचली निश्चित हो गयी थी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, और आपने उनको जन्म लेते ही मार दिया।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, हमने मारा नहीं। हमने उस कान्सेप्ट को नए सिरे से बिल्ड–अप किया और आज एक एम्स नहीं, 6 एम्स दिये। हमने कहा कि यदि सुझाव कहीं से आया था, सुझाव उससे पहले हमारे कार्यकाल में भी चला था लेकिन उस समय संसाधन नहीं जुटा पाए थे लेकिन जब हम संसाधन जुटा पाए तो हमने रिकॉर्ड पीरियड के अन्दर 6 एम्स को खड़ा किया, जिसमें ऋषिकेश का एम्स भी है। (मेजों की थपथपाहट)

*श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, 5 साल तक कॉंग्रेस की यहाँ सरकार रही, एक ईंट तक नहीं लगी, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें ईंट लगी हैं, उससे पहले कोई काम नहीं हुआ था। मुझे धरना-देना पड़ा था, मेरे पूरे क्षेत्र की जनता ने धरना दिया था, उसके बाद काम शुरू हुआ। आपकी जानकारी में न हो तो कृपया संशोधन कर लीजिए।

श्री हरीश रावत–

माननीय अग्रवाल जी, जरा एक बार जाकर देख आइए। आप और चीजों को मत देखिए। टेण्डर, कागज ये तो झूठ नहीं बोलते। कब उसका पहली बार टेण्डर हुआ, आप बताइये।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनके माध्यम से बार–बार केन्द्र सरकार को चेताया गया, तब काम शुरू हुआ एम्स के अन्दर ऋषिकेश में।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, चेताने का काम तो आपने बहुत किया, जब हमने आपको चेताया। माननीय मदन कौशिक जी ने कहा मुझसे कि आपने 1607 खत लिखे और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं अपने लघु भ्राता को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे खतों को याद रखते हैं, उनकी गिनती लगाते रहते हैं। इनमें से जब आप मंत्री थे, तब मैंने कितने खत लिखे थे आपको?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मुझे आपने एक खत लिखा था।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, उस खत में मैंने क्या अनुरोध किया था आपसे? एक ही नहीं लिखा था, लिखे तो तीन थे। मैंने आपकी सरकार से, जिस समय निशंक जी मुख्यमंत्री थे, यह कहा था कि ई0एस0आई0 के हॉस्पिटल के लिए जमीन दे दीजिए और आपने दो साल तक मेरे खत का जवाब देना भी गवारा नहीं किया था। मैंने भारत सरकार के खत लिखे थे, उस समय मैं उस मंत्रालय का मंत्री था और वह विभाग कार्य विभाजन में मुझको मिला हुआ था। मैंने उसमें विजय बहुगुणा जी को भी याद दिलाया।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, आपने मेरा नाम लिया इसलिए कहना चाहता हूँ कि तीन स्थानों पर जमीन सुनिश्चित कर दी गयी थी और फाइनल आपको करना था। अब आप फाइनल नहीं कर पाए तो हम क्या करते। आज भी उसका रिकॉर्ड देखा जा सकता है।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, हमने तीन टीमें भेजी। आपने उनके साथ जगह बताने के लिए किसी को भेजना भी गवारा नहीं किया। अगर आप बहुत आगे जाएंगे, उस विषय में मेरी जानकारी है, मैं पूर्व से उसको देख रहा था। अरे, उसको तो छोड़ दीजिए, उत्तरी भारत के लिए एकमात्र महिला इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर हमने मंजूर करवाया था, हरिद्वार के लिए। आप हमको एक टेम्प्रेरी आई0टी0आई0 नहीं दे पाए थे। आपको तो हमारी दी हुई चीज इतनी बुरी लग रही थी उस समय। हमने 40 आई0टी0आई का उस समय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयन किया और आपने उसमें एक पैसा खर्च नहीं किया। आप काहे के लिए वो सारी चीजें कह रहे हो?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जगह के बारे में आपने कहा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक पत्र भी लिखा और व्यक्तिगत रूप से डाम कोठी में कहा, मान्यवर, मैंने उसी दिन आपसे कहा था कि जो जमीन धनौरी के पास है, उसे ले लीजिये, आपने कहा कि हम उस स्थान पर नहीं बनाना चाहते, दूसरी जगह बनाना चाहते हैं, इसलिये सारा विषय अटका रहा।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, हाँ, मैंने आपसे कहा था कि 1300 करोड़ का मेडिकल कॉलेज जो स्टेट ऑफ आर्ट है, वह निश्चित तौर पर यह चाहेंगे कि वह दोनों तरफ से सड़क से खुला हुआ हो, उनको अच्छी साइट दी जाय क्योंकि अन्य राज्य सरकारें निःशुल्क भूमि लेकर और अच्छी साइट्स लेकर आ रही थीं, मैं विजय बहुगुणा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने निःशुल्क जमीन उपलब्ध करवाई। आज उसका परिणाम है कि तीन स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल, ई0एस0आई0 से, चार डिस्पेंसरियाँ और एक मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता प्रशस्त हो सका। शुरुआत भले ही उन्होंने की, फाउण्डेशन रखने का मुझे मौका मिला, यह विकास की प्रक्रिया में कब किसे हाथ में बैटन आ जाय, उसको आगे बढ़ने दीजिये। उन्होंने एन0डी0आर0एफ0 के लिये जमीन दी, आपने हमें कोर्ट में उलझा दिया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप भी जानते हैं कि उसके लिये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। मैंने तो स्वयं इसे रखा था, प्रक्रिया पूरी होती तो यह हो जाता।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, आप प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, यह दैवीय आपदा क्या प्रक्रिया देखकर आई थी, स्वामी जी, आप तो ऋषि हैं, मुनि हैं, आप बताइये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उसमें कोर्ट से स्टे आ गया था, आप यदि प्रक्रिया अपनाते तो कोर्ट उसमें स्टे नहीं करता।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, आइये विकास के कार्यों में नकारात्मक दृष्टिकोण मत अपनाइये, सहयोग का दृष्टिकोण अपनाइये। आपने यहाँ से खड़े होकर एक बात कही, आपमें से किसने कहा मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, कहा गया कि मकान नहीं बने हैं। हमने उनको 3000 रुपये किराया देने का निर्णय लिया था, मैंने आपकी बात की गम्भीरता को नोट किया और उसी समय इनसे कहा कि इस समय 500 रुपया बढ़ाइये और यदि अगले साल तक हम उनको मकान या जमीन नहीं उपलब्ध करा पाये तो हम उनको चार हजार रुपया किराया देने का काम करेंगे। यदि आपकी तरफ से सुझाव आये और हम नकारात्मक दृष्टिकोण अपनायें, तो हम दोषी हैं।

*श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं नेता सदन की बात पर एक बात कहना चाहूँगा। मसूरी में 38 परिवार, जो दिनांक 16–7 को विस्थापित हुये, यह एस0डी0एम0 की सूची है, उनको विस्थापित कर एक जगह रखा गया, वह अभी तक रोड की पार्किंग में रह रहे हैं। जो मुख्यमंत्री पूर्व में रहे, उनसे मेरा काफी स्नेह रहता है। मैं उनके पास गया, उन्होंने साफ लिखा हुआ है, ये इक्वल टू थाउजेण्ड पर मंथ, सात महीने के बाद उनको अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम उनको पैसा दे रहे हैं।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, अगर वह क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो अगले एक हफ्ते के अन्दर.........।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, यह एस0डी0एम0 की लिस्ट है।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, यदि किसी चीज को विधायकगण या सांसदगण लिखते हैं तो मंत्री या मुख्यमंत्री का दायित्व है, उस सुझाव को गतिमान करें और उन्होंने उस सुझाव को गतिमान किया, यदि रिपोर्ट में यह आया होगा कि यह पात्र हैं तो उनको यह राशि प्रदान की जायेगी, पिछली डेट से, जब से वह विस्थापित हुए हैं।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, यदि वह पात्र नहीं थे तो एस0डी0एम0 ने लिस्ट क्यों बनाई?

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं सारी डीटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने मोटे तौर पर आपका सम्मान रखने के लिये यह बात कह दी। आपका काम है उसे सिद्ध करिये, हमारा काम है, जो हमने कहा है, उसे पूरा करने का काम करेंगे। दूसरा सुझाव हमारे साथियों की ओर से यह आया कि आपदा प्रबन्धन तंत्र को मजबूत करें, आपदा प्रबंधन तंत्र है कहाँ का, मैं भी स्वीकार करता हूँ और विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, विजय बहुगुणा जी यहाँ पर हैं, सदन के सदस्य के रूप में, मैं उनके सामने भी कह रहा हूँ कि हमको आपदा तंत्र के बारे में अभी बहुत कुछ करना है। मगर ऐसा नहीं है कि शुरुआत नहीं की गई, एस0डी0आर0एफ0 की बटालियन को खड़ा करने का काम उनके कार्यकाल में हुआ। हमने उसको और एड कर दिया, हमने उनसे कहा है कि आप किसी भी हालत में 30 मई तक हमें ट्रेन्ड मैन पॉवर एस0डी0आर0एफ0 के रूप में दीजिये। मान्यवर, और आपको ट्रेनिंग जहाँ प्रारम्भ करनी है, आप ट्रेनिंग प्रारम्भ करिये और एन0डी0आर0एफ0 के इंस्ट्रक्टर्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को लीजिए, एन0डी0आर0एफ0 की फैसेलिटी को इस्तेमाल करिये और जो हमारा इंस्टीट्यूट है, माउन्टेनियरिंग का, उसको इस्तेमाल करिये, हमने उसे एक कदम और आगे बढ़ करके कहा, हमने कहा, हमारे जिन्हें गुरिल्ला भाई कहते हैं, जो एस0एस0बी0 के वालंटियर्स हैं, हमने कहा, उनमें जो एबिल बॉडी लोग हैं, उनकी एक वालंटियर कोर, जिनको हम मानदेय पर खड़ा करने का काम करेंगे, उनको तैयार करिये, वो एस0डी0आर0एफ0 की मदद करने का काम करेंगे। यह अलग बात है, हमने उनके लिए जो बुजुर्ग होते हुए लोग हैं, उनके लिए हमने एक अलग पोस्ट बनाकर उनको स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने का भी निर्णय लिया है हमारी मंत्रि परिषद् ने, लेकिन हमने यह निर्णय लिया, ताकि हम तंत्र को विकसित कर सकें। मगर मैं यहाँ जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि हमने चाहे श्रीरब निर्णय लिये, हमने पी0आई0यू0 खड़े किये, जिसको हमने परियोजना क्रियान्वयन इकाई कहा। जब हमें लगा कि हमारी पी0डब्ल्यू0डी0 और दूसरे जितने विभाग हैं, जितने इंजीनियरिंग विभाग हैं, उनकी निर्माण प्रक्रिया और चीजों को वर्क्स पर अरेन्ज करने की प्रक्रिया बड़ी धीमी है तो हमने कई निर्णय लिये। पहला निर्णय हमने यह लिया कि 50 या 40 करोड़ रुपया हमने सीधे इस काम के लिए निकाल करके उनसे कहा कि आप पूल टेंडरिंग करके काम शुरू करवाईये। जहाँ सड़कें बहुत खराब हालत में हैं, उनके गड्ढे इत्यादि को भरने का काम करिये। आज आपने यहाँ नेशनल हाईवे का मामला लिया, हमने इसी में नोट लिख करके अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों से सहमति ली और उस सहमति के आधार पर यह भी फैसला किया है कि जो हमारे हाईवेज हैं, उनके अन्दर भी जो गड्ढे इत्यादि हो रहे हैं, जिससे लोगों के आवागमन में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उस काम को भी हम स्टेट से फण्ड करने का काम करेंगे, हम दिल्ली से कब पैसा चल करके आता है, उसका इन्तजार नहीं करेंगे। आपने उठाया, हमने उस कदम का भी अनुपालन करने का काम किया है और हम धन्यवाद देते हैं।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, देहरादून से हरिद्वार तक की स्थिति बहुत खराब है। आपके संसदीय क्षेत्र में है, इसलिए मैं स्पेसिफिक उठा रहा हूँ। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी, माननीय कौशिक जी, चर्चा हो रही है अविश्वास प्रस्ताव पर, उसी मुद्दे पर बात करिये, विषय को मत भटकाइये।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, उनके अविश्वास में भी हमारे प्रति विश्वास छिपा हुआ है, इसीलिए वो ये सवाल कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। नवप्रभात जी, आपको, हमको उनके इस मामले में भी जो उनके दिल की बात

है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और वो ये समझते हैं कि काँग्रेस की सरकार है, वे ठीक कदम उठायेगी इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी विश्वास व्यक्त करने वाली बातें कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मेरी विधान सभा में 04 आदमी मर गये। 30 सितम्बर को भूस्खलन से 04 आदमी मर गये। अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला। बड़े–बड़े आप दावे कर रहे हैं यहाँ पर। आपके आवास से 04 कि0मी0 की दूरी पर 04 आदमी मर गये, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मान्यवर, विनोद थापा, सरिता, इनके दो बच्चे 30 सितम्बर को मरे, ए0डी0एम0 वहाँ पर आये, प्रभारी डी0एम0 वहाँ पर आये, सारे अधिकारी वहाँ पर आये। जब यहाँ की यह स्थिति है तो वहाँ की क्या स्थिति होगी।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, आप बैठ लीजिए। गणेश जी, आप पिछले कुछ दिनों के अन्दर मुझसे चार–पाँच बार मिले हैं तो आपने उसमें जब सभी चीजें कहीं थीं तो इतना और कह देते। अब अचानक जो है, जब इतने प्यार से मिलते हैं और इतने प्यार से हमसे करवाते हैं तो ये सबके सामने काहे को आपके और मेरे प्यार का भण्डाफोड़ करते हैं।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, आप गणेश हैं, गणेश तो एक ही जगह पर स्थापित रहते हैं, लेकिन आप जम्पिंग गणेश हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पी0आई0यू0 खड़ी ही नहीं की है। हमने एस0डी0एम0 की अध्यक्षता में एक करोड़ रुपये तक के और कुल मिलाकर एमाउन्ट क्वान्टीफाई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वह पी0आई0यू0 एक करोड़ तक के कामों को करने के लिए अधिकृत होगी। उसको जिले की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमने यह भी निर्णय लिया है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी पी0आई0यू0 होगी, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, उसको एक करोड़ से पाँच करोड़ तक के कामों के लिए हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। पाँच करोड़ से ले करके 10 करोड़ तक के कामों के लिए कमिश्नर उस काम को करेंगे, हमारे पास तब भी उस काम के लिए आने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं व्यापकता को जो नुकसान हुआ है उसकी, हम चाहते हैं चीजें गतिमान हों और मैं पूरे भरोसे के साथ आपसे कह रहा हूँ, अगले दस दिनों तक यदि मौसम साथ देगा तो जो आपदा रिलेटेड काम हैं, में अच्छी प्रगति दिखाई देगी और मैं आपको दावत देता हूँ कि 10 दिन के बाद

क्योंकि गैरसैंण के लिए अजय जी ने बहुत सारी बातें कहीं, गैरसैंण में कितना क्यों फूंक दिया, कुछ लोगों ने बिल इत्यादि भी दिखाये थे पेमेन्ट नहीं हुआ, वह पेमेन्ट नहीं हुआ। क्या गैरसैंण के लिए हम सबका दिल नहीं धड़कता है। यदि एक निर्णय ले लिया सरकार का, मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया, वहाँ पर सचिवालय बनाने का निर्णय लिया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक सहमति बना करके सचिवालय टाइम पर बनेगा। हम सहमति बना करके, क्योंकि यह संवेदनशील सवाल है, यह कोई एक पक्ष और दो पक्ष का नहीं है, सब बैठेंगे और इस सवाल को रिजाल्व करेंगे। विजय बहुगुणा जी एक कदम उठा करके गये। अब उस कदम को कैसे लॉजीकल कनक्लूजन तक पहुँचाना है, उसमें हम सब लोग बातचीत करेंगे। मैं आपदा के मामले में आपको दावत देते हुए कहना चाहता हूँ कि अजय जी, मार्च के महीने में आपदा से रिलेटेड दो दिन का विधान सभा का सत्र गैरसैंण में कर लेते, यदि आपको मंजूर हो तो आगे आइये। अब रहा सवाल केदारनाथ का। जरा सा आप मेरी तरफ गौर फरमायें, केदारनाथ में, गंगोत्री, यमुनोत्री, कैलाश मानसरोवर और हमारे दूसरे जो रूट्स हैं, मैं उनके विषय में निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि हम इन गर्मियों में इन सड़कों को, इन मार्गों को सुधार लेंगे और यात्रा निर्बाध रूप से होगी। मैं उतने डीटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है। जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, वह है हमारी केदारनाथ तक की यात्रा है, उसको पूरा करने की। हमने उसके अन्दर इस समय काम लगा दिया है। मैं जानता हूँ, जो वहाँ काम कर रहे होंगे, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन फिर भी वहाँ हमारे लोग बहुत बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम रामबाड़ा तक और रामबाड़ा से आगे के लिए एक सेक्टर कमान्डर के तौर पर एक व्यक्ति की और दूसरे व्यक्ति की एडिशनल सेक्टर कमान्डर के तौर पर नियुक्ति जल्दी करने जा रहे हैं। हमने लोग आइडेन्टीफाई कर दिये हैं, उनके नेतृत्व के अन्दर हम वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड यूनिट खड़ी करने का काम करेंगे, ताकि आने वाले दिनों के अन्दर केदारनाथ तक यात्रा मार्ग बना सकें। केदारनाथ में जो बाजार रूट इत्यादि बनाने का काम है मान्यवर, हमने फैसला लिया है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी को वह काम हम सौंपेंगे और वहाँ जो बड़े काम हैं, उन कामों में कई तरीके के कदम एक साथ उठाने की जरूरत है। जिसमें रिवैनलिंग का भी काम है, दोनों नदियाँ मन्दाकिनी को और सरस्वती को, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर कुछ लोग अभी भी दबे हैं। उनको भी यथासम्भव जो निकालने का काम है, उस काम को भी अंजाम देने का काम करेंगे। हम जी0एस0आई0 की जो सिफारिशें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और वहाँ की इकोलॉजी को बिना डिस्टर्ब किये हुए, एक नई टाउनशिप बनाने के प्रोजेक्ट पर भी, जिसका कॉनसेप्ट माननीय विजय बहुगुणा जी फाइनल करके गये हैं और उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम आपका सहयोग चाहते हैं और आप हमको सहयोग दीजिये। यदि सहयोग नहीं

दे सकते हैं, आप तो माता झूलादेवी के पुजारी हैं और मैं उनका भक्त हूँ। आप मुझे आशीर्वाद के तौर पर दे सकते हैं और आप द्वाराहाट में दूनागिरी माता जी के भी पुजारी हैं और मैं दोनों का भक्त हूँ। आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम उन कामों को कर सकें। आपको जिस रूप में हमारा सहयोग चाहिए आप हमको सुझाव दीजिए। हम उन सुझावों का अनुपालन करने का काम करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है, बजाय इस बात के आप हमको सचेत करना चाहते थे और आप हमारी कुछ कमजोरियों को सामने लाना चाह रहे थे। आप कुछ ऐसे नीतिगत विषयों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। हम सभी बातों का गम्भीरता के साथ संज्ञान लेंगे और मैंने जो प्रारम्भ में कहा है कि इसका औचित्य नहीं बनता था, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ। मैंने एक सैद्धान्तिक बात कही है। लेकिन व्यवहारिकता के तकाजे पर, आपका जो अविश्वास प्रस्ताव है (व्यवधान के मध्य)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, जो असली अविश्वास का प्रस्ताव है थोड़ा उस पर भी बोलें। आपने उस बात को भटकाकर केवल आपदा के ऊपर कह दिया है। जो इधर की आपदा है उस पर भी आप बोलें। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरीश रावत–

माननीय निशंक जी, आपदा पर यहाँ चर्चा होनी नहीं थी। तो माननीय अध्यक्ष जी को आपके भाषण का 80 प्रतिशत अंश कार्यवाही से निकालना पड़ेगा। आपने भी तो वहीं बातें कही हैं। (व्यवधान के मध्य)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, हमने हर मोर्चे पर अविश्वास का प्रमाण दिया है, जहाँ से अविश्वास शुरू हुआ है, उसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा। बाकी बात हर मोर्चे पर है। (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप तब बोल पायेंगे जब इधर अविश्वास दिखाई दे रहा हो। (व्यवधान के मध्य)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैंने तो अपने पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हुए अपनी बातें कही हैं, जहाँ तक बुनियादी सवाल का है, उसका उत्तर मैंने आपको पाँच मिनट में दे दिया है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैंने कहा जब आपके पास संख्या नहीं है तो आप डिपोज क्यों कर रहे हैं जब आपके पास डिपोज करने के लिए कोई अल्टर्नेटिव मॉडल नहीं है। क्या आप आपदा के समय में इस राज्य को सरकारविहीन राज्य बनाना चाहते हैं? मैंने आपके सामने बुनियादी सवाल रखे हैं।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, बुनियादी सवाल पर हम खड़े हुए हैं। विषय आपदा का नहीं है, विषय इस बात का है कि यदि आपके घर के अन्दर का कोई झगड़ा है और उसमें क्या सम्मान या अपमान हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यदि मंत्रिपरिषद् का कोई सदस्य सार्वजनिक रूप से अपमानित होने की बात करता है तो क्या इस सदन के नेता को यह कहने का अधिकार नहीं है और वह स्पष्ट करें कि क्या उनका मंत्री अपमानित हुआ है? आपके घर में क्या हो रहा है इससे इस प्रदेश की जनता को और इस सदन को कोई मतलब नहीं है?

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, जो माननीय हरक सिंह जी ने कहा है, मैं तो उसको बहुत गम्भीरता से ले रहा था कि वे बहुत तेज चले। आपने अपनी बात से सिद्ध कर दिया है कि वह सौ दिन चले अढ़ाई कोस (व्यवधान के मध्य)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आपको भी सिद्ध करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैंने सिद्ध किया है।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, जिनकी बात आप कह रहे हैं, उन्हीं की बात पर मैं आपका कह रहा हूँ, उसको आपको कहना पड़ेगा, यह कहकर आप टाल नहीं सकते हैं, जो सम्पत्ति सार्वजनिक हो गई, तो उसको तो स्पष्ट करना पड़ेगा।

*श्री जीतराम–

मान्यवर, पहले बता चुके हैं।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, वे दोबारा बता देंगे, आप क्यों परेशान हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं श्री निशंक जी से कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के पुराने मंत्रिमण्डल में बहुत सारी बातें कही गई हैं, एक–दूसरे के लिए।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं इस बात के लिए सदन में चुनौती देता हूँ कि मेरे मंत्रिपरिषद् से यदि सार्वजनिक तरीके से यह किया होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी की इस चुनौती को मैं स्वीकार कर रहा हूँ और वे भी इस बात को स्वीकार करें, हमारे किसी भी मंत्री ने सार्वजनिक तरीके से कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री उनको अपमानित करते हैं।

*श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, एक वाकया मैं याद दिला दूँ कि जब माननीय खण्डूड़ी जी मुख्यमंत्री थे और इसी प्रकार की बातें होती रहती थीं और जब प्रेस ने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, क्यों ऐसी बातें हो रही हैं तो उन्होंने कहा था कि ये मंत्रिमण्डल के सदस्य जो चाहते हैं वह मैं नहीं कर सकता, तो वहाँ भी विरोधाभास था।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, किसी मंत्री ने नहीं कहा होगा। लेकिन किसी मंत्री ने सार्वजनिक तरीके से ऐसा नहीं कहा होगा कि कोई मुख्यमंत्री मुझे अपमानित कर रहा है।

श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री बोलें तो यह तो और भी बड़ी बात है।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, एक काम कर दीजिए तो इनका हौसला पूरा हो जायेगा, पिछले सात सालों के अन्दर जब भी किसी पार्टी में ऐसी अन्तर्विरोधपूर्ण बातें आई हैं तो एक दिन उसी पर चर्चा कर लीजिए, श्री निशंक जी की मर्जी हो जायेगी, आपको भी तो कई लोगों से हिसाब–किताब बराबर करना होगा।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, हिसाब–किताब और बराबर करने का काम तो आप करते होंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अन्तर्विरोध का तो विषय ही नहीं है, इस बात को कहीं दूसरी जगह भटकाने की कोशिश हो रही है। अन्तर्विरोध 50 हों हमें कोई लेना–देना नहीं है, हमको तो इस बात से लेना है कि इस सरकार के एक मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा है, तो या तो मुख्यमंत्री जी दोषी हैं या मंत्री जी दोषी हैं, तो दोनों में कोई न कोई बात तो होगी ही, तो जो सार्वजनिक तरीके से बात हुई है, उसमें स्पष्ट होना चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, आपके पास इसके उपाय क्या हैं?

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मेरे पास उपाय है।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मेरे पास उपाय था और है, मैंने दोनों उपाय का इस्तेमाल कर लिया है, अपने साथी–सहयोगियों की भावना का सम्मान करना, यह मेरा फर्ज है और यदि मेरे द्वारा कोई चूक हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, तो आपको मेरे इस कथन से जलन हो रही है या किसी और बात से जलन हो रही है, आपने मंथरा को कुछ ज्यादा ही पढ़ा है, आखिर काहे के लिए ये बातें कर रहे हैं।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आपसे पढ़ लूँगा।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, माननीय श्री बंशीधर भगत जी से कहियेगा, ये आपको पढ़ा देंगे, ये बता देंगे कि क्या रोल किया था। क्या इतिहास में कोई व्यक्ति ऐसा है जो यह कह सके कि "ही इज ए परफेक्ट ह्यूमन बीईंग", बहुत सारी बातें होती हैं, व्यक्ति भावनाओं का होता है और राज्य की जनता को समझाइये कि 17–18 दिन के अन्दर हरीश रावत ने क्या ऐसी गलतियां की हैं, उसके मंत्रिमण्डल ने क्या ऐसी गलतियां की हैं कि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा और आपने जो सवाल उठाये हैं तो आपमें से प्रत्येक व्यक्ति ने आपदा रिलेटेड सवाल उठाये हैं, आप उस समय कहाँ थे।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं यहीं था, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि आपने 17 दिनों के अन्दर एक हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है........

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, यदि यही इनकी भावना हैं तो मैं उत्तराखण्ड की जनता से इस सदन के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह तय करें, इस बात पर विचार करें कि हरीश रावत ने 18 दिन के अन्दर ऐसा क्या गुनाह किया है, जिस गुनाह की सजा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। संसदीय लोकतंत्र में यह आपका हथियार है, लेकिन उस हथियार का उपयोग का कोई समय होता है, जब हम दैवीय आपदा से जूझ रहे हैं, हम उसके रास्ते निकाल रहे हैं। जहाँ तक कार्य को छोड़कर विजय बहुगुणा जी गये

हैं, उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप से खुले मन से कह रहे हैं आईये, इसमें सहयोग दीजिए। जैसा मैंने कहा मेरा दावत नाम इनकी जेब में पड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी आज हमें कठघरे में खड़ा करना चाहते हैं। आपने जितने सवाल उठाये हैं, माननीय अध्यक्ष जी, जरा आप कार्यवाही उठाकर देख दीजिए, मैं राज्य के विज्ञ जनों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मीडिया से प्रार्थना करना चाहता हूँ। जरा देखिये, इसमें जितने सवाल प्रतिपक्ष ने उठाये हैं, क्या उन सारे सवालों के समाधान का रास्ता मैं नहीं निकाल रहा हूँ, जो निर्णय हमने मंत्रिपरिषद् में लिये हैं, क्या वे इसकी बानगी नहीं हैं।....मान्यवर, यदि मेरे पास समय होता और मेरे कुछ साथियों को ईलाज के लिए न जाना होता तो जिन निर्णयों को मैं बिन्दुवार लेकर आया हूँ, जिन निर्णयों को हमने पिछले दिनों मंत्रिपरिषद् में लिया है। यदि आपको ये निर्णय चुभ रहे हैं तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हम और निर्णय लेंगे, पूरे साहस के साथ निर्णय लेंगे, क्योंकि हमारे नेता, हमारी पार्टी के मेंडेट हैं, ये वह पार्टी है, जिसके नेता यहाँ केवल यह कहने के लिए नहीं आते हैं, मैं 25 हजार लोगों को केवल एक दिन में निकाल कर लाया हूँ। (भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी–अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, गलत तरीके से कॉंग्रेस ने दुष्प्रचार किया है। आप सदन के नेता हैं, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, इस बात को आप वापस ले लीजिए। यह एक षडयंत्र है, जिसे आपके ही लोगों द्वारा दुष्प्रचारित किया जा रहा है।

*श्री तीरथ सिंह रावत–

मान्यवर, यह विषय कहीं नहीं आया। सम्बन्धित अखबार ने माफी मांगी है। मान्यवर, जहाँ तक आपदा की बात है तो हमने पहले भी कहा है कि हम इस पर सहयोग देने को तैयार हैं। (घोर व्यवधान)यह प्राकृतिक आपदा किसी भी समय आ सकती थी। (घोर व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूँ कि इसमें जो भी अनपार्लियामेंट्री शब्द हों, उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो बात माननीय नेता सदन ने कही है, उस बात को माननीय मोदी जी ने कभी नहीं कहा है। मान्यवर, अखबार वाले ने भी माफी माँगी है। (भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उस पर यहाँ पर टिप्पणी बिलकुल नहीं की जा सकती है। (भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) किसी माननीय सदस्य पर आप टिप्पणी करते रहें और वह भी झूठी टिप्पणी तो यह ठीक नहीं है।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, आपने अभी माननीय आडवाणी जी का नाम लिया है। (घोर व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, यदि आपकी निगाह में आडवाणी शब्द असंसदीय है तो उस शब्द को प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय। (व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, जो आदमी सदन में मौजूद नहीं है तो उसका नाम नहीं लिया जा सकता है। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, दो शब्द असंसदीय हैं, एक जो सदन ने कहा कि "कमॉन रमेश पोखरियाल आप बैठ जाईये" और दूसरा वह शब्द भी नहीं आना चाहिए "35 हजार लोगों को केवल एक दिन में निकाल कर लाये हैं"। मान्यवर, यह दोनों चीजें ऐसी हैं जो माननीय नेता सदन को नहीं बोलनी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप दबाव बना रहे हैं कि इसका और जवाब दीजिए, इसका और जवाब दीजिए। यह कोई तरीका नहीं है। मुझे भी सदन में बैठे बहुत साल हो गये हैं।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, यदि मैंने यह कहा कि "कमॉन", तो इसका अर्थ होता "आईये"। यदि आईये अनपार्लियामेंट्री शब्द है तो इसे निकाल दीजिए। मैंने कहा निशंक जी, आपने बहुत कह दिया, अब मुझको कहने दीजिए।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, असंसदीय अलग है और झूठ अलग है। आप झूठ बोल रहे हैं। दोनों में अंतर है। जो गलत है, वह झूठ है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, "झूठ" शब्द असंसदीय है, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। माननीय निशंक जी, आप सदन में असंसदीय भाषा बोल रहे हैं। (घोर व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, सदन में कहा गया एक–एक शब्द इतिहास बनता है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, झूठ भी इतिहास बनेगा। आपको मालूम है झूठ शब्द असंसदीय हैं (व्यवधान) आप झूठ शब्द बोल ही नहीं सकते हैं।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, माननीय नेता सदन यह बताएँ कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कहा कि 25 हजार लोगों को निकालकर लेकर गये। (व्यवधान) सदन में बताएँ।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, जब समय आया, हमने समय पर कह दिया।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, या तो नाम बताईए, या इसको वापिस लीजिए। दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। यदि यह झूठ है तो वापिस लिया जाए और यदि सच है तो इसको प्रमाणित करें। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, समाचार–पत्रों ने माफी माँगी, उन्होंने नोटिस दिया। (व्यवधान)

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, किसके बयान पर माफी माँगी?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जिनके बारे में आप कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, समाचार–पत्रों का संज्ञान नहीं लेते। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मैं समझता हूँ कि माननीय नेता सदन ने अपना उत्तर दे दिया होगा क्योंकि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, फिर समय हो जाएगा।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, जिस दिन..................

*श्री नवप्रभात–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं नेता सदन से भी आशीर्वाद चाहूँगा। मान्यवर, यह हम बजट पर सामान्य चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिसमें स्पष्टीकरण पूछे जा रहे हैं। हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव पर जब नेता सदन जवाब दे रहे हैं, उसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कुछ मुद्दे उठे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नवप्रभात जी सही कह रहे हैं। यह कोई बजट भाषण थोड़ी है। माननीय नेता सदन का जवाब आ गया, अब मतदान कराईए। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह मेरे विशेषाधिकार का हनन है। मैं उसी को दिखाना चाह रहा था। मुझे यह उम्मीद थी कि इसको नवप्रभात जी या कोई अन्य सदस्य उठाएंगे। इसलिए मैं पूरी तैयारी करके इसको लाया था कि ये उत्तर भाषण में हमको रोकेंगे जरूर। आप सब कुछ कह जाएँ बड़े प्यार से, (व्यवधान) जो कटाक्ष आपने हम पर किये हैं, उन कटाक्ष का आन्सर तो दे दूँ। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपके कटाक्ष भी सुने हम लोगों ने। ऐसा मत कहिए। अब आप कटाक्ष पर कटाक्ष करेंगे, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हैं। (व्यवधान) अविश्वास प्रस्ताव के प्रति अगर आप सीरियस हैं, तो मतदान कराईए। बात खत्म। करवाइए मतदान अभी। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने ऐसी बातें कहीं हैं, जिनके बारे में हम कह नहीं पाए, उनको तो आना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं या यहाँ पर अपना रिकॉर्ड बनवा रहे हैं? (व्यवधान) मतदान कराईए।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आप जैसा कहेंगे, आपकी मर्जी है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, हमारी मर्जी नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव आप लाए। नेता सदन की ओर से अविश्वास प्रस्ताव का जवाब आ गया है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह मेरा अधिकार है, मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ। जिस तरह से नेता सदन उठते हैं। बार–बार मैंने देखा है, पीठ से रोका जाता है। इसमें लिखा है, नेता प्रतिपक्ष को रोका नहीं जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, यह अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पीठ को बोलिए, मुझे मत बोलिए।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, हम भी तो पीठ का विनिश्चय सुनने के लिए खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष–

अविश्वास प्रस्ताव पर यह चर्चा हो रही है और नेता प्रतिपक्ष ने अपने पूरे भाषण में सारी बातें रख दी हैं और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी बातें रखी हैं। नेता सदन और उनके साथी, उनका जवाब दे रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, तो आप व्यवस्था दे दीजिये कि आपको बोलने का राइट नहीं है, तो मैं सदन में ही नहीं आऊँगा, जब तक आप रहेंगे और हम रहेंगे।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आप यह शब्द नहीं कह सकते, आप इसको वापस लीजिये। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सरकार हमको जबरदस्ती दबाने का प्रयास कर रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आप यह शब्द नहीं कह सकते कि जब तक आप रहेंगे, मैं नहीं आऊँगा, यह धमकी है, आप इसे वापस लीजिये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री सब कुछ जानती हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप स्पीकर को धमकी नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, स्पीकर को धमकी तो आप लोग देते हैं, हम तो इस पर निष्पक्षता चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा यह अनुरोध है, अगर इस तरह से वाद–विवाद चलता रहेगा, तो इसका कोई समाधान नहीं निकल पायेगा। हमने मतदान भी कराना है, समय भी देखना है, आप कोई बात रखेंगे तो फिर नेता सदन उसका जवाब देंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रस्ताव लाए हैं और आपने उस पर अपनी बात रख ली है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो नये बिन्दु रेज हुये हैं, क्या हम उनका उत्तर नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष–

फिर आपकी बात का जवाब नेता सदन देंगे, यही चलता रहेगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप व्यवस्था दे दीजिये कि आपको बोलने का राइट नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

ऐसी बात नहीं है, हम यह कह रहे हैं कि आपका जो अविश्वास का प्रस्ताव है, उस पर आपने अपनी पूरी बात रख ली है, जबरदस्त और पुरजोर तरीके से रख ली है। (व्यवधान) मेरी बात भी सुन लीजिये, अब जो बिन्दु आप उठायेंगे, फिर उनका उत्तर नेता सदन देंगे, उसके बाद नेता सदन की बात पर आप फिर कहेंगे कि अलग बिन्दु उठ गया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

देखिये, अविश्वास के प्रस्ताव पर 12 बजे चर्चा शुरू हुई थी और अब 6 बज गये हैं, छः घण्टे की चर्चा पूरी हो गई है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इतनी बड़ी घटना है।

श्री अध्यक्ष–

कोई घटना नहीं है, अविश्वास का प्रस्ताव कोई घटना नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारा राइट नहीं है क्या? आप कह दीजिये कि हमारा कोई राइट नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमें आपकी निष्पक्षता चाहिये, आपका संरक्षण चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

यह समाधान नहीं है।

*श्री हरीश धामी–

मान्यवर, जब हम बोलते हैं तो नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि इनका प्रबोधन कार्यक्रम कराया जाय, अब नेता प्रतिपक्ष जो बोल रहे हैं, उनके लिये क्या कार्यक्रम चलाया जाय।

श्री हरीश रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आहत नहीं करना चाहता और न मैं यह चाहता हूँ कि कोई बात ऐसी आये, क्योंकि सदन में हमको और आपको मिलकर काम करना है, मैं बहुत सारे प्रश्नों का जो अनावश्यक बोझ मेरे कन्धों पर डाला गया था, मैंने कुछ उसको उतारने की कोशिश की। यदि किसी बात से आपको तकलीफ हो रही हो, तो यह मेरा उद्देश्य नहीं था। निशंक साहब ने वित्तीय स्थिति आदि की भी बातें कहीं, वह पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने उन सवालों को उठाया, मैं उसके डीटेल में नहीं जाना चाहता, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हम वित्तीय घाटा 3 प्रतिशत के अन्दर रखने में सफल हुये हैं। यह किसी भी दूसरे राज्य के फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट से बेहतर है, जहाँ का प्रतिपक्ष इतना जागरूक हो, जो वित्तीय प्रबन्धन पर नजर रखता हो, मार्केट बारोसिंग कैसी है, इस पर नजर रखता हो। मैं आपकी सजगता के लिये आपको धन्यवाद देता हूँ, इस पर आप कभी पृथक से चर्चा लायेंगे तो मैं पृथक से जवाब दूँगा। आपदा पर चर्चा लायेंगे तो उस पर भी उत्तर दूँगा। मान्यवर, मैं उसका जवाब दूँगा। इस संबंध में केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ, आईये मिल करके रिहैबिलिटेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन का मिशन है हमारा, यह मिशन है इसको मिशन उत्तराखण्ड का नाम दिया जा सकता है, जिसमें केन्द्र सरकार ने भरपूर हमको मदद देने का फैसला किया है, देश और दुनिया हमारी तरफ देख

ही नहीं रही है, हमारी मदद भी कर रही है। केन्द्र सरकार ने 07 हजार करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया है इसमें। आईये उसको पूरा करें, संसाधनों की कोई कमी आड़े न आने दें, मानवीय पक्ष कहीं पर हमारा कमजोर है, हमारे पास मैन पॉवर कमजोर है तो उसको ढूँढने के वैकल्पिक उपाय करें और एक बोल्ड डिसीजन के साथ, एक साहसिक निर्णय के साथ, हम इन कामों को करें ताकि हम 05 मई तक केदारनाथ यात्रा प्रारम्भ कर सकें और चारों धामों की यात्रा प्रारम्भ कर सकें। जो भाई हमारे बरबाद हुए हैं, हमने फैसला लिया कि जितने लोग व्यवसायिक गतिविधियों में लिप्त थे, जिनमें व्यापारी भी थे, टैक्सी वाले भी थे, होटल वाले भी थे, हम जहाँ जमीन उपलब्ध करा सकेंगे, जमीन उपलब्ध करवायेंगे, सराय डेवलप करने का काम करेंगे, बल्कि हमने यह भी निर्णय लिया है कि चन्द्र सिंह गढ़वाली स्कीम के साथ उनको लिंकअप करेंगे और एक ऐसा पूल बनाएंगे, एक कॉर्पस फंड खड़ा करेंगे, जिस कॉर्पस फंड से 02 साल तक होटलियर्स को फ्री ऑफ इन्ट्रेस्ट, उनका जो लोन कम्पोनेंट होगा, उसका इन्ट्रेस्ट स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी और 04 साल तक 02 साल और राज्य सरकार 04 परसेंट ब्याज उनको देना पड़ेगा, शेष ब्याज राज्य सरकार उपलब्ध करवाने का काम करेगी। एक बैंकेबल स्कीम बनाएंगे ताकि सब लोग उसमें रीहेबिलीटेट हो सकें, उसमें हमने डोली, पालकी वाले, पान के खोमचे वाले, चाय के दुकानदार, बड़े–बड़े होटल वाले सबको सम्मिलित किया है। आओ, उसमें भागीदार बनते हैं, एक–दूसरे की कमियों को निकालने के बजाय एक–दूसरे की कमियों के पूरक बनने का प्रयास करते हैं और उसमें मैं आपके सहयोग को आमंत्रित करूंगा। कभी बातचीत में होता है जब आप बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन एक स्वाभाविक सवाल मेरे मन में जरूर उठा है कि आखिर ऐसी क्या गलती की कि मेरे विपक्ष के मित्रों को इतना मुझ पर अविश्वास हो गया कि वो अविश्वास प्रस्ताव ले करके चले आये, ये सवाल जरूर मेरे मन में रुका है और अब भी कोई बात नहीं, हम समझेंगे कि आपने बातचीत के जरिये हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस बात को कहा है। हम स्थिति की गम्भीरता के प्रति और सचेष्ट हो करके काम करें। आपने हमको चेतावनी देने के लिए यह काम किया है। मैं इस रूप में इसको लेने के लिए तैयार हूँ, मैं इस रूप में इसको लेने के लिए तैयार हूँ और अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विपक्ष यदि वोटिंग न कराये तो अच्छी बात है और नहीं तो यदि वोटिंग कराना चाहता है तो फिर यह तो संसदीय लोकतंत्र है, इसमें फैसला हमेशा हाथ खड़े करके होता है और उस फैसले से भी हमको कोई परहेज नहीं है। मगर फिर भी मैं अपील जरूर करूँगा अपने दोनों मित्रों से क्योंकि यहाँ नेताद्वय हैं और बीच में नेतात्रै भी हैं, मैं नेतात्रै से निवेदन करूँगा कि वो मेरी इस अपील पर जरूर विचार करें कि आईये, आज की चर्चा से एक संदेश देते हैं कि आपदा से निपटने वाले कामों में पक्ष और विपक्ष एकजुट हो करके भविष्य के लिए काम करेगा और आप इसी स्प्रिट में आज आगे का अपना निर्णय करेंगे।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत खराब है, बहुत खराब भूमिका है और इस किताब में लिखा हुआ है, जिससे पद्धति चलती है, जिसकी वजह से आज यह अविश्वास प्रस्ताव आपको देना पड़ा। इसके दूसरे

पार्ट को पढ़कर विपक्ष के नेता की स्थिति तथा जिम्मेदारियों के बारे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हेरोल्ड मैकमिलन ने संक्षेप में निम्न विचार व्यक्त किये हैं। मैं समझता हूँ कि विपक्ष के नेता की स्थिति से अधिक कठिन तथा अफलदायक स्थिति और किसी की नहीं होती है, उसे आलोचना करनी पड़ती है, दोष निकालना उसका काम है, लेकिन साथ ही उसे अपनी प्रस्थापनाएँ और नीतियाँ स्पष्ट करनी हैं, जबकि उसे कार्यरूप में परिणित करने की शक्ति उसके पास नहीं है। यानी कि हमको सारी चीजें उजागर करनी हैं, हम कार्यरूप में नहीं परिणित कर सकते हैं। आगे कहा है यह इस अर्थ में अफलदायक है कि जो भी व्यक्ति अपनी प्रशासन संबंधी क्षमता को जानता है और अपनी योजनाएँ लागू करना चाहता है। (व्यवधान) मान्यवर, (किसी माननीय सदस्य द्वारा कुछ कहने पर) देखो यार थोड़ा सीखा करो, अगर कोई बोल रहा है, इस समय तो मैं एक नई चीज बता रहा हूँ, आप भी पढ़ लेना इसको, फिर हल्ला कर लो। मान्यवर, वह जानता है और अपनी योजनाओं को लागू करना चाहता है, उस स्थिति में उसे हमेशा निराशा और कुण्ठा होती है। उन्होंने आगे कहा और हमारी लगभग अभूतपूर्व प्रशासन प्रणाली के अन्तर्गत संसद और राष्ट्र के प्रति नेता विपक्ष के नेता की विशेष जिम्मेदारी है। खतरे के समय विशेषकर उस समय जब किसी दूसरे देश से खतरा, विशेषकर साम्राज्य में कोई अन्य प्रभावी चीज होती हैं तो आलोचना भी करनी पड़ती है और आलोचना नहीं भी करनी पड़ती है। यह मैंने थोड़ी सी बात बताई कि नेता प्रतिपक्ष के नाते हमारे संबंध सबसे खराब हो गये हैं। क्योंकि हमको सबके बारे में बोलना है, उन मंत्रियों के बारे में बोलना है, जिन्होंने अपने परिवारों को लाभ पहुँचा दिया। मैं उसके रिकार्ड दूँगा। उन अधिकारियों के बारे में भी बोलना है जिनके बारे में कोई प्रमाण मिल जाता है। उन अपने ईष्ट मित्रों के बारे में भी बोलना है, जिन्होंने कोई गल्ती कर ली है। हमारी भूमिका तो आलोचना की है और हमको आलोचना का पात्र भी बनना पड़ेगा। ये डेमोक्रेटिक पैटर्न है, यह प्रजातांत्रिक पैटर्न है, इसके बिना चलेगा भी नहीं। मान्यवर, जिस तरह से कहा कि आप क्यों ले आते हो, मैं अधिक समय नहीं लेता हूँ, आपने पाँच-सात मिनट दिये हैं। मान्यवर, इसी किताब में लिखा है "नो बडी कैन स्टाप", रोक नहीं सकता है, हमको कोई भी, कोई भी हमको अपनी बात रखने से रोक नहीं सकता है, सिर्फ हम संसदीय परम्पराओं में लायें और मान्य और विधिक परम्परायें हैं उसमें लायें। जहाँ तक बात रही क्यों ले आये। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो नेता सदन हैं, बहुत प्यार से यह दिखाने की कोशिश करी कि मैं तो मात्र अभी चार दिन की बहू हूँ, मेरे ऊपर क्या हुआ। बहुत सेन्टीमेन्टल, मैं उनको जानता हूँ। क्योंकि मैं उनका छोटा भाई हूँ, कई गुर तो मैंने उनसे सीखे हैं। तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ऐसा सेन्टीमेन्टल कैश करने की, कि मैं उत्तरांचल की जनता से पूछूँगा। उत्तरांचल की जनता आपसे भी पूछेगी कि जब आप केन्द्र में थे तो आप कितनी योजनायें लाये, कितने लोगों को आपने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से रोजगार दिलाये, कितनी पेयजल की योजनायें आपने स्वीकृत की, दो-चार इक्के-दुक्के हॉस्पिटल आप ले आये होंगे, उसके बाद आप कितने हॉस्पिटल लाये? (व्यवधान) जो आठ हजार रुपये का पूर्व मुख्यमंत्री जी ने या उनकी सरकार ने भेजा था उसमें से आज तक हमारी छत देने के लिए, पैसे के लिए कितनी बार लड़ाई लड़ी। जो आप कह रहे हैं कि मुझे जुम्मा-जुम्मा आठ दिन भी नहीं हुए हैं। तो मान्यवर, इन सारे फैसलों में आप पहले से हैं। आप अपने कोर ग्रुप को भी बता सकते हैं। कभी यहाँ की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास नहीं किया। मान्यवर, बहू

कितनी जोरदार है, बहू ने कहा कि जुम्मे-जुम्मे मुझे चार दिन हो रहा है, अपने पति को भड़का-भड़का के बहू ने सास को सबसे पहले बेदखल कर दिया, सास कोने में बैठी है। भड़का-भड़का कर कि तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ने ये कर दिया, भड़का-भड़का कर आज सास किनारे पर बैठी है, कोई पूछने वाला नहीं है। बहू इतनी तेज है कि जब रोना होता है, रो देती है, जब गुस्सा करना होता है, तब गुस्सा करती है, जब हड़काना होता है, तब कहती है, खबरदार मैं भी बहुत तेज हूँ। क्या हुआ आते ही बहू ने देवर, ननद, जेठ सबको ठिकाने लगाया, ये बहू की तारीफ है और बहू अभी कितनों को ठिकाने लगायेगी, अभी इसका पता नहीं है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, बहू चचीया सास को भी ठिकाने जरूर लगाती, पर चचिया सास बहू के घर में नहीं रहती है, मतलब उसकी सास से न्यार हो गयी है। अगर घर में होती तो शायद पहले ठिकाने लगाती, पर लक्ष्य बहू का वहाँ भी है। बहू ने ऐसे काम करने प्रारम्भ भी कर दिये थे। (व्यवधान) पर हमारे पास भी बहू की दवाईयाँ हैं, मौका लगेगा तो बहू के हाथ-पैर ऐसे जकड़ेंगे और मंत्र मारके फू कर डाल लेंगे (व्यवधान) (हँसी) (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

माननीय भट्‌ट जी, अब समय बहुत हो गया है। आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री अजय भट्‌ट--

मान्यवर, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि 278 गाँव पुनर्वासित होने हैं। आज तक उसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। (व्यवधान के मध्य) ऋण माफी.......

....

श्री अध्यक्ष--

श्री भट्‌ट जी, इसके बारे में पहले ही आ गया है, अब इस बात को विस्तार से न कहें और इसका जवाब भी आ गया। (व्यवधान)

श्री अजय भट्‌ट--

मान्यवर, ऋण माफी की बात है। (व्यवधान) मान्यवर, यह पत्र मुझे अभी-अभी मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन को देने के लिए दे रहा हूँ, आज तक टैक्सी वालों के पेमेंट नहीं हुए हैं और उनको आर0टी0ओ0 द्वारा डराया-धमकाया जाता है कि हम आपकी गाड़ियों को कब्जे में लेते हैं और आपदाग्रस्त क्षेत्र में भेजते हैं। अभी-अभी क्यार स्टेट से, जो आपके यहाँ से आया है, आप इस पत्र को माननीय नेता सदन को दे दें। (पत्र माननीय अध्यक्ष जी को उपलब्ध कराया) आप बार-बार कह रहे हैं कि हमने सब कुछ कर दिया और माननीय नेता सदन ऐसा कह रहे हैं कि मैं तो चार ही दिन पहले आया हूँ, मैंने तो बहुत कुछ कर दिया और मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मान्यवर, यहाँ सरकार आपकी और केन्द्र में आप, कॉंग्रेस के मुखिया आप, बड़े नेताओं में आप यहाँ पर हैं और हर फैसले में आप सरकार के साथ थे। इसलिए किसी भी तरह से

आपको उत्तराखण्ड की जनता, आप कितना ही भावुक बोलें, आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए हमने आज जो प्रस्ताव रखा है और कई चीजें यहाँ पर सत्य से परे आयी हैं, मैं उनका न संज्ञान लेना चाह रहा हूँ और न कह रहा हूँ। मान्यवर, पत्थरचट्टा के बारे में बहुत सफाई से कहा गया जैसे कि हमने हौव्वा बना दिया होगा। यदि ऐसा नहीं था तो लीज रिन्यूवेल आज तक क्यों नहीं हुई? यह तो आज भी अपनी जगह पर वैसे ही है। यदि हम दबाव नहीं बनाते तो वह जमीन भी हमारे हाथों से गयी थी। मान्यवर, माननीय शैलारानी जी ने कुछ सब कहा है, मैं उन पर नहीं आना चाहता हूँ, क्यों मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ। वह बहुत अच्छी बात करती हैं, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूँ। अगर मैं कुछ कहूँगा तो वे रो जायेंगी। मान्यवर, औद्योगिक पैकेज की बात थी, इसमें तो आप कुछ कर सकते थे। जो यहाँ की जनता ने और हमने अविश्वास रखा है, औद्योगिक पैकेज के मामले में इसमें तो आपका सीधा हाथ था। आप सीधे केन्द्र सरकार से लड़ सकते थे और धरना दे सकते थे। लेकिन हम वहाँ पूरी तरह से फेल रहे।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, जो औद्योगिक पैकेज वाला है, उसमें भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है, इसको हिमाचल और उत्तराखण्ड के विषय में पार्शियली डिवाइड कर दिया है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी पर एक पैकेज बनाकर हमको दिया है। मुझे सही याद नहीं है लगभग 699 करोड़ रुपये का है। जो आपने जमीन के विषय में कहा लैण्ड बैंक बनाने का तो हमारी सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था और मैंने अधिकारियों की बैठक करके उसको कैरीआउट करने के लिए यह तय किया है कि हम जिन गाँव को विस्थापित करेंगे उनको पहले एक क्रम में चिन्हित करेंगे और ऐसे ही हमारे पास जो जमीन नीचे भाबर में है, जिस जमीन पर अच्छी स्थिति में वन नहीं हैं। उसको एक्सचेंज में करेंगे और भारत सरकार से उसकी अनुमति लेंगे। इसलिए इस विषय में भी हम कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो ऋण है, हमने कहा कि एक साल के बाद हमारे यहाँ के गाड़ी वालों के ऋण रोकने के आदेश किये और माननीय प्रेमचन्द्र अग्रवाल जी ने दिखाया है कि ऋण के लिए हमसे कैसे किश्तें माँगी जा रही हैं बैंक मैनेजर से, आपने पत्र लिख दिया ठीक बात है लेकिन उसका ब्याज जो मामूली सौ करोड़ रुपये हो सकता था और कम से कम पाँच से छः सौ करोड़ रुपये देश से दिये गये। अगर आज सरकार उस ब्याज को माफ करने की बात कर देती और कहा है कि हम ऋण माफ कर देंगे, सारे बैंक मैनेजर कहते हैं कि ऋण सहित देना पड़ेगा। कार्पोरेट सोशियल रिस्पांसबिलिटी के अन्तर्गत ओ0एन0जी0सी0 है और गेल है, आदि वे सौ करोड़ रुपये देने को तैयार हैं। मान्यवर, लेकिन सरकार ने इसके लिए कभी प्रयास नहीं किया है और न माननीय नेता सदन केन्द्र में होते हुए भी, वहाँ पर आपके बड़े–बड़े औद्योगिक घराने से संबंध हैं, उनको आप करा सकते थे। मान्यवर, विद्युत के मामले में एक करोड़ नहीं कई करोड़ों की विद्युत खरीदी है, मात्र गैस बेस्ड पॉवर प्लांट जो काशीपुर में है, डीमपॉवर प्लांट यह इसलिए प्रारम्भ नहीं किये जा रहे हैं क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया था। उसमें से मैंने सुना है कि जो सावंती नामक पॉवर प्लांट है, वह 24 घण्टे बिजली यहाँ पर दे सकता है तो उसकी

बात यहाँ पर नहीं आई है। इसलिए मैंने कहा कि जो भी बातें यहाँ पर हो रही हैं, यह सारी बातें हवा में हैं, भावनात्मक तरीके से और लच्छेदार बातों से बोलने का जो सिलसिला चल पड़ा है, उसे उलझाना है। इसलिए नेता सदन जो आज हैं, वे पुराने समय से आज तक की जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकते हैं, उनको हर जिम्मेदारी लेनी होगी, जहाँ पर आपने सहयोग की बात की है तो सहयोग के लिए प्रदेश की कोई भी गम्भीर समस्या होगी चाहे आपदा हो या कुछ और हो तो कन्धे से कन्धा हमने पहले भी मिलाये हैं और आज भी मिलायेंगे। लेकिन यदि प्रदेश में खाली लफ्फाजी होगी, भाषणों की बात होगी, प्यार से बोलना होगा, भावनात्मक बातें होंगी, तो हम भी उसमें उससे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हमने आपसे ही बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ठीक–ठाक तरीके से और सोच समझकर यहाँ काम होना चाहिए, तभी इस उत्तरांचल का भला होगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने काफी मोटी किताब पढ़ी और उसमें नेता प्रतिपक्ष के अधिकार पढ़े तो मेरी सिर्फ इतनी जिज्ञासा है कि प्रतिपक्ष में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके अधिकार के बारे में भी कुछ लिखा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वो तो आप ही प्रतिपक्ष में प्रतिपक्ष की भूमिका अच्छी निभाते हैं, उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री अध्यक्ष–

क्या माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप अपने अविश्वास के प्रस्ताव को वापस लेना चाहेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नहीं, मैं इस बात को जानता हूँ कि संख्याबल में हम कम हैं, लेकिन इस प्रस्ताव के भरोसे और इस प्रस्ताव के द्वारा जो प्रदेश की महत्वपूर्ण आवाज हमने उठाई है, जो महत्वपूर्ण बातें सदन में आई हैं, जो सरकार के बारे में हमने बोला है, वह हमारा संवैधानिक हक है और यदि आप गोपनीय मतदान आज करवा दें तो गोपनीय मतदान में मैं समझता हूँ कि यह सरकार एक मिनट भी यहाँ बचने वाली नहीं है और मैं आपसे गोपनीय मतदान कराने की प्रार्थना करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम मतदान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहे हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि दीर्घा में बैठे हुए जो हमारे साथी हैं, पत्रकार बन्धु हैं, वे वहाँ से बहिर्गमन करेंगे और उसके बाद कपाट बन्द कर दिये जायेंगे।

(वोटिंग बेल बजाई गई)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप गोपनीय मतदान करा दें, मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते डिमाण्ड करता हूँ कि गोपनीय मतदान करा दें।

(सभा मण्डप के दरवाजे बंद कर दिये गये।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन मंत्रिपरिषद् में अविश्वास व्यक्त करता है। जो माननीय सदस्य, इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वह हाथ खड़े करें और जो माननीय सदस्य विरोध में हैं, वे भी हाथ खड़े करें।

मैं, सचिव, विधान सभा को निर्देशित करता हूँ कि जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में हाथ खड़े किये हैं, उनकी संख्या और जिन्होंने विरोध में हाथ खड़े किये हैं, उनकी संख्या भी बतायें।

प्रस्ताव के पक्ष में 29 वोट पड़े हैं और विरोध में 40 वोट पड़े हैं। अतः उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

विपक्ष द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की माँग

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी कहा था कि नेता प्रतिपक्ष का रोल बहुत खराब होता है और अभी–अभी हमारे कुछ मित्रों ने एक सूचना भेजी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक मंत्री जी द्वारा जिस विभाग के थे, उन्होंने सारा का सारा जो सामग्री उनको बाँटनी थी, वह उन्होंने अपने ही चहेतों को और अपने परिवार के लोगों को दे दी है। मान्यवर, इस पर हमने नियम–310 की सूचना दी है, सारे नियमों को निलम्बित करते हुए, इस पर चर्चा करायी जाय। (भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, सूचना मिल गयी है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, यह बहुत ही इम्पार्टेंट सूचना है और विषय तो आने ही नहीं चाहिए, इसलिए इस पर चर्चा करायी जाय। इससे महत्वपूर्ण अब कोई विषय रहा ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण अब कोई विषय आज है ही नहीं, इसलिए इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, आप बैठ जाइये। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह खुला भ्रष्टाचार है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और कोई हो नहीं सकता कि मंत्री केवल अपने परिवार के ही लोगों, जो पैसा जनता को जाना चाहिए था, उसको अपने परिवार के लोगों में बाँट रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कल आप अपनी सूचना दे दीजिए, कल सूचना को ले लेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 310 पर चर्चा करवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

सूचना दे दीजिए। इसको कल ले लेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कल तो ले लेंगे लेकिन अभी भी बहुत सारी मदें बची हैं। सदन का बहुत सारा काम बचा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको अभी लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि 310 में हमारा राइट है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तर भी तो देना होगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप कल उत्तर दे दें। हमारा राइट तो है। ऐसा नहीं चल पाएगा।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 और नियम–58 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएँ, महत्वपूर्ण चर्चाधीन सूचना पर अत्यधिक समय लगने के कारण नहीं ली जाएँगी। मेरा सदन से अनुरोध है कि सहयोग प्रदान करें। जो आपका 310 का प्रश्न है, वह भी कल लिया जाएगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 310 तो कभी भी ला सकते हैं।

आश्वासन समिति (2013–14) का उन्नीसवाँ, बीसवाँ एवं इक्कीसवाँ प्रतिवेदन

*श्री मयूख सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से आश्वासन समिति (2013–14) का उन्नीसवाँ, बीसवाँ एवं इक्कीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

"जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा फतेहपुर की पूर्णतया क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका"

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा फतेहपुर की पूर्णतया क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर पुनर्निर्माण के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्बन्ध में" श्री राजीव शर्मा, निवासी ग्राम फतेहपुर, ग्राम सभा–फतेहपुर, पो0 हरबर्टपुर, तहसील–विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण मामला है, इसको भी आप नहीं लेंगे तो क्या लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कल ले लेंगे। (व्यवधान)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा एटनबाग रामबाग नहर की क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा एटनबाग रामबाग नहर की क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में" श्री राज कुमार, निवासी–ग्राम रामनगर, ग्राम सभा एटनबाग, पो0 हरबर्टपुर, तहसील–विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत लांघा तथा ग्रामसभा तौलीभूड़ के मजेर भूड़ की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत लांघा तथा ग्रामसभा तौलीभूड़ के मजेर भूड़ की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में" श्री कमल सिंह, निवासी–ग्राम भूड़, ग्राम सभा व पो0 लांघा, तहसील विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(व्यवधान के मध्य)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के धारकोट, देवराना, कड़ाई, सीला मोटर मार्ग डामरीकरण सुधारीकरण के सम्बन्ध में याचिका

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पौड़ी गढ़वाल के धारकोट, देवराना, कड़ाई, सीला मोटर मार्ग डामरीकरण सुधारीकरण के सम्बन्ध में" श्री श्यामलाल कुकरेती, निवासी–ग्राम मरोड़ा, पो0 किमसार, जनपद–पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

(व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत मेंहूवाला खालसा के मजरे डांडा जंगल की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत मेंहूवाला खालसा के मजरे डांडा जंगल की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में" श्री कुँवर सिंह चौहान, निवासी ग्राम डांडा जंगल, ग्राम सभी मेंहूवाला, पो0 अम्बाड़ी, तहसील–विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(व्यवधान के मध्य)

जनपद बागेश्वर के ग्राम पप्यों में छूटे हुए तोकों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद बागेश्वर के ग्राम पप्यों में छूटे हुए तोकों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री रतन राम निवासी ग्राम पप्या पो0 भिलकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्य "वेल" पर आ गये और नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा कटापत्थर की क्षतिग्रस्त कटापत्थर नहर के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा कटापत्थर की क्षतिग्रस्त कटापत्थर नहर के पुनर्निर्माण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के सम्बन्ध में" श्री बिरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम कटापत्थर, ग्राम सभा व पो0 कटापत्थर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा बाड़वाला, ग्राम सभा डूमेट, ग्राम सभा पपड़ियान, ग्राम सभा कटापत्थर, ग्राम सभा बावनघार, ग्राम सभा मलेर के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा बाड़वाला, ग्राम सभा डूमेट, ग्राम सभा पपड़ियान, ग्राम सभा कटापत्थर, ग्राम सभा बावनघार, ग्राम सभा मलेर के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में" श्री बिरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम कटापत्थर, ग्राम सभा व पो0 कटापत्थर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा कटापत्थर की क्षतिग्रस्त नहर शीर्ष एवं एप्रोच चैनल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा कटापत्थर की क्षतिग्रस्त नहर शीर्ष एवं एप्रोच चैनल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में" श्री बिरेन्द्र सिंह, निवासी-ग्राम कटापत्थर, पो0 कटापत्थर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद बागेश्वर के काण्डा, सुनारगाँव क्षेत्र में हैण्डपम्प की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री ललित फर्स्वाण-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद बागेश्वर के काण्डा, सुनारगाँव क्षेत्र में हैण्डपम्प की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में" श्री जीवन लाल वर्मा, निवासी-ग्राम सुनारगाँव, पो0 काण्डा, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोडू के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पेयजल पाइप लाइन के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

डा0 जीतराम--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोडू के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पेयजल पाइप लाइन के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती मथुरादेवी, निवासी-ग्राम गगोडू, पो0 घोलतीर, जनपद-रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोडू के रास्ते से पांडव खोली प्राथमिक पाठशाला जाने वाले रास्ते एवं उसके नीचे दोनों तरफ सुरक्षा दीवार/चकडैम बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

डा0 जीतराम--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोडू के रास्ते से पांडव खोली प्राथमिक पाठशाला जाने वाले रास्ते एवं उसके नीचे दोनों तरफ सुरक्षा दीवार/चकडैम बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती कृष्णा देवी, निवासी-ग्राम गगोडू, पो0 घोलतीर, जनपद-रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोडू, कांटा, ग्वाड को जोड़ते हुए पांडवखोली तक लिंक रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

डा0 जीतराम--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोडू, कांटा, ग्वाड को जोड़ते हुए पांडवखोली तक लिंक रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में"श्री दशरथ कुमार, निवासी-ग्राम गगोडू, पो0 घोलतीर, जनपद-रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम बैरागना में कनोला नाम तोक की जमीन के किनारे सुरक्षा/बेस दीवार बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

डा0 जीतराम--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम बैरागना में कनोला नाम तोक की जमीन के किनारे सुरक्षा/बेस दीवार बनाये जाने के

सम्बन्ध में" श्री सुरेश कुमार, निवासी–ग्राम व पो0 लंगासू, जनपद–रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम बीना के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को राजकीय इण्टर कॉलेज के रूप में उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

डा0 जीतराम–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम बीना के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को राजकीय इण्टर कॉलेज के रूप में उच्चीकृत किए जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती कृष्णा देवी, निवासी–ग्राम गगोडू, पो0 घोलतीर, जनपद–रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

घोर व्यवधान के मध्य

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 18 फरवरी, 2014 से दिनांक 20 फरवरी, 2014 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

फरवरी, 2014

18 मंगलवार

विधायी कार्य

1. भारतीय स्टॉम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण (15 मिनट)
2. उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण (15 मिनट)
3. उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014, जैसा प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदित किया गया पर विचार एवं पारण (15 मिनट)
4. उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधित) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण (15 मिनट)
5. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण (15 मिनट)

शेष कार्यक्रम यथावत् रहेंगे।

19 बुधवार

नियम–105 का प्रस्ताव

1. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक समग्र जल नीति निर्धारित की जाये।" (15 मिनट)

शेष कार्यक्रम यथावत् रहेंगे।

20 गुरुवार

नियम–54 का प्रस्ताव

1. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा–

"उत्तराखण्ड राज्य में "ईको सेंसटिव जोन" को पारिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जाये।" (15 मिनट)

*2. श्री उमेश शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा–

"प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे परिवारों हेतु संचालित राज्य की जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से जनहित में आवश्यक है कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की एक सम्पूर्ण सूची बनायी जाये तथा सभी विभागों को एक ही सूची मान्य हो।" (15 मिनट)

*3. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा–

"उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुए कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।" (15 मिनट)

4. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा–

"उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय में 95 विकास खण्ड इकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़कर 70 हो गये हैं।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

विकास की मूलभूत इकाई, विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रहा है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रही है तथा राज्य सरकार द्वारा "जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।"

(15 मिनट)

5. श्री उमेश शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा–

"राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियाँ बसी हुई हैं, जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण–पत्र नहीं है, जिस पर उन्होंने अपने रिहायशी मकान बनाये हैं।

यह आवासीय इकाइयाँ अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में हैं। ये बस्तियाँ नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुई हैं।

कुछ नगर निकायों में ऐसी बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्रवाई नहीं की गयी है।

इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएँ अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी हैं परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुँचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।

इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी स्किल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्तीवासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।"

(15 मिनट)

6. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा–

"जनपद देहरादून में मसूरी, देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005–25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्चात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005–2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है:–

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लीगाड़, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरास पट्टी, 13. गितरली, 14. मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिंगलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगरपालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गठन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।

अधूरे क्षेत्र के महायोजना का घोषित किया जाना, जोनल प्लान का न बनना, सेक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005–25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बन्धी।

(15 मिनट)

शेष कार्यक्रम यथावत् रहेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(पूर्व से वैल में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

घोर व्यवधान के मध्य

उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

घोर व्यवधान के मध्य

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करती हूँ।

घोर व्यवधान के मध्य

भारतीय स्टॉम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि भारतीय स्टॉम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य अपना संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहता है?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टॉम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

भारतीय स्टॉम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014

{उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2014}

भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 में उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टॉम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह ऐसे दिनॉक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

खण्ड 9 का संशोधन

2. भारतीय स्टॉम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 (उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा दिनॉक 16 मार्च, 2011 को यथापारित) के खण्ड 9 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा; अर्थात्:–

"किसी परोक्षी के अधीन, जो सम्यक् रूप से स्टॉम्पित नहीं है, मत देगा या मत देने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये जुर्माने से, जो ₹ 5000 तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक, इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

<u>घोर व्यवधान के मध्य</u>

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि भारतीय स्टॉम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वैल' में पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टॉम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड 20, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2014)

सड़क संरचना के दुरुपयोग, क्षति, अनाधिकृत प्रयोग और अतिक्रमण की रोकथाम के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम को उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

परिभाषाएँ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ में अथवा अपेक्षित न हो–

(क) 'कृषि' से उद्यान, दुग्धपालन, मुर्गीपालन और किसी बगीचे में वृक्षारोपण और उसका रख–रखाव सम्मिलित है,

(ख) 'अपीलीय प्राधिकारी' से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्हीं अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अभिप्रेत हैं,

(ग) 'भवन' से आवास, झोपड़ी अथवा अन्य छत का ढाँचा, चाहे वह किसी प्रयोजन के लिए हो अथवा किसी सामग्री से निर्मित हो और उसका कोई भाग तथा इसमें कोई दीवार अथवा पक्का घर अथवा पक्की खाई अथवा नाली सम्मिलित है किन्तु इसमें कोई तम्बू, अथवा कृषि प्रयोजन के लिए बाड़ सम्मिलित नहीं है,

(घ) 'भवन क्रम' से किसी सड़क या किसी सड़क के भाग के एक ओर के क्रम जिसे सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना से ऐसी सड़क अथवा भाग में नियत रीति से विहित करे, अभिप्रेत है,

(ङ) 'अनुमोदन प्राधिकारी' से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्ही अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियन्ता के श्रेणी से अनिम्न कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(च) 'नियंत्रित क्षेत्र' से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश पार्श्व सड़क भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 3 के अधीन घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है,

(छ) 'नियंत्रित क्रम' सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना से ऐसी सड़क अथवा भाग के सम्बन्ध में नियत रीति से विहित गवन क्रम से इतर किसी सड़क अथवा किसी सड़क के भाग के किसी क्षेत्र का क्रम अभिप्रेत है,

(ज) 'विभाग' से उत्तराखण्ड सरकार का ऐसा विभाग, जो सड़क संरचना से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करता है, अभिप्रेत है,

(झ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है,

(ञ) 'नक्शे' से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भाग का सड़क संरचना नक्शा अभिप्रेत है,

(ट) 'शासकीय गजट' से उत्तराखण्ड का राजपत्र अभिप्रेत है,

(ठ) 'पूजा स्थल' में मंदिर, चर्च, मस्जिद, इमाम बाड़ा, दरगाह, करबला, तकिया, ईदगाह, समाधि, मठ, सती का स्थान अथवा गुरुद्वारा सम्मिलित है,

(ड) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं,

(ढ) 'विहित प्राधिकारी' से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्हीं अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता के श्रेणी से अनिम्न कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(ण) 'पुनर्विलोकन प्राधिकारी' से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्हीं अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का सचिव अभिप्रेत है,

(त) 'सड़क' से उत्तराखण्ड सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी संरक्षित सड़क अभिप्रेत है और इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग सम्मिलित नहीं है.

(थ) 'सड़क संरचना' से यातायात अथवा संचार के लिए कोई सड़क, पथ और गली अभिप्रेत है और इसमें–

(एक) अर्जित सड़क भूमि की चौड़ाई,

(दो) सभी प्रकार की सड़क और उनकी संरचना, जैसे सड़क खड़न्जा, किनारे, खड़ी दीवार, तिरछी दीवार, सामान्य दीवार, नालियाँ, मोड़, सड़क किनारे की नालियाँ, सड़क मिलान, मेडियेन्स, ठोकर जैसे रम्बल स्ट्रीप, पथ प्रकाश, यातायात रोशनी इत्यादि

(तीन) कोई यातायात और संचार पद्धति सड़क की सहायक संरचना,

(चार) पुल, जिसमें पहुँच मार्ग, खड़ी दीवार, तिरछी दीवार, सुरक्षात्मक कार्य और सहयोगी संरचना सम्मिलित है,

(पाँच) एक्सप्रेस मार्ग, जिसमें आपसी परिवर्तन, श्रेणी बँटवारा, द्वि–भाग और अन्य आवश्यक संरचना सम्मिलित है,

(छ:) सड़क सुविधा जैसे पैराफिट्स, रैलिंग, मोड़ पत्थर, किलोमीटर पत्थर, बैंच, निशान, दर्शनीय और साइन बोर्ड, बैरीकेटिंग और क्रैश बैरीयर,

(सात) सड़क ऊपरी पुल, फ्लाईओवर्स और आने–जाने के मार्ग तथा उनकी सहयोगी संरचना,

(आठ) सड़क पार्श्व पार्किंग स्थल,

(नौ) सड़क पार्श्व वृक्षारोपण, नर्सरी, हैज और अन्य भू–दृश्य वस्तुएँ,

(दस) टॉल बूथ/प्लाजा

(ग्यारह) सुरंगें और सहायक संरचना,

(बारह) मार्ग पार्श्व सुविधाएँ/संरचना जैसे वर्षा से बचाव के लिए आश्रय, बाई बस लेन, सार्वजनिक सुविधाएँ, पार्क और सड़क से संलग्न शासकीय भूमि पर स्थित खुला स्थान।

(द) 'सचिव' से लोक निर्माण विभाग का उत्तराखण्ड सरकार का सचिव अभिप्रेत है और इसमें अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्हीं अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए सचिव के रूप में किसी समय के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ध) 'कार्य निरीक्षक' से अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक निर्माण विभाग का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है और इसमें विभाग का वर्क एजेन्ट और मेट सम्मिलित हैं।

अतिक्रमण पर निषेध

3. कोई व्यक्ति–

(एक) सड़क संरचना के अधीन सरकारी भूमि का अतिक्रमण नहीं करेगा,

(दो) कोई स्थायी, अस्थायी अथवा चलित संरचना सड़क पर अथवा सड़क संरचना नहीं बनायेगा,

(तीन) किसी कार्यशाला अथवा किसी वाणिज्यिक गतिविधियों का कार्यान्वयन जिसमें सड़क संरचना पर पशुओं को बाँधने सहित सड़क का दुरुपयोग नहीं करेगा,

(चार) सड़क किनारे की नालियों और आर–पार नालियों की पद्धति को अवरोध/क्षति नहीं पहुँचायेगा,

(पाँच) सड़क पर निजी सम्पत्तियों से कूड़ा–करकट नहीं फेंकेगा,

(छः) सड़क पर खुदान की मिट्टी/मलबा व कोई अन्य सामग्री नहीं फैलायेगा और अनाधिकृत रूप से सामग्री/वस्तुओं का स्थायी भण्डारण नहीं करेगा,

(सात) सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के बिना सड़क संरचना को क्षति/खुदाई नहीं करेगा,

(आठ) अनाधिकृत रूप से कोई हैण्डपम्प अथवा पैट्रोल पम्प स्थापित नहीं करेगा,

(नौ) पहुँच मार्ग, सुरक्षा दीवार और विंग दीवार पैराफिट, रैलिंग और प्रकाश पद्धति, सुरक्षात्मक कार्य, सुरंग, उनके सहयोगी संरचना तथा अन्य संरचनाएँ जैसे सड़क खड़न्जा, किनारे रिटेनिंग दीवार, ब्रेस्ट दीवार, टो दीवार, निकासी नालियाँ और सड़क किनारे की नालियाँ, सड़क मिलान, ठोकर जैसे रम्बल स्ट्रीप्स, पथप्रकाश, यातायात प्रकाश, बैरीकेट्स, क्रैश बैरियर, साइन बोर्ड, किलोमीटर पत्थर, सन्दर्भ पिलर, चाहरदीवारी पिलर, सड़क चिन्हांकन संरचनाएँ, पैदल मार्ग, टॉलबूथ/प्लॉजा, मार्ग की सुविधाएँ, जैसे वर्षा से बचाव के लिए आश्रय, बाई बस लेन, लोक सुविधाओं के लिए पार्क तथा सड़क एवं भवनों से लगी खाली भूमि और अन्य संरचनाएँ जो कि सड़क की रख–रखाव और यातायात की सुविधा दिलाने के लिए आवश्यक हो, सहित पुल, सड़क, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर और अनिम्न प्रवेश को क्षति/विरूपित नहीं करेगा,

(दस) दुर्घटना स्थल पर अनुपयुक्त अथवा मरम्मत अथवा मरम्मत के बिना अथवा बेकार सामग्री/मशीनों को सड़क पर खड़ा नहीं करेगा,

(ग्यारह) सड़क के किनारे किए गये वृक्षारोपण, नर्सरी, हैज और अन्य भू–दृश्य वस्तुओं को क्षतिग्रस्त/नहीं उखाड़ेगा,

(बारह) अनाधिकृत रूप से होर्डिंग का प्रयोग नहीं करेगा,

(तेरह) 'उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण का प्रतिषिद्ध अधिनियम', 2003 के अधीन प्रतिषिद्ध कृत्य नहीं करेगा,

(चौदह) अनाधिकृत रूप से स्वागत द्वार इत्यादि को नहीं लगायेगा,

(पन्द्रह) इस धारा के अधीन सरकार अधिसूचित कोई विलोपन अथवा आचरण का कोई कृत्य कारित नहीं करेगा, जो कि सड़क संरचना के लिए हानिकारक हो,

(सोलह) क्षेत्र में खनन के फलस्वरूप सड़क संरचना को क्षतिग्रस्त नहीं करेगा,

(सत्रह) नियंत्रित क्षेत्र में कोई ढाँचा न तो लगायेगा और न ही बनायेगा।

संरचना

4. (1) सड़क संरचना का प्रभारी अधिशासी अभियन्ता 1:500 माप पर अपने क्षेत्राधिकार में सड़क संरचना का एक नक्शा जो कि सड़क की लम्बाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करे, तैयार करेगा।

(2) नक्शे में महत्त्वपूर्ण स्थलों जिसमें भवन और नियंत्रण रेखाएँ तथा राजस्व विभाग द्वारा नियत स्थल सहित सड़क संरचना के रूप में सड़क संरचना के चिन्हांकन और पुनः सीमांकन के लिए संदर्भ बिन्दु भी प्रदर्शित करेगा और नक्शे को सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(3) सरकार समाचार–पत्रों में प्रकाशित कर लोगों को सड़क के नक्शे की विधिमान्यता के सम्बन्ध में उसकी चाहरदीवारी तथा अन्य महत्त्वपूर्ण स्थलों को दर्शायेगा तथा सड़क संरचना के प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में लोक निरीक्षण के लिए ऐसे नक्शे को उपलब्ध करायेगा तथा समाचार–पत्र में सूचना के प्रथम प्रकाशन के दिन से साठ दिन के भीतर लोगों से आपत्तियाँ आमंत्रित करेगा और इसी प्रकार से प्रत्येक विस्तार अथवा परिवर्तन को क्रमशः प्रदर्शित करेगा।

(4) उठायी गई आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् सरकार ऐसे नक्शे को अन्तिम रूप देगी और उसकी विधिमान्यता और अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में संदर्भ तथा प्रयोग की उपलब्धता के सम्बन्ध में जनता को सूचित करेगी।

(5) उपधारा 3 के अधीन कार्यवाही किए जाने के पश्चात् उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के खण्ड में सड़क संरचनात्मक के संदर्भ अभिलेख में रख दिया जायेगा और वह खण्ड के सड़क संरचना नक्शा के रूप में जाना जायेगा।

(6) विहित/अनुमोदित प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर सभी प्रतिषिद्ध गतिविधियों के होने पर उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्ड के सड़क संरचना नक्शे को निर्धारण हेतु संदर्भित किया जायेगा।

(7) सड़क संरचना नक्शा जन सामान्य के निरीक्षण के लिए खण्ड में उपलब्ध रहेगा और विहित शुल्क के भुगतान करने पर क्षेत्र के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त की जा सकेगी।

(8) राजमार्ग सहित भूमि के नियंत्रण के लिए और अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार चिन्हित करेगी और सड़क के किनारे की निजी सम्पत्ति को भवन क्रम और नियंत्रण रेखा से दूर करने के लिए बाध्य करेगी।

निरीक्षक के कर्तव्य 5. विहित प्राधिकारी अथवा कार्य निरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि उसके क्षेत्राधिकार में अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि नहीं हो रही है।

प्रतिषिद्ध गतिविधियों का प्रकटन 6. (1) धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध किसी गतिविधि की जानकारी होने पर विहित प्राधिकारी दोषी व्यक्ति की प्रतिषिद्ध गतिविधियों को रोकने के लिए आदेश जारी करेगा एवं आवश्यकता होने पर सड़क संरचना को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश देगा।

(2) उपधारा 1 के अधीन विहित प्राधिकारी का आदेश प्रतिषिद्ध गतिविधि को स्पष्ट रूप से वर्णित करते हुए लिखित रूप में होगा और स्कैच के माध्यम से भी प्रतिषिद्ध गतिविधि के प्रकटन की स्थिति नक्शे के सम्बन्धित भाग पर इंगित करेगा तथा ऐसी गतिविधि के विस्तार पर हुई क्षति अथवा होने वाली क्षति से अवगत करायेगा।

(3) विहित प्राधिकारी दोषी व्यक्ति को निर्दिष्ट अवधि के भीतर सड़क संरचना को अपने मूल स्थिति में लाने हेतु निर्देशित करेगा व नोटिस जारी करने के तीन दिन के भीतर यथास्थिति बनाये रखने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने और पूर्ण करने हेतु अनुदत्त समय भी प्रदान करेगा।

(4) विहित प्राधिकारी इस धारा के अधीन दिये गये कोई निर्देश अथवा पारित आदेश के अनुपालन में असफल रहने वाले विशेष रूप से दोषी व्यक्ति के मूल्य और उसके जोखिम पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के लिए कार्यवाही करेगा, इसके अतिरिक्त मौलिक रूप में लाने हेतु मूल्य को अधिरोपित कर सकेगा। इस प्रकार व्यय की वसूली भू-राजस्व के रूप में की जा सकेगी और विहित प्राधिकारी तद्नुसार सरकार को सुनिश्चित करेगा और विहित रीति से किसी प्रतिषिद्ध गतिविधि के फलस्वरूप उपयोग में लायी गई सम्पत्ति को जब्त कर बिक्री करेगा।

(5) नोटिस की तामील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में दी गई रीति के अनुरूप होगी।

(6) इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश को किसी आधार पर किसी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

दण्ड का अधिरोपण

7. इस अधिनियम की धारा 11 में जैसा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित है, विहित प्राधिकारी सड़क संरचना पर छोड़े गये वाहन/मशीन/सामग्री को कब्जे में लेगा और इसके अतिरिक्त हटाने के मूल्य पर विहित प्राधिकारी की अभिरक्षा में वाहन/मशीन/सामग्री रखने की अवधि के लिए बीस हजार रुपये, लेकिन न्यूनतम पाँच हजार तक का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा,

परन्तु यह है कि विहित प्राधिकारी की अभिरक्षा में लिए गये वाहन/ मशीन/सामग्री को दस दिन से अधिक के लिए रखा जाता है तो अनुमोदन प्राधिकारी कब्जे में ली गई सम्पत्ति के निस्तारण के लिए भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 25, 26 और 27 के अधीन कार्रवाई करेगा।

आपत्तियों पर सुनवाई

8. व्यथित पक्ष का विहित प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध अनुमोदन प्राधिकारी को उक्त आदेश की तामील के पन्द्रह दिन के भीतर आपत्ति योजित कर सकेगा और अनुमोदन प्राधिकारी व्यथित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देते हुए और उसके पश्चात् तीस दिन के भीतर अनुमोदन अथवा निरस्त करने के आदेश स्वपठित और कारण सहित विहित प्राधिकारी के माध्यम से जारी करेगा।

अपील

9 (1) अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि अनुमोदन प्राधिकारी के आदेश के पारित होने के तीस दिन के भीतर अपील योजित न कर दी गई हो,

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात् कोई अपील स्वीकार की जा सकेगी, यदि आवेदक अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि निर्धारित अवधि के भीतर अपील योजित न करने के पर्याप्त कारण थे,

परन्तु यह और कि आवेदक जब ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील योजित करे, विभाग द्वारा आंकलित मरम्मत मूल्य की पचास प्रतिशत धनराशि जमा करेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी अपील के योजित होने के तीस दिन के भीतर अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को अनुमोदित अथवा खारिज कर सकेगा।

अपीलीय प्राधिकारी

10. (1) धारा 9 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश की सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर पुनर्विलोकन के लिए सरकार को आवेदन कर सकेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन प्राधिकारी, पुनर्विलोकन आवेदन के प्रस्तुत करने के तीस दिन के भीतर या तो अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को अनुमोदित करेगा अथवा खारिज करेगा। सरकार इस धारा के अधीन प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगी।

शुल्क

11. (1) धारा तीन के खण्ड (एक), (तीन) और (आठ) में संदर्भित किसी प्रतिषिद्ध गतिविधि में सम्मिलित कोई व्यक्ति को विहित प्राधिकारी सड़क संरचना को उसके मौलिक रूप में लाने के लिए आदेश दे सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश पारित होने के तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है तथा अनुदत्त समय के भीतर पूरा नहीं करता है तो विहित प्राधिकारी त्रुटिकर्ता के मूल्य पर आदेश को प्रभावी किये जाने हेतु ऐसे उपाय कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्धों अथवा उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध कार्य करता है अथवा अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो विहित प्राधिकारी सुनवाई का समुचित अवसर देकर ऐसे व्यक्ति को सड़क संरचना को मौलिक रूप में लाये जाने का शुल्क तथा सड़क संरचना के मौलिक मूल्य को अतिरिक्त रूप से निम्नवत् भुगतान करने के आदेश दे सकेगा–

(एक) धारा 3 के खण्ड (दो), (चार), (पाँच), (सात), (नौ), (ग्यारह), (सोलह) और (सत्रह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए मौलिक मूल्य के पाँच गुने के बराबर होगा,

(दो) धारा 3 के खण्ड (छः) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए खुदान की मिट्टी/मलबा के संदर्भ में एक हजार रुपये प्रतिघन मीटर अथवा उसके भाग और खड़ी/पड़ी सामग्री के सन्दर्भ में दो हजार रुपये प्रति ट्रक भार अथवा उसके किसी भाग के प्रतिदिन की दर से,

(तीन) धारा 3 के खण्ड (बारह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए हजार रुपये प्रतिवर्ग मीटर प्रति सप्ताह तब के लिए जब तक यह बना रहे,

(चार) धारा 3 के खण्ड (चौदह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए पाँच सौ रुपये प्रति मीटर, प्रतिदिन की दर से तब के लिए, जब तक यह बना रहे,

(पाँच) धारा 3 के खण्ड (तेरह) अथवा (पन्द्रह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए हटाने के मूल्य के पाँच गुने की दर से।

स्पष्टीकरण–

(1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन सभी मौलिक मूल्य और देय शुल्क दस दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को जमा किये जायेंगे और ऐसा करने में असफल रहने पर, इसे भू–राजस्व के अवशेष के रूप में ब्याज सहित, जो कि जमा के लिए अन्तिम तारीख के अनुसरण से प्रारम्भ होगा, वसूल किया जायेगा।

(2) हटाने/मौलिक मूल्य का निर्धारण उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग की वर्तमान दरों की प्रवृत्त अनुसूची के अनुरूप होगा।

अपराध पर संज्ञान

12. (1) धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध कृत्य के लिए अभियुक्त कोई व्यक्ति अथवा इस अधिनियम की धारा (5) के अधीन सौंपे गये दायित्वों में असफल रहने पर दो वर्ष तक का कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

(2) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई दण्डनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं ले सकेगा, जब तक कि राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार अधिकृत किसी लोक सेवक के द्वारा लिखित शिकायत नहीं की जाती है।

अपराधों का विचारण

13. इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के विचारण हेतु प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अनिम्न श्रेणी सुनवाई हेतु सक्षम नहीं होगा।

सुविधाओं का उपभोग

14. प्रत्येक व्यक्ति जो निम्नलिखित सुविधाओं का उपभोग करेगा; अर्थात्–

(एक) सड़क संरचना से निजी सम्पत्ति को पहुँच, मार्ग बनायेगा,

(दो) पाइप लाइन, सिवेज लाइन, विद्युत केबिल, टेलिफोन केबिल आदि को बिछायेगा, चाहे वह सड़क अथवा पुल के एक ओर हो या दोनों ओर हो,

(तीन) विद्यमान सड़क के किनारे से दोनों ओर 50 मीटर के भीतर खनन गतिविधि अथवा किसी पुल के 500 मीटर ऊपर धारा या 500 मीटर नीचे धारा खनन की गतिविधियाँ,

(चार) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर किसी निजी अथवा वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन,

(पाँच) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर होर्डिंग का प्रदर्शन,

(छः) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर हैंडपम्पों को लगाना,

(सात) 48 घण्टे तक की अनधिक अवधि के लिए दुर्घटना घटित वाहन/वस्तुओं को खड़ा रखना और,

(आठ) 48 घण्टे से अनधिक अवधि के लिए सड़क पर किसी सामग्री/वस्तुओं का अस्थायी भण्डारण हेतु खण्ड (एक) से (छः) के अधीन सड़क संरचना के क्षेत्राधिकार वाले प्रभारी अधिशासी अभियन्ता से तथा इस धारा के खण्ड (सात) और (आठ) के अधीन सुविधा के लिए प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता से लिखित रूप से अनुमति प्राप्ति हेतु आवेदन करेगा एवं इस प्रकार की अनुमति हेतु सभी आवेदन विहित रीति से किये जायेंगे,

बशर्ते कि धारा के अधीन उल्लिखित अपेक्षा के अनुपालन में असफल होने पर, इस अधिनियम की धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार मूल्य/शुल्क को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा,

परन्तु यह कि इस धारा में उल्लिखित सुविधा, विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने की दशा में, लाभग्राही को कार्य की पूँजी जमा करनी होगी।

वाद का परीक्षण 15. अनुमोदन प्राधिकारी/विहित प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य को सम्पादित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वाद के परीक्षण के समय पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी–

(क) किसी व्यक्ति को समन भेजना एवं उपस्थिति हेतु बाध्य करना तथा शपथ प्राप्त करना,

(ख) अभिलेखों के परीक्षण की अपेक्षा और प्रस्तुतीकरण और

(ग) अन्य कोई मामले जो विहित किये जायें।

वाद वर्जन 16. इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित प्राधिकारी अथवा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी, विभाग के किसी उच्चतर अधिकारी के निर्देश अथवा आदेशों के पालन में किसी कृत्यों के लिए, जो उसके द्वारा सद्भावनापूर्वक किया गया हो अथवा किया जाना आशयित हो, के विरुद्ध कोई वाद या अभियोग नहीं चलाया जायेगा।

क्षेत्राधिकार 17. इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी मामले के असफल होने के सम्बन्ध में किसी प्रश्न के निस्तारण अथवा प्रस्तुत करने का कोई क्षेत्राधिकार किसी सिविल न्यायालय का नहीं होगा।

विभागीय अभिरक्षा 18. सभी सड़क संरचनाएँ, जैसे ही यह प्रभाव में आएगा, सरकार की ओर से विभाग की अभिरक्षा में समझे जायेंगे

निकायों को शक्ति प्रदान करना 19. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के भीतर स्थित नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत और विकास प्राधिकरणों को उनके क्षेत्राधिकार में सड़क संरचना के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों के सम्पादन और ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जावे, सशक्त कर सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति 20. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे; अर्थात्–

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अथवा अधिकृत किये जाने के लिए किसी नोटिस का प्रारूप और इसे तामील करने की रीति,

(ख) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों का संचालन,

(ग) विहित प्राधिकारी के कार्य का वितरण और आवंटन तथा किसी लम्बित कार्यवाही को किसी विहित प्राधिकारी से अन्य विहित प्राधिकारी को अन्तरित किया जाना,

(घ) प्रतिषिद्ध गतिविधियों के कृत्यों के परिणामस्वरूप हुई क्षति के आकलन की रीति और ऐसे क्षति के आकलन के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धान्त,

(ङ) सड़क संरचना की पहुँच के सन्दर्भ में नक्शा तैयार करने की रीति,

(च) इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली अथवा इनकार की जाने वाली अनुमति की रीति और अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क, तथा,

(छ) कोई अन्य मामले, जो विहित किये जायें।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होंगे।

(4) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–20, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक, इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014, जैसा प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदित किया गया, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014, जैसा प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदित किया गया, पर विचार किया जाय।

खण्ड–2 से खण्ड–5, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

जैसा प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदित किया गया

विधेयक

"उत्तर प्रदेश कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958" (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) में अग्रेत्तर संशोधन के लिए भारत गणराज्य के 65वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014" है।

(2) यह दिनांक 04 सितम्बर, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

मूल अधिनियम की धारा 28 का (द) में संशोधन

2. "उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958" (अधिनियम संख्या 45, वर्ष 1958) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 28(द) निम्नवत् संशोधित कर दी जायेगी; अर्थात्–

धारा 28(द)–विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य वेतनभोगी कार्मिकों की संख्या, अर्हताएँ, परिलब्धियाँ एवं अन्य सेवा शर्तें (सेवानिवृत्ति आयु को छोड़कर) तथा उनकी सेवाओं व गतिविधियों के अभिलेखों को तैयार करना एवं रख–रखाव।

मूल अधिनियम की धारा 28(न) के उपरान्त 28(य) जोड़ा जाना

3. मूल अधिनियम में धारा 28(न) के उपरान्त निम्नवत् धारा 28(य) जोड़ दी जाएगी; अर्थात्–

धारा 28(य)–विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य वेतनभोगी कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु ऐसी होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

मूल अधिनियम की धारा 6–क की अनुसूची के अन्तर्गत अभिवृद्धि	4.	मूल अधिनियम की धारा 6–क के अन्तर्गत अनुसूची में उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार (पौड़ी गढ़वाल) हेतु आवंटित विषयों में निम्नवत् अभिवृद्धि कर दी जायेगी:– (1) पर्वतीय कृषि, (2) पशु चिकित्सा विज्ञान, (3) मत्स्य पालन, (4) खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
मूल अधिनियम में संशोधन	5.	मूल अधिनियम (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त यथाविद्यमान) में जहाँ–जहाँ शब्द उत्तराखण्ड औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय आये हैं, वहाँ–वहाँ शब्द "वीर चन्द्र सिंह 'गढ़वाली' उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय" पढ़ा जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–5, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्ष, इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014, जैसा प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदित किया गया, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014, जैसा प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदित किया गया, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इसमें संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014

{ विधेयक संख्या वर्ष 2014 }

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये–

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2014" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा

धारा 25 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा 25–क जोड़ दी जायेगी; अर्थात्–

25–क : कतिपय वादों में स्वतः कर निर्धारण :

(1) बड़ी संख्या में अनिस्तारित ऐसे वार्षिक कर निर्धारण वादों, जिनमें अपेक्षाकृत कम टर्नओवर अथवा कर निहित है, को निपटाने के उद्देश्य से, इस अधिनियम में किसी अन्य बात के होते हुए भी, यह प्राविधानित किया जाता है कि कमिश्नर विज्ञप्ति जारी करके यह घोषित कर सकते हैं कि ऐसी विज्ञप्ति में सूचीबद्ध पंजीकृत व्यौहारी, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 अथवा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे कर निर्धारण वर्ष के लिए जैसा कि ऐसी विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट हो, निम्न आधारों पर स्वतः ही कर निर्धारित मान लिये जायेंगे;

(क) ऐसे मामले, जिनमें इस धारा का प्राविधान लागू होने तक सभी सावधिक विवरणियाँ दाखिल कर दी गयी हैं, लेकिन वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी है, में इन सभी विवरणियों में स्वीकृत कर देयता; और

(ख) ऐसे मामले, जिनमें इस धारा का प्राविधान लागू होने तक कोई सावधिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी है अथवा सभी सावधिक विवरणियाँ दाखिल नहीं की गयी है परन्तु वार्षिक विवरणी दाखिल कर दी गयी है, में वार्षिक विवरणी में स्वीकृत कर देयता; और

(ग) ऐसे मामले, जिनमें इस धारा का प्राविधान लागू होने तक सभी सावधिक विवरणियाँ दाखिल कर दी गयी हैं और वार्षिक विवरणी भी दाखिल कर दी गयी है, में वार्षिक विवरणी में स्वीकृत कर देयता;

परन्तु यह कि–

(एक) ऐसे व्यौहारी का कर निर्धारण अनिस्तारित हो और कर निर्धारण वर्ष 2011–12 अथवा 2012–13 के अतिरिक्त अन्य वर्ष से संबंधित न हो; और

(दो) ऐसे व्यौहारी का संबंधित कर निर्धारण वर्ष में "सकल वार्षिक आवर्त" एक करोड़ रुपये से अधिक न हो परन्तु यदि ऐसे व्यौहारी, जिसके द्वारा केवल अनुसूची–III की क्रम संख्या 2, 3 और 8 पर विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल में ही संव्यवहार किया गया हो और ऐसे माल को पंजीकृत व्यौहारियों से खरीद करने के पश्चात् प्रदेश में बिक्री किया गया हो, पर ऐसी सीमा लागू नहीं होगी; और

(तीन) ऐसे मामले, जिनमें केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 अथवा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट प्राविधानों के अन्तर्गत कोई कर की मुक्ति, रियायत अथवा रिबेट का दावा किया गया हो, में वार्षिक विवरणी दाखिल कर दी गयी हो तथा ऐसे दावों के समर्थन में संबंधित अधिनियम एवं नियम के प्राविधानों के अनुसार अपेक्षित घोषणा, प्रमाण–पत्र अथवा अन्य साक्ष्य दाखिल कर दिए गए हों; और

(चार) ऐसे कर निर्धारण वर्ष से संबंधित, कर निर्धारण अधिकारी के किसी आदेश अथवा नोटिस के विरुद्ध कोई रिट अथवा धारा 51 या धारा 53 के अन्तर्गत कोई अपील दायर न की गई हो;

परन्तु यह और कि–

(एक) ऐसे व्यौहारी द्वारा संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) के अन्तरण का कोई सम्व्यवहार न किया गया हो; और

(दो) ऐसे व्यौहारी द्वारा "आयरन और स्टील" अथवा "खाद्य तेल" की बिक्री का कोई सम्व्यवहार, राज्य के अन्दर के किसी पंजीकृत व्यौहारी अथवा राज्य के बाहर के किसी व्यौहारी से न किया गया हो; और

(तीन) ऐसे व्यौहारी द्वारा ईंटों अथवा किसी प्रकार के उपखनिजों की खरीद के पश्चात्, कोई बिक्री न की गयी हो; और

(चार) ऐसे व्यौहारी द्वारा कोई ऐसा टिम्बर प्रोडक्ट न बेचा गया हो, जो राज्य के बाहर से आयातित टिम्बर अथवा राज्य के अन्दर से रियायती कर दर से क्रय किए गए टिम्बर से निर्मित किया गया हो और जिस पर कर की दर, शून्य अथवा टिम्बर पर वैट की सामान्य दर से कम हो; और

(पाँच) ऐसे व्यौहारी द्वारा ₹ 5000 से अधिक की वापसी (रिफण्ड) का दावा न किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः कर निर्धारण को, संबंधित व्यौहारी के किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष में अथवा किसी अन्य व्यौहारी के किसी कर निर्धारण वर्ष में, किसी वस्तु पर कर की दर संबंधी, किसी संव्यवहार के माल की बिक्री से संबंधित अथवा सेवा से संबंधित होने, किसी संव्यवहार के अन्तरराज्यीय बिक्री होने अथवा राज्य के अन्दर बिक्री होने अथवा किसी संव्यवहार के अन्तरराज्यीय बिक्री होने अथवा अन्तरराज्यीय कन्साइन्मेन्ट/स्टॉक ट्रांसफर होने आदि से संबंधित विधिक विवादों में, आधार नहीं बनाया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत विज्ञापित वादों में किसी विवरणी के दाखिल न करने अथवा विलम्ब से दाखिल करने अथवा स्वीकृत कर को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर जमा न करने के कारण अर्थदण्ड अथवा विलम्ब शुल्क आरोपित करने या वसूल करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी और यदि पहले से आरम्भ कर दी गयी है तो ऐसी कार्यवाही रोक दी जायेगी। तथापि स्वीकृत कर एवं देय ब्याज, यदि जमा नहीं किया गया है तो उसे अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार वसूल किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) में प्राविधानों के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी हो जाने के पश्चात् यदि कर निर्धारण अधिकारी, छानबीन (स्क्रूटनी) अथवा प्राप्त सूचना के आधार पर सन्तुष्ट है कि किसी कर निर्धारण वर्ष से संबंधित किसी वाद में कर की देयता, स्वीकृत कर देयता से ₹ 5000 या उससे अधिक है, तो ऐसे कर निर्धारण वर्ष का वाद कमिश्नर अथवा कमिश्नर द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी जो ज्वाइन्ट कमिश्नर से निम्न पद का नहीं होगा, की अनुमति से, लेखा पुस्तकों एवं सम्बन्धित

दस्तावेजों की जाँच करके, पुनः कर निर्धारण करने के लिए खोला जा सकता है और इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी ऐसे वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु खोले जाने की समय–सीमा, ऐसे कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा ऐसे वाद में पुनः कर निर्धारण पूर्ण करने की समय–सीमा, जिस दिनांक को वाद खोला गया है से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन किसी वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु खोलने संबंधी किसी निर्णय के विरुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत अपील दाखिल नहीं हो सकेगी।

(6) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (दो) के प्रयोजन हेतु "सकल वार्षिक आवर्त" निम्न का योग होगा:–

प्रदेश के अन्दर के सम्व्यवहार–

(क) राज्य के अन्दर माल की कर योग्य बिक्री;

(ख) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अन्तर्गत कर योग्य खरीद;

(ग) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) की अनुसूची–I में सूचीबद्ध माल की करमुक्त बिक्री;

(घ) अधिनियम के अन्य प्राविधानों के अन्तर्गत माल की करमुक्त बिक्री; एवं

अन्तरराज्यीय सम्व्यवहार–

(क) माल की कर योग्य अन्तरराज्यीय बिक्री;

(ख) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) की अनुसूची–I में सूचीबद्ध माल की करमुक्त अन्तरराज्यीय बिक्री;

(ग) करमुक्त अन्तरराज्यीय बिक्री (केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्य प्राविधानों के अन्तर्गत);

(घ) देश के बाहर निर्यात का आवर्त;

(ङ) राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर/ कन्साइन किए गए माल का मूल्य।

(7) इस धारा के उद्देश्य एवं प्रयोजन को कार्यान्वित करने हेतु कमिश्नर, यदि आवश्यक हो, वांछनीय ऐसे अनुदेश अथवा स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिससे कि व्यौहारी के स्तर पर हुई छोटी–छोटी लोप या त्रुटियों के कारण उसे इस धारा के प्राविधानों का लाभ देने से इनकार न किया जा सके।

धारा 74 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (1) के वर्तमान खण्ड (घ) के उपखण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्–

वर्तमान खण्ड		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड	
जब किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सम्बोधित हो	₹ 10	जब किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सम्बोधित हो	(क) ₹ 10 (ख) कोई फीस नहीं, जहाँ आवेदन विभागीय वैबसाईट पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक, इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–16, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2014)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेन्शन) अधिनियम, 2008, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) तथा उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए:–

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह दिनांक 01 जनवरी, 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 2008

धारा 3 का संशोधन

2\. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 2008 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "पाँच हजार रुपये" के स्थान पर "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3\. मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "तीस हजार रुपये" के स्थान पर "साठ हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 4क का अंतःस्थापन

4\. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् एक नयी धारा 4क निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"सभा के प्रत्येक सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या न हो, अपनी सदस्यता की अवधि में तीन हजार रुपये प्रतिमास का चालक भत्ता पाने का हकदार होगा"।

धारा 5 का संशोधन 5. मूल अधिनियम की धारा 5 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द "एक लाख अस्सी हजार रुपये" के स्थान पर "दो लाख सत्तर हजार रुपये" तथा "बीस हजार रुपये" के स्थान पर "तीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द "पचास हजार रुपये" के स्थान पर "एक लाख रुपये", "तीस हजार रुपये" के स्थान पर "बहत्तर हजार रुपये" तथा "बीस हजार रुपये" के स्थान पर "अट्ठाईस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (2) में निम्नवत् एक परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्

"परन्तु यह कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले किसी भूतपूर्व सदस्य को सम्पूर्ण धनराशि, डीजल/पेट्रोल व्यय के रूप में नकद भुगतान प्राप्त करने का विकल्प होगा"।

धारा 9 का संशोधन 6. मूल अधिनियम की धारा 9 में, जहाँ शब्द "सदस्य" आया है के पश्चात् शब्द "या पूर्व सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन 7. मूल अधिनियम की धारा 11 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन 8. मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन 9. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के पश्चात् एक नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्–

"परन्तु यह कि यदि किसी सदस्य को ऐसे आवास की व्यवस्था नहीं की जाती है तो उसे तीन सौ रुपया प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति की जायेगी।"

धारा 17 का संशोधन 10. मूल अधिनियम की धारा 17 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"सभा का प्रत्येक सदस्य या पूर्व सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या न हो, की स्वयं तथा परिवार के सदस्यों की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य के प्रथम श्रेणी के अधिकारी के समतुल्य होंगी।"

धारा 20 का संशोधन 11. मूल अधिनियम की धारा 20 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर "बीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) विद्यमान परन्तुक निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"परन्तु जहाँ कि व्यक्ति ने एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्य किया हो, वहाँ वह एक से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक हजार रुपये प्रतिमास, 65 वर्ष आयु पूर्ण होने पर पाँच प्रतिशत, 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दस प्रतिशत, 75 वर्ष आयु पूर्ण होने पर पच्चीस प्रतिशत तथा 80 वर्ष आयु पूर्ण होने पर पचास प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा।"

धारा 23ख का अंतःस्थापन 12. मूल अधिनियम की धारा 23क के पश्चात् एक नयी धारा 23ख निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"सभा के प्रत्येक सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या न हो, की मृत्यु एवं दुर्घटना पर पाँच लाख रुपये का सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि प्राप्त करने का हकदार होगा।"

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त)

धारा 2 का संशोधन 13. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 2 की उपधारा (1) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मासिक वेतन में शब्द "अट्ठारह हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "चौवन हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009

धारा 3 का संशोधन

14. उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" के स्थान पर "पैंतालीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द "चौदह हजार रुपये" के स्थान पर "बयालीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) में शब्द "बारह हजार रुपये" के स्थान पर "छत्तीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर "तीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

16. मूल अधिनियम की धारा 11 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी–

"प्रत्येक मंत्री, जो सभा का सदस्य हो, उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 4, 7, 11, 16, 17, 23ख और अध्याय ग्यारह के अधीन उपलब्ध लाभों का उपभोग करता रहेगा।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–16, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान माँगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–28 पशुपालन

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ, 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 1620381 हजार (रुपये एक सौ बासठ करोड़ तीन लाख इक्यासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 1620381 (रुपये एक सौ बासठ करोड़ तीन लाख इक्यासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मुझे लगता है कि सरकार इस गम्भीर मामले को हल्के में ले रही है और इसमें पूरी सरकार बेनकाब हो गई है, इसलिए हम इस सदन का परित्याग करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार

*श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 1935266 हजार (रुपये एक सौ तिरानबे करोड़ बावन लाख छियासठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16, श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 1935266 हजार (रुपये एक सौ तिरानबे करोड़ बावन लाख छियासठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएँ

*श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 13159811 हजार (रुपये एक हजार तीन सौ पन्द्रह करोड़ अट्ठानबे लाख ग्यारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 13159811 हजार (रुपये एक हजार तीन सौ पन्द्रह करोड़ अठ्ठानबे लाख ग्यारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–24 परिवहन

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24, परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 778196 हजार (रुपये सतहत्तर करोड़ इक्यासी लाख छियानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24, परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 778196 हजार (रुपये सतहत्तर करोड़ इक्यासी लाख छियानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 12688852 हजार (रुपये एक हजार दो सौ अड़सठ करोड़ अठ्ठासी लाख बावन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 12688852 हजार (रुपये एक हजार दो सौ अड़सठ करोड़ अठ्ठासी लाख बावन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 3193717 हजार (रुपये तीन सौ उन्नीस करोड़ सैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 3193717 हजार (रुपये तीन सौ उन्नीस करोड़ सैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री राजेश शुक्ला, श्री महावीर सिंह रांगड़, श्री नव प्रभात, श्री मदन कौशिक, श्री चन्दन राम दास, श्री संजय गुप्ता तथा श्री अजय टम्टा की कुल 9 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री नव प्रभात की सूचना, जो तहसील विकासनगर के अन्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभिन्न बाढ़ सुरक्षा योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री संजय गुप्ता की सूचना, जो विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत विभिन्न गाँवों में विद्युत तारों की जर्जर स्थिति से उत्पन्न खतरों के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत मेलाघाट एवं प्रवीन नदी पर बाढ़ नियंत्रण की दो योजनाओं की स्वीकृति वर्ष 2013 में होने के उपरान्त अभी तक कार्य प्रारम्भ न होने के संबंध में श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[वित्तीय वर्ष 2012–13 में एस0पी0ए0 के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर की सात योजनाओं की स्वीकृति निर्गत की गयी थी, जिनमें खटीमा विकास खण्ड के अन्तर्गत दो योजनायें यथा ग्राम सिसैया मेलाघाट की जगबूड़ा नदी की बाढ़ से सुरक्षा योजना (₹ 228.60 लाख) एवं ग्राम बण्डिया की परवीन नदी की बाढ़ से बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना (₹ 226.00 लाख) सम्मिलित है, हेतु विभाग द्वारा एक अनुबन्ध किया गया था। इस अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 22.03.2013 थी। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रश्नगत 07 संख्या योजनाओं में से केवल 02 संख्या योजनाओं में ही कार्य प्रारम्भ किया गया था। माह जून में अत्यधिक वर्षा व अतिवृष्टि के कारण व जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 2013 में भी वर्षाकाल के दौरान कार्य पूर्णतः बाधित रहा। वर्षाकाल के पश्चात् माह अक्टूबर, 2013 से अब तक ठेकेदार को कार्यों में प्रगति लाने हेतु विभाग द्वारा निरन्तर नोटिस/पत्र प्रेषित किये गये एवं दिनांक 13.02.2014 को विभाग द्वारा अन्तिम नोटिस भी दिया जा चुका है, जिसमें विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि दिनांक 28.02.2014 तक उपरोक्त सभी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं होती है तो अनुबन्ध निरस्त करते हुए कार्यों को डेबिटेबल एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि मानसून से पूर्व कार्य पूर्ण किये जा सकें। वर्तमान में उपरोक्त दोनों योजनाओं पर सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ करने हेतु जी0आई0 वायरक्रेट तथा बोल्डर की आपूर्ति कार्य स्थलों पर प्रारम्भ कर दी गयी है। उक्त कार्यों को आगामी वर्षाकाल से पूर्व पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।]

नोटः–[ ] से अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(निम्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

जनपद हरिद्वार में शिक्षा विभाग में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना न चलाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सरवत करीम अंसारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

[जनपद हरिद्वार के मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त 4 मदरसों को वर्तमान में सर्वशिक्षा अभियान (एस0एस0ए0) एवं मध्याह्न भोजन योजना का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड द्वारा अगस्त, 2013 में जनपद हरिद्वार के 27 मदरसों को मान्यता प्रदान की गयी किन्तु भारत सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजना की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट फरवरी, 2013 में अनुमोदित किया जा चुका था। तत्समय तक प्रश्नगत मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं थे, जिस कारण इन्हें सर्व शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित नहीं किया जा सका।

इन मदरसों को मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित करने की अनुमति प्रदान करने हेतु पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 07 बजकर 02 मिनट पर दिन बुधवार, दिनांक 19 फरवरी, 2014 को 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून

दिनांक : 18 फरवरी, 2014

जगदीश चन्द्र,

सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नोट:–[ ] ये अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 विधान सभा/249–15–10–2015–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।